<u>2023 का विधेयक संख्यांक 17</u>

वित्त विधेयक, 2023

(लोक सभा में पुरःस्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2023

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन ।
4. धारा 9 का संशोधन ।
5. धारा 10 का संशोधन ।
6. धारा 10कक का संशोधन ।
7. धारा 11 का संशोधन ।
8. धारा 12क का संशोधन ।
9. धारा 12कख का संशोधन ।
10. धारा 17 का संशोधन ।
11. धारा 28 का संशोधन ।
12. धारा 35घ का संशोधन ।
13. धारा 43ख का संशोधन ।
14. धारा 43घ का संशोधन ।
15. धारा 44कख का संशोधन ।
16. धारा 44कघ का संशोधन ।
17. धारा 44कघक का संशोधन ।
18. धारा 44खख का संशोधन ।
19. धारा 44खखख का संशोधन ।
20. धारा 45 का संशोधन ।
21. धारा 47 का संशोधन ।
22. धारा 48 का संशोधन ।
23. धारा 49 का संशोधन ।
24. नई धारा 50कक का अंत:स्थापन ।
25. धारा 54 का संशोधन ।
26. धारा 54ङक का संशोधन ।
27. धारा 54ङख का संशोधन ।

खंड

28. धारा 54ङग का संशोधन ।
29. धारा 54ङघ का संशोधन ।
30. धारा 54च का संशोधन ।
31. धारा 55 का संशोधन ।
32. धारा 56 का संशोधन ।
33. धारा 72क का संशोधन ।
34. धारा 72कक का संशोधन ।
35. धारा 79 का संशोधन ।
36. धारा 80ग का संशोधन ।
37. धारा 80गगग का संशोधन ।
38. धारा80गगघ का संशोधन ।
39. नई धारा 80गगज का अंत:स्थापन ।
40. धारा 80छ का संशोधन ।
41. धारा 80झकग का संशोधन ।
42. धारा 87 का संशोधन ।
43. धारा 87क का संशोधन ।
44. धारा 88 का लोप ।
45. धारा 92खक का संशोधन ।
46. धारा 92घ का संशोधन ।
47. धारा 94ख का संशोधन ।
48. धारा 111क का संशोधन ।
49. धारा 112 का संशोधन ।
50. धारा 115खकग का संशोधन ।
51. धारा 115खकघ का संशोधन ।
52. नई धारा 115खकङ का अंतःस्थापन ।
53. धारा 115खख का संशोधन ।
54. नई धारा 115खखञ का अंत:स्थापन ।
55. धारा 115ञग का संशोधन ।
56. धारा 115ञघ का संशोधन ।
57. धारा 115नघ का संशोधन ।
58. धारा 115पक का संशोधन ।
59. धारा 115पख का संशोधन ।
60. धारा 116 का संशोधन ।
61. धारा 119 का संशोधन ।
62. धारा 131 का संशोधन ।
63. धारा 132 का संशोधन ।
64. धारा 133 का संशोधन ।
65. धारा 134 का संशोधन ।
66. धारा 135क का संशोधन ।
67. धारा 140ख का संशोधन ।

खंड
68. धारा 142 का संशोधन ।
69. धारा 148 का संशोधन ।
70. धारा 149 का संशोधन ।
71. धारा 151 का संशोधन ।
72. धारा 153 का संशोधन ।
73. धारा 154 का संशोधन ।
74. धारा 155 का संशोधन ।
75. धारा 158क का संशोधन ।
76. धारा 158कख का संशोधन ।
77. धारा 170क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
78. धारा 177 का संशोधन ।
79. धारा 189 का संशोधन ।
80. धारा 192क का संशोधन ।
81. धारा 193 का संशोधन ।
82. धारा 194ख का संशोधन ।
83. नई धारा 194खक का अंत:स्थापन ।
84. धारा 194खख का संशोधन ।
85. धारा 194ढ का संशोधन ।
86. धारा 194द का संशोधन ।
87. धारा 196क का संशोधन ।
88. धारा 197 का संशोधन ।
89. धारा 206कख का संशोधन ।
90. धारा 206ग का संशोधन ।
91. धारा 206गगक का संशोधन ।
92. धारा 241क का संशोधन ।
93. धारा 244क का संशोधन ।
94. धारा 245 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
95. धारा 245घ का संशोधन ।
96. धारा 245ङक का संशोधन ।
97. धारा 245द का संशोधन ।
98. अध्याय 20 का संशोधन ।
99. धारा 249 का संशोधन ।
100. धारा 250 का संशोधन ।
101. धारा 251 का संशोधन ।
102. धारा 253 का संशोधन ।
103. धारा 264 का संशोधन ।
104. धारा 267 का संशोधन ।
105. धारा 269धध का संशोधन ।
106. धारा 269न का संशोधन ।
107. धारा 270क का संशोधन ।

खंड

108. धारा 270कक का संशोधन ।
109. धारा 271 का संशोधन ।
110. धारा 271क का संशोधन ।
111. धारा 271ककग का संशोधन ।
112. धारा 271ककघ का संशोधन ।
113. धारा 271ग का संशोधन ।
114. धारा 271चकक का संशोधन ।
115. धारा 271ञ का संशोधन ।
116. धारा 274 का संशोधन ।
117. धारा 275 का संशोधन ।
118. धारा 276क का संशोधन ।
119. धारा 276ख का संशोधन ।
120. धारा 279 का संशोधन ।
121. धारा 287 का संशोधन ।
122. धारा 295 का संशोधन ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमा-शुल्क

123. धारा 25 का संशोधन ।
124. धारा 127ग का संशोधन ।

सीमाशुल्क टैरिफ

125. धारा 9, धारा 9क और धारा 9ग का संशोधन ।
126. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची का संशोधन ।
127. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

128. धारा 10 का संशोधन ।
129. धारा 16 का संशोधन ।
130. धारा 17 का संशोधन ।
131. धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।
132. धारा 37 का संशोधन ।
133. धारा 39 का संशोधन ।
134. धारा 44 का संशोधन ।
135. धारा 52 का संशोधन ।
136. धारा 54 का संशोधन ।
137. धारा 56 का संशोधन ।
138. धारा 122 का संशोधन ।
139. धारा 132 का संशोधन ।
140. धारा 138 का संशोधन ।
141. नई धारा 158क का अंत:स्थापन ।

खंड

142. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट ।

एकीकृत माल और सेवा कर

143. धारा 2 का संशोधन ।

144. धारा 12 का संशोधन ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 का संशोधन

145. इस भाग का प्रारंभ ।

146. 1873 के अधिनियम सं0 5 का संशोधन ।

भाग 2

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

147. 1899 के अधिनियम सं0 2 का संशोधन ।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

148. 1956 के अधिनियम सं0 42 का संशोधन ।

भाग 4

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

149. धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

150. धारा 24 का लोप ।

151. धारा 25 का संशोधन ।

भाग 5

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

152. 1988 के अधिनियम सं0 45 का संशोधन ।

भाग 6

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

153. सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 7

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

154. 2002 के अधिनियम संख्यांक 58 का संशोधन ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवी अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

(लोक सभा में 1 फरवरी, 2023 को पुरःस्थापित रूप में)

<u>2023 का विधेयक संख्यांक 17</u>

[दि फाइनेंस बिल, 2023 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2023

वित्तीय वर्ष 2023--2024 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 122, 1 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,–

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नानुसार परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय थी ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परन्तु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट, प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या 1961 का 43

धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परन्तु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है या उस सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या ऐसे व्यक्तियों के संगम जो केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बना है, के मामले के सिवाय, व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है, की दशा में, जहां,–

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या ऐसे व्यक्तियों के संगम, सिवाय ऐसे व्यक्तियों के संगम के, जो सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बना है, व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,–

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से

अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय या प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय या प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय या प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय या प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) व्यक्तियों का संगम जो इसके सदस्यों के रूप में कंपनियों से मिलकर बना है, की दशा में,--

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर का दस प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी आय का पन्द्रह प्रतिशत की दर से, संगणित किया जाएगा;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, सिवाय ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है,--

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, वहां ऐसे आय-कर का सात प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे आय-कर का बारह प्रतिशत की दर से;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे आय-कर का बारह प्रतिशत की दर से;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, सिवाय ऐसी देशी कंपनी के, जिसकी

आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,–

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों के संगम की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है,--

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं

होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (घ) में वर्णित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,--

(i) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ii) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय, एक करोड़ रुपए से अधिक है, उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से

परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में यथा उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "आय-कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115थक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ट, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 194थ, धारा 194द, धारा 194ध, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, इसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनी से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, इस अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा के सिवाय,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है,

किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, आय-कर अधिनियम की धारा 196घ के अधीन लाभांश के रूप में आय की कटौती की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी

आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित की जाएगी ;

(च) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परन्तुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है, जहां,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं

है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से :

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति की आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो अनिवासी है और केवल कंपनियों के उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, ऐसे संगम की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक फर्म की दशा में, जो अनिवासी है, जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और संग्रहण के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां ऐसी रकम या ऐसी रकमों का योग, जिन्हें संगृहीत किया गया है या जिनके संगृहीत किए जाने की संभावना है और

संग्रहण के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की जानी है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परन्तु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा, सिवाय किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, किसी व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115खखज, धारा 115खखझ, 115खखञ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी

आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक व्यष्टि की दशा में या उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में के सिवाय, या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय है और जिसकी कोई ऐसी आय नहीं है जो धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, जहां,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय

सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग पर संगणित अग्रिम कर पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ग) उसके सदस्यों के रूप में केवल कंपनियों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में,–

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(घ) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ और धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ङ) प्रत्येक फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(च) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(छ) देशी कंपनी से भिन्न, प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि उपरोक्त (क) और (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार

की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (ग) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु उपरोक्त (घ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,–

(क) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ख) दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु उपरोक्त (ङ) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से

अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परन्तुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य आय के संबंध में, पहले परंतुक के अनुसार संगणित "अग्रिम कर", संघ के प्रयोजनों के लिए व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में संगणित अधिभार द्वारा बढ़ा दिया जाएगा,--

(i) पांच लाख रुपए से अधिक किंतु एक करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के दस प्रतिशत की दर पर" ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक किंतु दो करोड़ रुपए से अनधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, (आय-कर अधिनियम की धारा

111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय को छोड़कर), "ऐसे अग्रिम कर के बीस प्रतिशत की दर पर" ; और

(iv) दो करोड़ रुपए से अधिक कुल आय वाले, किंतु ऊपर खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आने वाले (आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश या आय के माध्यम से आय सहित), "ऐसे अग्रिम कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर पर" :

परंतु यह भी कि जहां धारा 115खकग की उपधारा (1क) के लागू होने की दशा में तथा कुल आय के अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन प्रभार्य लाभांश भी है, आय के उस भाग के संबंध में "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह भी कि केवल कंपनियों के इसके सदस्यों से मिलकर बने व्यक्तियों के संगम की दशा में तथा धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन प्रभार्य आय पर, "अग्रिम कर" पर अधिभार की दर भी है, पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा (2) के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय निम्नलिखित से अधिक है,--

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ या धारा 115खकङ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा 'क' लागू होता है या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो एक निवासी है, की दशा में, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, वहां निर्धारिती ने पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,–

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :–

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क या धारा 115खकग की उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय, कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परन्तु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए"

शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परन्तु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम या व्यष्टियों के निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, की दशा में जो निवासी है, जिसकी आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की धारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा मानो "दो लाख पचास हजार रुपए"शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार इस धारा में उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं तथा बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी शिक्षा और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, उन दशाओं में लागू नहीं होगी, जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,–

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2023 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,-- धारा 2 का संशोधन ।

(क) खंड (19ख) में "या आय-कर अपर आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (24) में, उपखंड (xviiख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(xviiग) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;

"(xviiघ) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई राशि ;";

(ग) उपधारा (28ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(28गक) "संयुक्त आयुक्त (अपील)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या आय-कर अपर आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त किया गया है ;';

(घ) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, उपखंड (जज) के पश्चात्,

निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(जझ) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में,--

(क) जो धारा 47 के खंड (viiघ) में यथानिर्दिष्ट जमा किए गए स्वर्ण के संबंध में जारी कोई इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति है, उसमें उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए ऐसे स्वर्ण को निर्धारिती द्वारा उसके इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के रूप में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था ;

(ख) जो धारा 47 के खंड (viiघ) में यथानिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के संबंध में जारी किया गया स्वर्ण है, उसमें उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए ऐसी इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को निर्धारिती द्वारा उसके स्वर्ण में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था ।"।

धारा 9 का संशोधन ।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(viii) भारत से बाहर उदभूत होने वाली कोई आय, जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviiक) में निर्दिष्ट कोई धनराशि है, जिसे भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा,--

(क) 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को ; या

(ख) जिसे 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है,

संदत्त किया गया है ।"।

धारा 10 का संशोधन ।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,--

(क) खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) की मद (I) में, "जो
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा 1992 का 15
केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और 2019 का 50
विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक
विनिधान निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 1992 का 15
अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण 2019 का 50
(निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (4ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(4ङ) निम्नलिखित के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी भारतीय को उद्भूत या हुई या प्राप्त कोई आय,--

(i) अपरिदेय अग्रिम संविदाओं या अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों या ओवर--द--काउंटर व्युत्पन्नीय के अंतरण ; या

(ii) अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों के वितरण,

जो किसी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ किया गया है, जो यथाविहित शर्तों को पूरा करता है :

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट इस प्रकार वितरित आय की रकम में केवल उतनी रकम सम्मिलित होगी, जो अपतटीय बैंककारी यूनिट के पास धारा 115कघ के अधीन कर से प्रभार्य है ।";

(ग) खंड (10घ) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "यथास्थिति, धारा 80ग की उपधारा (3क) या धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 80ग की उपधारा (3क)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक" रखे जाएंगे ;

(ii) छठवें परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से, अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में लागू नहीं होगी, यदि ऐसी पालिसी की अवधि के दौरान किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय प्रीमियम की रकम पांच लाख रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि यदि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न एक से अधिक जीवन बीमा पालिसी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रीमियम संदेय है, तो इस खंड के उपबंध यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से भिन्न केवल उन जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में लागू होंगे, जहां प्रीमियम की समग्र रकम उन पालिसियों में से किसी की अवधि के दौरान किन्हीं पूर्ववर्षों में छठवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं होती है :

परंतु यह भी कि चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें परंतुकों के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे :";

(घ) खंड (12ख) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित जाएगा, अर्थात् :--

'(12ग) अग्निपथ स्कीम के अधीन अभ्यावेशित किसी व्यक्ति या उसके नामनिर्देशिती को अग्निवीर समग्र निधि से कोई संदाय ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अग्निवीर समग्र निधि" और "अग्निपथ स्कीम" का वही अर्थ होगा, जो धारा 80गगज में क्रमश: उनका है ;';

(ङ) खंड (22ख) में, तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की समाचार एजेंसी की किसी आय को लागू नहीं होगी ;";

(च) खंड (23खखच) का लोप किया जाएगा ;

(छ) खंड (23ग) में,--

(I) 1 अक्तूबर, 2023 से,--

(i) पहले परंतुक में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) किसी अन्य दशा में, जहां किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलाप,--

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व आरंभ नहीं हुए है ;

(आ) आरंभ हो गए हैं और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा खंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है,";

(ii) दूसरे परंतुक में,--

(क) खंड (ii) में,--

(अ) आरंभिक भाग में, “खंड (iii)”, शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात, “या खंड (iv) का उपखंड (आ)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (ख) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह,--

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट दशा में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए तथा अपना अनुमोदन भी रद्द करते हुए ;

(II) पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट दशा में, ऐसा आवेदन नामंजूर करते हुए,

उसे सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में आदेश पारित करेगा ;”;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

“(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) या आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था, किया जाता है, तो वह उस निर्धारण वर्ष के, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से इसका अनुमोदन करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को भेजेगा :”;

(II) तीसरे परंतुक में,--

(i) स्पष्टीकरण 2 में,--

(क) खंड (i) में,--

(अ) परंतुक में, “और”, शब्द का लोप किया जाएगा ;

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे, यदि समग्र निधि से उपयोजन के

समय इस खंड के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुकों तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण न हुआ हो :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन विनिधान की गई या वापस जमा की गई रकम को पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं माना जाएगा यदि ऐसा विनिधान या जमा, ऐसे पूर्ववर्ष के अंत से, जिसके दौरान समग्र निधि से ऐसा उपयोजन के रूप में किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी जहां 31 मार्च, 2021 को या उसके पूर्व ऐसी समग्र निधि से उपयोजन किया जाता है ;";

(ख) खंड (ii) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि ऋण या उधार से ऐसे उपयोजन के दौरान इस खंड के बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुकों तथा स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण न हुआ हो :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए पुनः संदत्त रकम को उपयोजन नहीं माना जाएगा यदि ऐसा पुनः संदाय ऐसे पूर्ववर्ष के अंत से, जिसके दौरान ऐसा उपयोजन ऋण या उधार से किया गया था, पांच वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया जाता :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां ऐसी समग्र निधि से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उसके पूर्व किया जाता है ; और";

(ग) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) यथास्थिति, उपखंड (iv), उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अथवा धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को, बारहवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, उपखंड (iv), उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य

शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय से प्रत्यय की गई या संदत्त कोई रकम, ऐसी प्रत्यय की गई या संदत्त रकम के केवल पचासी प्रतिशत की सीमा तक केवल पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन मानी जाएगी ।"।

(ii) स्पष्टीकरण 3 में, खंड (ग) में, "को या उसके पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "से कम से कम दो मास पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(III) पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में,--

(अ) खंड (घ) में, "अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ;" शब्दों के स्थान पर, "अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"(ङ) इस खंड के पहले परंतुक में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या इसमें मिथ्या या असत्य सूचना अंतर्विष्ट है ।";

(IV) उन्नीसवें परंतुक के स्पष्टीकरण में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) "खंड (46) के अधीन अधिसूचित" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "खंड (46) या खंड (46क) के अधीन अधिसूचित" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "खंड (46) के अधीन" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, खंड (46) या खंड (46क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(V) बीसवें परंतुक में, "उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर" शब्दों के स्थान पर, "उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(झ) खंड (23ङख) का लोप किया जाएगा ;

(ञ) खंड (26क) का लोप किया जाएगा ;

(ट) खंड (41) का लोप किया जाएगा ;

(ठ) खंड (46) में, "या उसके किसी वर्ग" दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, "खंड (46क) के अधीन आने वालों से भिन्न या उसके किसी वर्ग" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2024 से रखे जाएंगे ;

(ड) खंड (46) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(46क) किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (जो कंपनी नहीं है), जिसे–

(क) निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिए किसी केंद्रीय

अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित किया गया है, अर्थात् :--

(i) जो गृह आवासन की आवश्यकता से संबंधित है और उसको पूरा करना ;

(ii) शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार ;

(iii) जन साधारण के फायदे के लिए किसी कार्यकलाप का विनियमन या विनियमन और विकास ; या

(iv) उस उद्देश्य, जिसके लिए उसका सृजन किया गया है, के कारण उदभूत होने वाले जन साधारण के फायदे के लिए किसी मामले का विनियमन,

को प्रोद्भूत होने वाली कोई आय ; और

(ख) जिसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है ;";

(ढ) खंड (49) का लोप किया जाएगा ।

धारा 10कक का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) उपधारा (1) में, खंड (ii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु ऐसी कोई कटौती किसी निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है ।";

(ख) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(4क) यह धारा ऐसी किसी इकाई को लागू होती है, यदि माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध से प्राप्त आगम निर्धारिती द्वारा भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, पूर्ववर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, प्राप्त होते हैं या लाए जाते हैं ।

स्पष्टीकरण 1--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "सक्षम प्राधिकारी" पद से भारतीय रिजर्व बैंक या ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो विदेशी मुद्रा में संदायों और व्यौहारों का विनियमन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्राधिकृत है ।

स्पष्टीकरण 2--माल का विक्रय या सेवाओं का उपबंध उस समय भारत में प्राप्त किया गया समझा जाएगा, जहां ऐसी निर्यात आवर्त भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत के बाहर किसी बैंक में निर्धारिती द्वारा इस प्रयोजन के लिए रखे गए किसी पृथक् खाते में जमा की जाती है ।";

(ग) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :--

‘(i) “संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा” का वही अर्थ होगा, जो धारा 10क के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में उसका है ;

(iक) “निर्यात आवर्त” से निर्धारिती द्वारा उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त की गई या लाई गई वस्तुओं या चीजों या सेवाओं के उपक्रम द्वारा, जो यूनिट है, निर्यात के संबंध में प्रतिफल अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत भारत से बाहर वस्तुओं या चीजों के परिदान के कारण माने जा सकने वाले भाड़ा, दूर-संचार प्रभार या बीमा या भारत से बाहर सेवाएं (जिसमें कंप्यूटर साफ्टवेयर भी है) प्रदान करने में विदेशी मुद्रा में उपगत व्यय, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं है ;’।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में,-- धारा 11 का संशोधन ।

(अ) उपधारा (1) में,--

(क) स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) के उपखंड (ii) के पश्चात् दीर्घ पंक्ति में, “अनुज्ञात समय की समाप्ति के पूर्व” शब्दों के स्थान पर, “नियत विनिर्दिष्ट तारीख से कम से कम दो मास पूर्व” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 4 में,--

(I) खंड (i) में,--

(क) परंतुक में, “माना जाएगा ; और” शब्दों के स्थान पर, “माना जाएगा :” शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,--

(क) जब इस उपधारा के, खंड (ग) में ;

(ख) इस उपधारा के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ;

(ग) इस धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(घ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में,

समग्र निधि से उपयोजन किए जाने के समय यदि विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था :

परंतु यह भी कि विनिधान की गई या पुन: जमा की गई रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा विनिधान या जमा उस पूर्ववर्ष, जिसमें समग्र निधि से ऐसा उपयोजन किया गया था, के

अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां समग्र निधि से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है :";

(II) खंड (ii) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,--

(क) जब इस उपधारा के खंड (ग) में ;

(ख) इस उपधारा के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ;

(ग) इस धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(घ) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में,

ऋण या उधार से उपयोजन किए जाने के समय यदि विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था :

परंतु यह भी कि प्रतिसंदत्त रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक ऐसा प्रतिसंदाय उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऋण या उधार से ऐसा उपयोजन किया गया था, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां कोई ऋण या उधार से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है ; और";

(III) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से, अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य न्यास या संस्था में, स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, जमा या संदत्त किसी रकम को ऐसी जमा की गई या संदत्त रकम के पचासी प्रतिशत की सीमा तक ही पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में माना जाएगा ।";

(आ) उपधारा (2) के खंड (ग) में, "को या उससे पहले" शब्दों के स्थान पर, "से कम से कम दो मास पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) उपधारा (7) में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) "खंड (1), खंड (23ग) और खंड (46) से भिन्न" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "खंड (1), खंड (23ग), खंड (46) और खंड (46क) से भिन्न" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, "खंड (46) के अधीन" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "खंड (46) या खंड (46क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ग) दूसरे परंतुक में, "खंड (46) के अधीन" शब्दों, कोष्ठक और अंकों के स्थान पर, "खंड (46) या खंड (46क) के अधीन" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में,-- धारा 12क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(I) खंड (कग) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड 1 अक्तूबर, 2023 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(vi) किसी अन्य दशा में, जहां न्यास या संस्था के क्रियाकलाप,--

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व ;

(आ) आरंभ हो गए है और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा खंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त न्यास या संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है,";

(II) खंड (खक) में, "उस धारा के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर", शब्दों के स्थान पर, "उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर", शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुकों का लोप किया जाएगा ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कख में,-- धारा 12कख का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, 1 अक्तूबर, 2023 से,--

(अ) खंड (ख) में,--

(क) आरंभिक भाग में, "उपखंड (v)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "उपखंड (v) या उपखंड (vi) की मद (आ)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,--

(I) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(II) धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (iv) या उपखंड (vi) की मद (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;";

(आ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) जहां कोई आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) की मद (अ) के अधीन किया जाता है या उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन, जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था, किया जाता है तो वह उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,";

(ख) उपधारा (4) में, स्पष्टीकरण के खंड (च) में, "या उसे अंतिम रूप दिया गया है ।" शब्दों के स्थान पर, "या उसे अंतिम रूप दिया गया है ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(छ) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है, या उसमें कोई मिथ्या या असत्य सूचना अंतर्विष्ट है ।"।

धारा 17 का संशोधन ।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 17 में,--

(i) खंड (1) में, उपखंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ix) केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्ववर्ष में धारा 80गगज में निर्दिष्ट अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित किसी व्यष्टि के अग्निवीर समग्र निधि खाते में किया गया अभिदाय ;"।

(ii) खंड (2) में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) उपखंड (i) में, "वास-सुविधा का" शब्दों के पश्चात्, "ऐसी रीति में,

जो विहित की जाए, संगणित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ii) और उसके स्पष्टीकरण 1 से स्पष्टीकरण 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ii) निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा रियायती दर पर प्रदान की गई किसी वास-सुविधा का मूल्य ।

स्पष्टीकरण--इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वास-सुविधा रियायती दर पर प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि वास-सुविधा का संगणित मूल्य, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ;"।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 28 के खंड (iv) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 28 का संशोधन ।

"(iv) किसी कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे--

(क) वह धन में संपरिवर्तनीय हो या न हो ; या

(ख) नकद रूप में या वस्तु रूप में या भागत: नकद रूप में और भागत: वस्तु रूप में हो ;"।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (2) के खंड (क) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 35घ का संशोधन ।

"परंतु निर्धारिती, ऐसे आय-कर प्राधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस खंड में विनिर्दिष्ट व्यय की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण प्रस्तुत करेगा ।"।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 43ख में, 1 अप्रैल, 2024 से,-- धारा 43ख का संशोधन ।

(i) खंड (घक) में, "किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (छ) में, "राशि," शब्दों के स्थान पर, "राशि या" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

2006 का 27 "(ज) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा संदेय कोई राशि ।";

(iv) परंतुक में, "इस धारा की कोई बात" शब्दों के पश्चात्, "[खंड (ज) के उपबंधों के सिवाय]" कोष्ठक, शब्द और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(v) स्पष्टीकरण 4 में,--

(I) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ङ) "सूक्ष्म उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है ;'; 2006 का 27

(II) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(छ) "लघु उद्यम" का वही अर्थ होगा, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ड) में उसका है ।'। 2006 का 27

धारा 43घ का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 43घ में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(i) खंड (क) में, "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) दीर्घ पंक्ति में, "निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ज) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में है ।"।

धारा 44कख का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में, पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह धारा ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो धारा 44कघ की उपधारा (1) या धारा 44कघक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है :"।

धारा 44कघ का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'परंतु जहां पूर्ववर्ष के दौरान नकद रूप में प्राप्त की गई रकम या रकमों का योग, ऐसे पूर्ववर्ष के कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों का पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां इस उपखंड का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो "दो करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन करोड़ रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए किसी बैंक के नाम देय चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा रकम या रकमों के योग की प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझी जाएगी ।'।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 44कघक की उपधारा (1) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 44कघक का संशोधन ।

'परंतु किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में, जहां पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त की गई रकम या रकम का योग, नकद रूप में ऐसे पूर्ववर्ष की सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां इस उपधारा का इस प्रकार प्रभाव होगा, मानो "पचास लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पचहत्तर लाख रुपए" रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के प्रयोजनों के लिए, किसी बैंक के नाम में लिखे गए चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा रकम या रकमों के योग की प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझी जाएगी ।'।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (3) के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 44खख का संशोधन ।

"(4) धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, तो शेष अवक्षयण और अग्रसरित हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 44खखख का संशोधन ।

"(3) धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, वहां शेष अवक्षयण और अग्रनीत हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।"।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5क) में, "नकद रूप में प्रतिफल, यदि कोई हो," शब्दों के स्थान पर, "नकद रूप में या किसी चैक या ड्राफ्ट या किसी अन्य पद्धति से प्राप्त प्रतिफल, यदि कोई हो," शब्द 1 अप्रैल, 2024 से रखे जाएंगे । धारा 45 का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,-- धारा 47 का संशोधन ।

(क) खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण में,--

(i) खंड (ख) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के उपखंड (i) में, "जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान

1992 का 15
2019 का 50
1992 का 15

निधि) विनियम, 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ; 2019 का 50

(ख) खंड (viiग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(viiघ) किसी पूंजी आस्ति का, जो किसी वाल्ट प्रबंधक द्वारा जारी स्वर्ण का इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तन या इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति का स्वर्ण में संपरिवर्तन है, का कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "इलैक्ट्रिक स्वर्ण प्राप्ति" और "वाल्ट प्रबंधक" पद के वही अर्थ होंगे, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वाल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ज) और खंड (ठ) में क्रमश: उनके हैं ।"।

धारा 48 का संशोधन ।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 48 में, खंड (ii) के पश्चात्, 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु आस्ति के अर्जन की लागत या उसके सुधार की लागत में धारा 24 के खंड (ख) या अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन ब्याज की रकम पर दावा की गई कटौतियां सम्मिलित नहीं होंगी ;"।

धारा 49 का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(10) जहां पूंजी आस्ति, जो,--

(i) धारा 47 के खंड (viiघ) में निर्दिष्ट किसी वाल्ट प्रबंधक द्वारा जारी कोई इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति है, वहां उक्त अंतरण के प्रयोजन के लिए आस्ति के अर्जन की लागत को, उस व्यक्ति के पास, जिसके नाम पर इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है, ऐसे स्वर्ण की लागत के रूप में माना जाएगा ;

(ii) इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के लिए जारी स्वर्ण है और धारा 47 के खंड (viiघ) में निर्दिष्ट अंतरण के लिए प्रतिफल के रूप में उस व्यक्ति की संपत्ति हो जाती है, वहां उक्त अंतरण के प्रयोजन के लिए आस्ति के अर्जन की लागत को, उस व्यक्ति के पास, जिसके नाम पर इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है, ऐसे स्वर्ण की लागत के रूप में माना जाएगा ।"।

नई धारा 50कक का अंत:स्थापन ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 50क के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

बाजार संबद्ध डिबेंचरों की दशा में पूंजी अभिलाभ की संगणना के लिए विशेष उपबंध ।

'50कक. धारा 2 के खंड (42क) या धारा 48 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां पूंजी आस्ति, बाजार संबद्ध डिबेंचर है, ऐसे डिबेंचर के अंतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोदभूत प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को,--

(i) डिबेंचर के अर्जन की लागत ;

(ii) ऐसे अंतरण या मोचन या परिपक्वता के संबंध में पूर्णतया और विशिष्टतया उपगत व्यय से

घटा दिया जाएगा, उसे अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा :

2004 का 23 परंतु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के उपबंधों के अधीन प्रतिभूति संव्यवहार कर के मद्दे संदत्त किसी राशि के संबंध में "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बाजार संबद्ध डिबेंचर" से ऐसी कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसका ऋण प्रतिभूति के रूप में एक अंतर्निहित मूल संघटक है और जहां विवरणियां, अन्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों या सूचकांकों पर बाजार आय से संबंधित है और उसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बाजार संबद्ध डिबेंचर के रूप में वर्गीकृत या विनियमित प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं ।'।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 54 में, 1 अप्रैल, 2024 से,-- धारा 54 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी ।";

(ख) उपधारा (2) में,--

(i) "इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति", शब्दों के पश्चात्, "उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के अधीन रहते हुए," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दस करोड़ रुपए से अधिक पूंजीगत लाभ हिसाब में नहीं लिए जाएंगे ।"।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङक की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । धारा 54ङक का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङख की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । धारा 54ङख का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा । धारा 54ङग का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप धारा 54ङघ का संशोधन ।

किया जाएगा ।

धारा 54च का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 54च में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम को इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (4) में,--

(i) "इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन रहते हुए, इस प्रकार निक्षिप्त रकम सहित नई आस्ति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दस करोड़ रुपए से अधिक शुद्ध प्रतिफल को हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।"।

धारा 55 का संशोधन ।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 55 में 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (1) में,--

(i) "गुडविल", शब्दों के पश्चात्, "या अमूर्त आस्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "करने का अधिकार", शब्दों के पश्चात्, "या कोई अन्य अधिकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) के खंड (क) में,--

(i) "किसी कारबार वृत्ति", शब्दों के पश्चात्, "या अमूर्त आस्ति" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "करघा घंटे", शब्दों के पश्चात्, "या कोई अन्य अधिकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 56 का संशोधन ।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) खंड (viiख) में, "जो निवासी है," शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

'(xii) ऐसे किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की गई कोई राशि, जो–

(क) धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है ; और

(ख) धारा 115पक की उपधारा (2) के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है :

परंतु जहां किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त की गई राशि उसके द्वारा धारित यूनिट या यूनिटों के मोचन के लिए है, वहां इस प्रकार प्राप्त राशि में से यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत को उस सीमा तक घटा दिया जाएगा, जहां तक ऐसी लागत प्राप्त हुई राशि से अधिक नहीं होती है ।

(xiii) जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सहित कोई राशि प्राप्त की जाती है, जो--

(क) किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त राशि ; या

(ख) खंड (iv) में निर्दिष्ट आय,

से भिन्न राशि है, जो धारा 10 के खंड (10घ) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित नहीं की जानी है, तो इस प्रकार प्राप्त राशि को, जो ऐसी जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त प्रीमियम के समग्र से अधिक है तथा जिसका इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में दावा नहीं किया जाता है, ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

स्पष्टीकरण–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (10घ) के स्पष्टीकरण 3 में उसका है ।'।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण में, खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 72क का संशोधन ।

'(iii) "सामरिक विनिवेश" से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी कंपनी में उसकी शेयर धृति का ऐसा विक्रय अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप–

(क) उसकी शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाती है ; और

(ख) नियंत्रण क्रेता को अंतरित हो जाता है :

परंतु उपखंड (क) में अधिकथित शर्त केवल ऐसी दशा में लागू होगी, जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर की शेयर धृति, ऐसी शेयर धृति के ऐसे विक्रय से पूर्व इक्यावन प्रतिशत से अधिक थी :

परंतु यह और कि उपखंड (ख) में निर्दिष्ट नियंत्रण के अंतरण संबंधी अपेक्षा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी या उनमें से किन्हीं दो या सभी द्वारा पूरी की जा सकेगी ।'।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक में,-- धारा 72कक का संशोधन ।

(क) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) निम्नलिखित के साथ एक या अधिक बैंककारी कंपनी,--

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी अन्य बैंककारी संस्था ; या — 1949 का 10

(ख) किसी सामरिक विनिवेश के परिणामस्वरूप किसी अन्य बैंककारी संस्था या किसी कंपनी, जिसमें उस पूर्व वर्ष, जिसके दौरान सामरिक विनिवेश किया जाता है, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर समामेलन किया जाता है ; या"

(ख) दीर्घ पंक्ति में, "ऐसी बैंककारी संस्था या" शब्दों के पश्चात् "कंपनी या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) स्पष्टीकरण में, खंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(viक) "सामरिक विनिवेश" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ;'।

धारा 79 का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के परंतुक में, "सात" शब्द के स्थान पर, "दस" शब्द रखा जाएगा ।

धारा 80ग का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (7) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80गगग का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

धारा 80गगघ का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80 गगघ की उपधारा (4) के खंड (क) का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 80गगज का अंत:स्थापन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगछ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती ।

"80गगज. (1) जहां किसी निर्धारिती ने, जो अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय कर रहा है, उक्त निधि में अपने खाते में पूर्ववर्ष में कोई रकम संदत्त की है या जमा की है, वहां उसे इस प्रकार संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(2) जहां केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अग्निवीर समग्र निधि में निर्धारिती के खाते में कोई अभिदाय करती है, वहां निर्धारिती को इस प्रकार अभिदाय की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए--

(क) 'अग्निपथ स्कीम' से रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0 1(23)2022/डी(वेतन/सेवा), तारीख 29 दिसंबर, 2022 के द्वारा आरंभ की गई

भारतीय सशस्त्र बलों में अभ्यावेशन के लिए स्कीम अभिप्रेत है ;

(ख) 'अग्निवीर समग्र निधि' से ऐसी कोई निधि अभिप्रेत है, जिसमें सभी अग्निवीरों के अभिदाय और केंद्रीय सरकार के समरूप अभिदाय इन दोनों अभिदायों पर ब्याज सहित समेकित हैं ।"।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में,-- धारा 80छ का संशोधन ।

(I) उपधारा (2) के खंड (क) में उपखंड (ii), उपखंड (iiiग) और उपखंड (iiiघ) का 1 अप्रैल, 2024 से लोप किया जाएगा ;

(II) उपधारा (5) में,--

(अ) 1 अक्तूबर, 2023 से,--

(i) पहले परंतुक में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) किसी अन्य दशा में, जहां संस्था या निधि ने,--

(अ) उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के आरंभ से कम से कम एक मास पूर्व कार्यकलाप आरंभ नहीं किया है ;

(आ) कार्यकलाप आरंभ कर दिया है और जहां उक्त संस्था या निधि की किसी आय या उसके किसी भाग को, ऐसे कार्यकलाप आरंभ करने के पश्चात् किसी समय ऐसे आवेदन की तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से अपवर्जित किया गया है :";

(ii) दूसरे परंतुक में,--

(क) खंड (ii) में,--

(1) प्रारंभिक भाग में "खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अक्षरों के पश्चात्, "या खंड (iv) का उपखंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(2) उपखंड (ख) में, मद (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्,--

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही उसके अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

या

(II) पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;";

(ख) खंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) के अधीन किया गया है या आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv), जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व यथाविद्यमान था, के अधीन किया गया है, वहां वह उस निर्धारण वर्ष, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,";

(आ) तीसरे परंतुक में, "पहले परंतुक" शब्दों के स्थान पर, "दूसरे परंतुक" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) में, "2023" अंकों के स्थान पर, "2024" अंक रखे जाएंगे ।

धारा 87 का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 87 में,--

(क) उपधारा (1) में, "या धारा 88 या धारा 88क या धारा 88ख या धारा 88ग या धारा 88घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "या धारा 88 या धारा 88क या धारा 88ख या धारा 88ग या धारा 88घ" शब्दों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

धारा 87क का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 87क में, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु जहां निर्धारिती की कुल आय पर संदेय आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन की जाती है, वहां यह धारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो,--

(क) "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "सात लाख रुपए" शब्द रख दिए गए हों ;

(ख) "बारह हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पच्चीस हजार रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।'।

धारा 88 का लोप ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 88 का लोप किया जाएगा ।

धारा 92खक का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 92खक में, खंड (vक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,--

"(vख) धारा 115खकङ की उपधारा (4) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती और अन्य व्यक्ति के बीच संव्यवहार किया गया कोई कारबार";

46. आय-कर अधिनियम की धारा 92घ की उपधारा (3) में "तीस दिन की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "दस दिन की अवधि" दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, शब्द रखे जाएंगे । धारा 92घ का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 94ख में, 1 अप्रैल, 2024 से,-- धारा 94ख का संशोधन ।

(i) उपधारा (3) में, "भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी के स्थायी" शब्दों के स्थान पर, "भारतीय कंपनी या विदेशी कंपनी या गैर--बैंककारी वित्तीय कंपनियों के ऐसे वर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, के स्थायी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (5) में, खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(iiक) "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" का वही अर्थ होगा, जो धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (viiक) के स्पष्टीकरण के खंड (vii) में उसका है ;'।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । धारा 111क का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (3) का लोप किया जाएगा । धारा 112 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग में,-- धारा 115खकग का संशोधन ।

(अ) 1 अप्रैल, 2024 से--

(क) पार्श्व शीर्ष में "हिन्दू अविभक्त कुटुंब" शब्दों के स्थान पर, "हिन्दू अविभक्त कुटुंब और अन्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (1) में, "1 अप्रैल, 2021" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2021 किंतु 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(1क) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, जो उपधारा (6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी, अर्थात् :--

क्रम सं.	**कुल आय**	**कर की दर**

(1)	(2)	(3)
1.	3,00,000 रुपए तक	शून्य
2.	3,00,001 रुपए से 6,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
3.	6,00,001 रुपए से 9,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
4.	900,001 रुपए से 12,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
5.	12,00,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
6.	15,00,001 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत;";

(आ) 1 अप्रैल, 2023 से, उपधारा (2) के खंड (i) में, "धारा 80गगघ की उपधारा (2) या" शब्दों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "धारा 80गगज की उपधारा (2) या" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(इ) 1 अप्रैल, 2024 से,--

(क) उपधारा (2) में, प्रारंभिक पंक्ति और खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए, व्यक्ति की कुल आय की संगणना,--

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के अधीन या खंड (14) (ऐसे प्रयोजन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं) या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 24 के खंड (ख) [धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत] या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कख या धारा 32कखक या धारा 32कघ या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80गगज की उपधारा (2) या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 7क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;";

(ख) उपधारा (3) के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि–

(i) ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती ने 1 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (5) के अधीन किसी विकल्प का उपयोग नहीं किया है ;

(ii) निर्धारिती की कुल आय पर आय-कर की संगणना

उपधारा (1क) के अधीन की गई है ; और

(iii) आस्तियों के किसी खंड की बाबत अवक्षयण मोक है, जिसको 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं किया गया है,

तत्स्थानी समायोजन ऐसी आस्ति खंड के अवलिखित मूल्य पर, 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार यथाविहित रीति में किया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई यूनिट है,--

(i) जिसने 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत, पूर्ववर्ष के लिए किंतु 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है ;

(ii) जिसकी कुल आय की संगणना उपधारा (1क) के अधीन की गई है,

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 80ठक के अधीन कटौती ऐसी यूनिट को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होगी ।

2005 का 28 **स्पष्टीकरण**--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "यूनिट" पद का वही अर्थ होगा, जो उसका विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में है';

(घ) उपधारा (5) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष को लागू नहीं होंगे ।";

(ङ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(6) उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट कोई बात, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए यथाविहित रीति में, ऐसे व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है और ऐसा विकल्प,--

(i) कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति की दशा में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए

धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रयोग किया जाएगा, और एक बार प्रयोग करने पर ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा ; या

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट आय न रखने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ प्रयोग किया जाएगा :

परंतु खंड (i) के अधीन विकल्प किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग होने पर उस वर्ष से भिन्न जिसमें इसे प्रयोग किया गया था, एक पूर्ववर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और तत्पश्चात, सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति कारबार या वृत्ति से कोई आय नहीं रखता है, इस उपधारा के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए कभी भी पात्र नहीं होगा, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध रहेगा ।"।

धारा 115खकघ का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ की उपधारा (1) में, "किंतु" शब्द के पश्चात्, "धारा 115खकङ के अधीन उल्लिखित उपबंधों से भिन्न" शब्द 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 115खकङ का अंतःस्थापन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2024 से, अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"कतिपय नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।

115खकङ (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 115खकघ के अधीन उल्लिखित उपबंधों से भिन्न इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, ऐसे निर्धारिती के विकल्प पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किया जाता है :

परंतु जहां निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत कोई ऐसी आय सम्मिलित है जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन से न तो व्युत्पन्न है न ही उसके आनुषांगिक है तथा जिसके संबंध में इस अध्याय के अधीन पृथक् रूप से कर की किसी विनिर्दिष्ट दर का उपबंध नहीं किया गया है, तो ऐसी आय बाईस प्रतिशत की दर पर कर योग्य होगी तथा ऐसी आय की संगणना में किए गए किसी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती या मोक नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि उपधारा (4) के दूसरे परंतुक के अधीन ऐसी समझी गयी निर्धारिती की आय के संबंध में संदेय आय-कर, तीस प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि पूंजी आस्ति के अंतरण से व्युत्पन्न अल्प अवधि पूंजी अभिलाभों से आय, जिस पर अधिनियम के अधीन कोई अवक्षयण अनुज्ञेय नहीं है,

के संबंध में संदेय आय-कर बाईस प्रतिशत की दर पर संगणित किया जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में निर्धारिती असफल रहता है तो उस पूर्व वर्ष तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों से सुसंगत निर्धारण वर्ष के संबंध में विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा तथा निर्धारिती को अधिनियम के अन्य उपबंध लागू होंगे मानो उस पूर्व वर्ष तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी, अर्थात् :--

(क) सहकारी सोसाइटी का गठन और रजिस्ट्रीकरण 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किया गया है तथा उसमें 31 मार्च, 2024 को या उसके पूर्व किसी वस्तु या चीज का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ कर दिया है तथा,--

(i) कारबार, पहले से ही विद्यमान कारबार को बांटकर या पुनः निर्मित करके नहीं किया गया है ;

(ii) किसी प्रयोजन के लिए पहले से ही प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र का उपयोग नहीं करता है ।

स्पष्टीकरण 1--उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, कोई मशीनरी या संयंत्र, जिसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया था, किसी प्रयोजन के लिए पहले से प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र नहीं माना जाएगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती है, अर्थात् :--

(अ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र संस्थापित करने की तारीख से पहले किसी भी समय भारत में प्रयुक्त नहीं हुई थी ;

(आ) ऐसी मशीनरी या संयंत्र भारत के बाहर किसी देश से भारत में आयातित की गई थी ; और

(इ) व्यक्ति द्वारा मशीनरी या संयंत्र को संस्थापित करने की तारीख से पूर्व किसी भी अवधि के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में अवक्षयण के मद्दे कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई है या अनुज्ञेय नहीं है ।

स्पष्टीकरण 2--जहां किसी प्रयोजन के लिए पूर्व में प्रयुक्त कोई मशीनरी या संयंत्र या उसका कोई भाग, निर्धारिती द्वारा प्रयोग के लिए रखा जाता है और ऐसी मशीनरी या संयंत्र या उसके भाग का कोई मूल्य निर्धारिती द्वारा प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अनधिक है, तो उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन किया गया समझा जाएगा ;

(ख) निर्धारिती किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार और इसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तु या चीज के संबंध

में अनुसंधान या उसके वितरण से भिन्न किसी अन्य कारबार में नहीं लगा है ।

स्पष्टीकरण--शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार के अंतर्गत विद्युत के उत्पादन का कारबार भी सम्मिलित होगा, किंतु निम्नलिखित का कारबार सम्मिलित नहीं होगा,--

(i) किसी भी रूप में या किसी माध्यम में कंप्यूटर साफ्टवेयर का विकास ;

(ii) खनन ;

(iii) संगमरमर खंडों या वैसी ही चीजों को पट्टियों में परिवर्तित करना ;

(iv) चलचित्र सिलेंडर में गैस भरना ;

(v) पुस्तकों का मुद्रण या सिनेमेटोग्राफ फिल्म का निर्माण ; या

(vi) कोई अन्य कारबार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए ;

(ग) निर्धारिती की कुल आय,--

(i) धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 33कख अथवा धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii), उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ अथवा धारा 35गगग के उपबंधों के अधीन या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी कटौती के बिना ;

(ii) अग्रणीत किसी हानि के मुजरा या किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अवक्षयण के बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किन्हीं कटौतियों के कारण हुआ माना जा सकता है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) से भिन्न, धारा 32 के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण का दावा करके, यदि कोई हों,

की संगणना की गई है ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ग) के उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण पूर्ण रूप से प्रभावी किया गया समझा जाएगा तथा ऐसी हानि के लिए कोई और कटौती किसी पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(4) जहां निर्धारण अधिकारी को ऐसा प्रतीत होता है कि निर्धारिती जिसको यह धारा लागू होती है तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच कोई निकट संबंध होने के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार का अनुक्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किया गया कारबार निर्धारिती को साधारण

लाभों, जिनकी ऐसे कारबार में उदभूत होने की प्रत्याशा है, से अधिक लाभ प्रदान करता है, तो निर्धारण अधिकारी इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे कारबार से लाभों और अभिलाभों की गणना करने में लाभों की ऐसी रकम संगणना में लेगा, जो युक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न प्रतीत हों :

परंतु उस दशा में, जहां धारा 92खक में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार पूर्वोक्त ठहराव में अंतर्वलित है, तो ऐसे संव्यवहार से लाभ की रकम धारा 92च के खंड (ii) में यथा परिभाषित सन्निकट कीमत का ध्यान रखते हुए अवधारित की जाएगी :

परंतु यह और भी कि निर्धारण अधिकारी दवारा अवधारित लाभ की रकम से अधिक लाभ की रकम, निर्धारिती की आय समझी जाएगी ।

(5) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, यदि 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए आय की पहली विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व विहित रीति में, व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है :

परंतु किसी पूर्ववर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग हो जाने पर, इसे उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष के लिए तत्पश्चात वापस नहीं लिया जा सकता ।"।

धारा 115खख का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115खख में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी आन-लाइन खेल से जीत के माध्यम से आय पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "घुड़दौड" का वही अर्थ होगा, जो धारा 74क में उसका है ;

(ii) "आन-लाइन खेल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 115खखत्र में उसका है ।'।

नई धारा 115खखत्र का अंतःस्थापन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखझ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2024 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

आनलाइन खेल से जीत पर कर।

'115खखत्र. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से आय भी है, संदेय आय-कर निम्नलिखित का कुल योग होगा–

(i) पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे आनलाइन खेलों से शुद्ध जीतों पर संगणित आय-कर की रकम, उस रीति में, जो विहित की जाए, संगणित तीस प्रतिशत की दर पर होगी ; और

(ii) आय-कर की रकम, जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल

आय, खंड (i) में निर्दिष्ट शुद्ध जीतों से घटा दी गई होती ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(i) "कंप्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा, जो धारा 144ख के स्पष्टीकरण के खंड (ङ) में उसका है ;

(ii) "इंटरनेट" से अंतर--संबंधित विश्वव्यापी कंप्यूटर नेटवर्क से मिलकर बनी कंप्यूटर सुविधाओं और इलेक्ट्रो--मैग्नेटिक पारेषण मीडिया तथा संबंधित उपस्कर और साफ्टवेयर का संयोजन अभिप्रेत है, जो ऐसे पारेषण का नियंत्रण करने के लिए प्रोटोकाल के आधार पर सूचना का पारेषण करता है ;

(iii) "आनलाइन खेल" से वह खेल अभिप्रेत है, जिसे इंटरनेट पर प्रस्तावित किया जाता है और वह किसी उपयोक्ता द्वारा कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से पहुंच योग्य है, जिसके अंतर्गत कोई दूर--संचार युक्ति भी है ।'।

धारा 115ञग का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग में, उपधारा (5) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां,--

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकङ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।"।

धारा 115ञघ का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञघ में, उपधारा (7) के स्थान पर, 1 अप्रैल, 2024 से, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(7) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां,--

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकङ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।"।

धारा 115नघ का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ में,--

(i) उपधारा (3) में,--

(क) खंड (ii) के उपखंड (ख) में, "अस्वीकार कर दिया गया है ।" शब्दों के स्थान पर, "अस्वीकार कर दिया गया है ; या" रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

(iii) वह, धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के

उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उक्त खंडों या उपखंडों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उक्त पूर्ववर्ष में समाप्त हो गई है, आवेदन करने में असफल रहता है ।";

(ii) उपधारा (5) के खंड (ii) में, "खंड (ii) के उपखंड (क)" शब्द, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, "खंड (ii) या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) स्पष्टीकरण के खंड (i) में,--

(क) उपखंड (ख) में, "उपांतरित करने की तारीख ;" शब्दों के स्थान पर, "उपांतरित करने की तारीख ; या" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) उपधारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यथास्थिति, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख ;"।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक में, उपधारा (3) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2024 से निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 115पक का संशोधन ।

"(3क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसे धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट किया गया है ।"।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 115पख के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "जिसे धारा 115पख का संशोधन ।
1992 का 15 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
2019 का 50 प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन
1992 का 15 बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आनुकल्पिक विनिधान निधि) विनियम,
2019 का 50 2012 या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के अधीन विनियमित" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 116 के खंड (गगक) में, "आय-कर संयुक्त आयुक्त" शब्दों के पश्चात्, "या आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील)" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे । धारा 116 का संशोधन ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 119 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 119 का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 131 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के धारा 131 का संशोधन ।

स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 132 का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 132 में,--

(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2) प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) या उपधारा (1क) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों में अपनी सहायता के लिए, निम्नलिखित की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा--

(i) किसी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी, या दोनों ; या

(ii) किसी अन्य व्यक्ति या इकाई, जैसा इस संबंध में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान महा निदेशक या महा निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए,

और ऐसे प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति या इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।";

(ख) उपधारा (9घ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(9घ) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या अभिग्रहण के दौरान या उस तारीख से, जिसको तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकारों का निष्पादन किया गया था, साठ दिन की अवधि के भीतर,--

(i) धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को, या

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन किसी अन्य व्यक्ति या इकाई या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक को जैसा कि प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महा निदेशक या महा निदेशक द्वारा इस संबंध में ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो विहित की जाए, अनुमोदित किया जाए,

निर्देश कर सकेगा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा तथा, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।"।

(ग) स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण 1**–उपधारा (9क), उपधारा (9ख) और उपधारा (9घ) के प्रयोजनों के लिए, "तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार" को,--

(क) तलाशी के मामले में, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया जा चुका है, तैयार अंतिम पंचनामे में यथा अभिलिखित तलाशी के पूर्ण होने पर ; या

(ख) धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामले में, प्राधिकृत

अधिकारी द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर,

निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।'।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 133 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 133 का संशोधन ।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 134 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 134 का संशोधन ।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 135क की उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 135क का संशोधन ।

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।"।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 140ख की उपधारा (4) में, 1 अप्रैल, 2022 से,-- धारा 140ख का संशोधन ।

(i) प्रारंभिक भाग में, "यथास्थिति, जो निर्धारित कर के बराबर है, रकम पर की जाएगी या उतनी रकम पर, जितनी से संदत्त अग्रिम कर निर्धारिती कर से कम पड़ जाता है" शब्दों के स्थान पर, "जो निर्धारित कर के बराबर है, रकम पर की जाएगी" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के उपखंड (i) में, "पूर्वतर विवरणी" शब्दों के पश्चात्, ", यदि कोई हो," शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे और अंत:स्थापित किए गए समझे जाएंगे ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 142 में,-- धारा 142 का संशोधन ।

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(2क) यदि निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, उसकी लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं की मात्रा, लेखाओं के सही होने के बारे में संदेहों, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या निर्धारिती के कारबार क्रियाकलाप की विशेषीकृत प्रकृति को ध्यान में रखते हुए तथा राजस्व के हित में, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को निम्नलिखित एक या दोनों, अर्थात् :--

(i) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा लेखाओं की

संपरीक्षा करवाने तथा ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित विहित प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां संलग्न करते हुए, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने ;

(ii) प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित लागत लेखाकार द्वारा तालिका का मूल्यांकन करवाने तथा ऐसे लागत लेखाकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित विहित प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां संलग्न करते हुए, जो विहित की जाएं तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करने,

के लिए निदेशित कर सकेगा :

परंतु निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को लेखा इस प्रकार संपरीक्षित करवाने या तालिका का इस प्रकार मूल्यांकन करवाने के लिए निदेशित नहीं करेगा, यदि निर्धारिती को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है ;";

(ख) उपधारा (2घ) में,--

(i) "किसी संपरीक्षा के व्यय तथा उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "किसी संपरीक्षा या किसी तालिका मूल्यांकन, जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, लेखापाल या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में,--

(I) "किसी ऐसी संपरीक्षा के" शब्दों के स्थान पर, "किसी ऐसी संपरीक्षा या किसी ऐसी तालिका मूल्यांकन के" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) "किसी ऐसी संपरीक्षा के और उसके आनुषंगिक व्यय (जिनके अंतर्गत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "किसी ऐसी संपरीक्षा या किसी ऐसी तालिका मूल्यांकन (जिनके अंतर्गत, यथास्थिति, लेखापाल या लागत लेखापाल का पारिश्रमिक भी है)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "संपरीक्षा" शब्द के पश्चात् "या तालिका मूल्यांकन", शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण--**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "लागत लेखापाल" से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड 1959 का 23
(ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत है और जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता है ।'।

धारा 148 का संशोधन ।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 148 में,--

(क) "ऐसी अवधि के भीतर, जो ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए", शब्दों के स्थान पर, "उस मास के अंत से, जिसमें सूचना जारी की जाए, से तीन मास की अवधि के भीतर, या ऐसी और अवधि, जो निर्धारिती द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुज्ञात की जाए", शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि आय की कोई विवरणी, जिसका किसी निर्धारिती द्वारा इस धारा के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसे अनुज्ञात अवधि से परे प्रस्तुत किया गया है, को धारा 139 के अधीन विवरणी नहीं समझा जाएगा ।"।

धारा 149 का संशोधन ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 149 की उपधारा (1) में,--

(I) दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i), खंड (iii) और खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों के लिए, जहां किसी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के पश्चात्,--

(क) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है ; या

(ख) धारा 132 के अधीन कोई तलाशी, जिसके लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है ; या

(ग) धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई है,

और धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने की अवधि ऐसे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो रही है, वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148 के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा :

परंतु यह भी कि जहां धारा 148 के स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट जानकारी, यथास्थिति, धारा 131 या धारा 133क के अधीन लेखबद्ध किए गए किसी कथन या जब्त किए गए दस्तावेजों से निम्नलिखित के परिणामस्वरूप किसी वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को या उससे पूर्व आती है और जहां किसी वित्तीय वर्ष की 15 मार्च के पश्चात्,--

(क) कोई तलाशी, जो धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है ; या

(ख) कोई तलाशी, जिसके लिए धारा 132 के अधीन अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है ; या

(ग) कोई अध्यपेक्षा, जो धारा 132क के अधीन की गई है,

वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष कर 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा :";

(II) छठे परंतुक में, "परिसीमा की अवधि सात दिन से कम है" शब्दों के स्थान पर, "परिसीमा की अवधि सात दिन से अधिक नहीं होती है" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 151 का संशोधन ।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 151 में,--

(क) खंड (ii) में "जहां कोई प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक नहीं है वहां" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतुक खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, तीन वर्ष की अवधि की संगणना धारा 149 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक या चौथे परंतुक या पांचवें परंतुक द्वारा यथा अपवर्जित या छठवें परंतुक द्वारा बढ़ाई गई परिसीमा अवधि को हिसाब में लेने के पश्चात्, की जाएगी ।"।

धारा 153 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में,--

(I) उपधारा (1) में,--

(क) तीसरे परंतुक में, "या उसके पश्चात्" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह भी कि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण के आदेश के संबंध में इस उपधारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो "इक्कीस मास" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास" शब्द रख दिए गए हों ।";

(II) उपधारा (1क) में, "नौ मास" शब्दों के स्थान पर, "बारह मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपधारा (3) में,--

(क) "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्दों और अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(IV) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण या पुन: निर्धारण धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ किए जाने की या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित है, वहां उक्त उपधाराओं के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुन: निर्धारण के पूरा किए जाने के लिए उपलब्ध अवधि–

(क) उस मामले में, जहां ऐसी तलाशी धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है या ऐसी अध्यपेक्षा धारा 132क के अधीन की जाती है ;

(ख) ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज संबंधित है ;

(ग) ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई लेखाबहियां या दस्तावेज संबंधित है या उनमें अंतर्विष्ट कोई सूचना उससे संबंधित है,

बारह मास तक बढ़ा दी जाएगी ।";

(V) उपधारा (4) में, "उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (3क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(VI) उपधारा (5) में, "प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ;

(VII) उपधारा (6) में,--

(क) आरंभिक भाग में, "उपधारा (1) और उपधारा (2)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (i) में, "यथास्थिति," शब्द के पश्चात् "प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(VIII) स्पष्टीकरण 1 में,--

(क) खंड (iv) में,--

(i) आरंभिक भाग में, "संपरीक्षा" शब्दों के पश्चात्, "या तालिका मूल्यांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उपखंड (क) में, "ऐसी संपरीक्षा" शब्दों के पश्चात्, "या तालिका मूल्यांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) पहले परंतुक में, "उपधारा (1), उपधारा (2)," शब्दों, कोष्ठकों और

अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2)," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 154 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 154 में, उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 155 का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 155 में,--

(क) खंड (11क) में, "धारा 10क या" शब्दों, अंकों और अक्षर के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "धारा 10कक या" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2024 से अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (18) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(19) जहां किसी निर्धारिती द्वारा, जो चीनी के विनिर्माण के कारबार में नियोजित एक सहकारी समिति है, द्वारा गन्ने के क्रय के लिए उपगत किसी व्यय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और ऐसी कटौती को 1 अप्रैल, 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अननुज्ञात कर दिया गया है, तो निर्धारण अधिकारी, इस संबंध में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए किसी आवेदन के आधार पर उस विस्तार तक कि ऐसा व्यय उस कीमत पर उपगत किया जाता है, जो उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के समतुल्य है या उससे कम है, ऐसी कटौती को अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे पूर्ववर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुन:संगणना करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे तथा उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष की समाप्ति से गणना में लिया जाएगा ।";

(ग) उपधारा (19) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2023 से, अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'(20) जहां निर्धारिती द्वारा, धारा 139 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें "सुसंगत निर्धारण वर्ष" कहा गया है) के लिए प्रस्तुत आय की विवरणी में कोई आय सम्मिलित की गई है और ऐसी आय पर स्रोत से कर की कटौती की गई है और पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है, निर्धारण अधिकारी, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्रोत पर ऐसे कर की कटौती की गई थी, की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारण के आदेश या सुसंगत निर्धारण वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करते हुए किसी सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे और उस धारा की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को वित्त वर्ष के अंत से जिसमें ऐसे कर की कटौती की गई है, गणना में लिया

जाएगा :

परंतु स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को किसी अन्य निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।'।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 158क में, स्पष्टीकरण में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 158क का संशोधन ।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 158कख में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 158कख का संशोधन ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 170क के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- धारा 170क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

'170क. (1) धारा 139 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां, यथास्थिति, उच्च न्यायालय या अधिकरण या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 5 के खंड (1) में यथापरिभाषित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश कहा गया है) की तारीख से पूर्व, उस पूर्ववर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन इकाई द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो ऐसा उत्तराधिकारी, उस मास, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा । किसी कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश का प्रभाव ।

2016 का 31

(2) जहां उस पूर्ववर्ष से, जिसको कारबार पुनर्गठन के संबंध में आदेश लागू होता है, सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुन:निर्धारण कार्यवाहियां,--

(क) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को पूर्ण हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे आदेश के अनुसार और इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निर्धारण या पुन:निर्धारण में अवधारित सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करने वाला कोई आदेश पारित करेगा ;

(ख) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित हैं, वहां निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसार और इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण करने वाला आदेश पारित करेगा ।

(3) इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किए गए किसी निर्धारण या पुन: निर्धारण में इस अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे तथा ऐसे निर्धारण वर्ष को यथा लागू

दर या दरों पर कर प्रभार्य होंगे ।

स्पष्टीकरण–इस धारा में,–

(i) "कारबार पुनर्गठन" पद से एक या अधिक व्यक्तियों के कारबार का समामेलन या निर्विलयन या विलयन अंतर्वलित करने वाला कारबार का पुनर्गठन अभिप्रेत है ;

(ii) "उत्तराधिकारी" पद से किसी कारबार पुनर्गठन में सभी परिणामी कंपनियां अभिप्रेत है, चाहे वह कंपनी ऐसे कारबार पुनर्गठन के पूर्व अस्तित्व में थी या नहीं ।'।

धारा 177 का संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 177 में, उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 189 का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 189 में, उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 192क का संशोधन ।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 192क के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 193 का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक में खंड (ix) का लोप किया जाएगा ।

धारा 194ख का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख में,--

(i) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:--

"लाटरी या वर्ग पहेली, आदि से जीत ।";

(ii) दीर्घ पंक्ति में, "दस हजार रुपए से अधिक रकम" शब्दों के स्थान पर, "या जुआ से या किसी प्रकार के या किसी भी प्रकृति का दांव लगाने से, जो ऐसी रकम या रकमों का योग है जो वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) परंतुक के पश्चात्, 1 जुलाई, 2023 से निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् किसी आनलाइन खेल से जीत पर आय-कर की कटौती को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आनलाइन खेल" का वही अर्थ होगा, जो धारा 115खखञ के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ।'।

नई धारा 194खक का अंत:स्थापन ।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा, 1 जुलाई, 2023 से अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'आनलाइन खेल से जीत ।

194खक. (1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से

किसी आय को किसी व्यक्ति को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, प्रवृत्त दरों पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, विहित रीति में संगणित उसके उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत पर आय-कर की कटौती करेगा :

परंतु उस मामले में, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से रकम निकाली जाती है, तो आय-कर, ऐसी निकासी से मिलकर बनी शुद्ध जीत के साथ--साथ उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत की शेष रकम पर ऐसी निकासी के समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस रीति में, जो विहित की जाए, संगणित किया जाएगा ।

(2) उस मामले में, जहां शुद्ध जीत पूर्णतः वस्तु रूप में है अथवा भागतः नकद रूप में और भागतः वस्तु रूप में है किन्तु नकदी का भाग संपूर्ण जीत की बाबत कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जीत का निर्गम करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी शुद्ध जीत की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ।

(3) यदि इस धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, इसे जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और आय-कर प्राधिकारियों तथा आय-कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए,--

(क) "कंप्यूटर संसाधन", "इंटरनेट" और "आनलाइन खेल" के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः धारा 115खखञ में उनके हैं ;

(ख) "आनलाइन खेल मध्यवर्ती" से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है, जो एक या एक से अधिक आनलाइन खेल का प्रस्ताव करता है ;

(ग) "उपयोक्ता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो आनलाइन खेल मध्यवर्ती के किसी कंप्यूटर संसाधन तक पहुंचता है या उसका उपयोग करता है ;

(घ) "उपयोक्ता खाता" से किसी आनलाइन खेल मध्यवर्ती के साथ रजिस्ट्रीकृत किसी उपयोक्ता का खाता अभिप्रेत है ।'।

84. आय-कर अधिनियम की धारा 194खख में "दस हजार रुपए से अधिक रकम की", शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग की" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194खख का संशोधन ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ में, दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2023 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- धारा 194ढ का संशोधन ।

'परंतु यह भी कि जहां प्राप्तिकर्ता कोई सहकारी सोसाइटी है, वहां इस धारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन करोड़ रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।'।

धारा 194द का संशोधन ।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 194द में, स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 2**–शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपधारा (1) के उपबंध किसी फायदे या परिलब्धि को लागू होंगे, चाहे वह नकद रूप में या वस्तु रूप में या भागत: नकद रूप में और भागत: वस्तु रूप में हो ।"।

धारा 196क का संशोधन ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां धारा 90 की उपधारा (1) या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार पाने वाले को लागू होता है और यदि पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तब, उस पर आय-कर की, बीस प्रतिशत की दर पर या ऐसे करार में ऐसी आय के लिए उपबंधित आय-कर की दर पर या दरों पर, जो भी निम्नतर हो, कटौती की जाएगी ।"।

धारा 197 का संशोधन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, "धारा 194ठक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ", धारा 194ठखक" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 206कख का संशोधन ।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 206कख में, उपधारा (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा,--

(i) कोई अनिवासी व्यक्ति, जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया गया है ।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1छ) में, 1 जुलाई, 2023 से,--

(i) दीर्घ पंक्ति में, "पांच", शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) पहले परंतुक में, "तथा वह विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज के क्रय से प्रयोजन के लिए भिन्न है" शब्दों के स्थान पर, "तथा वह शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए है" शब्द रखे जाएंगे ;

(iii) दूसरे परंतुक में, "विदेशी पर्यटन कार्यक्रम पैकेज के क्रय से भिन्न प्रयोजन के लिए है" शब्दों के स्थान पर, "शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजनों के लिए हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 206गगक का संशोधन ।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक में, उपधारा (3) के परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह कि विनिर्दिष्ट व्यक्ति में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा,--

(i) कोई अनिवासी व्यक्ति, जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है ; या

(ii) ऐसा व्यक्ति, जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया गया है ।"।

धारा 241क का संशोधन ।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 241क में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2023 से लागू नहीं होंगे ।"।

धारा 244क का संशोधन ।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 244क में,--

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में, उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2023 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु जहां निर्धारिती द्वारा धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय उद्भूत होता है, वहां ऐसे ब्याज को, ऐसे आवेदन की तारीख से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय प्रदान किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा ।";

(ख) उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु किसी निर्धारिती की दशा में, जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं, वहां इस उपधारा के अधीन ऐसे निर्धारिती को संदेय अतिरिक्त ब्याज का अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करने में उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिसको धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, जिसको ऐसे मामले में ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, अपवर्जित की जाएगी ।"।

धारा 245 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन ।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 245 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

कतिपय मामलों में प्रतिदायों का मुजरा किया जाना और उनको रोके रखना ।

"245. (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी व्यक्ति को कोई प्रतिदाय देय हो जाता है या देय होना पाया जाता है, वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान मुख्य आयुक्त, प्रतिदाय के संदाय के बदले में, उस रकम का या उस रकम के किसी भाग का, जो प्रतिदत्त की जानी है, मुजरा ऐसी राशि के प्रति, यदि कोई हो, इस अधिनियम के अधीन उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी बाकी है, जिसे प्रतिदाय देय है, इस उपधारा के अधीन किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई ऐसे व्यक्ति को लिखित प्रज्ञापना देने के पश्चात् कर सकेगा ।

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन प्रतिदाय के किसी भाग का मुजरा किया गया है या जहां ऐसी किसी रकम का मुजरा नहीं किया गया है और प्रतिदाय किसी व्यक्ति को देय हो जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी की, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस निर्धारण या पुन: निर्धारण के लिए कार्यवाहियां ऐसे व्यक्ति की दशा में लंबित हैं, यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, और यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस तारीख तक, जिसको ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, प्रतिदाय को रोक सकेगा ।"।

धारा 245घ का संशोधन ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 245घ की उपधारा (9) में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 फरवरी, 2021 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"(iv) जहां उपधारा (6ख) के अधीन किसी आदेश को संशोधित करने या उसमें सुधार के लिए कोई आवेदन फाइल करने की समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 फरवरी, 2022 के पूर्व समाप्त होती है, तो ऐसी समय-सीमा का 30 सितंबर, 2023 तक विस्तार किया जाएगा ।"।

धारा 245डक का संशोधन ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 245डक की उपधारा (4) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।"।

धारा 245द का संशोधन ।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 245द की उपधारा (10) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।"।

अध्याय 20 का संशोधन ।

98. आय-कर अधिनियम के अध्याय 20 में,--

(क) उपशीर्ष "क. उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) को अपीलें" के स्थान पर, "क. संयुक्त आयुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) को अपीलें" उपशीर्ष रखा जाएगा ;

(ख) धारा 246 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेश ।

"246. (1) किसी निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे) के किसी भी निम्नलिखित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती–

(क) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना का कोई आदेश, जहां निर्धारिती कोई समायोजन करने के विरुद्ध आक्षेप करता है या धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती, निर्धारित की गई आय की रकम के प्रति आक्षेप करता है या अवधारित कर की रकम या संगणित हानि की

रकम या प्रास्थिति, जिसके अधीन उसका निर्धारण किया गया है, के किसी आदेश ;

(ख) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना के किसी आदेश ;

(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन संसूचना के किसी आदेश ;

(घ) धारा 201 के अधीन किसी आदेश ;

(ङ) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन संसूचना के किसी आदेश ;

(च) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश ;

(छ) अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के आदेश ;

(ज) धारा 154 या धारा 155 के अधीन पूर्वोक्त (क) से (छ) में उल्लिखित किसी भी आदेश को संशोधित करने के किसी आदेश,

के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा :

परंतु संयुक्त आयुक्त (अपील) के विरुद्ध कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, यदि इस उपधारा में निर्दिष्ट कोई आदेश, उपायुक्त की पंक्ति से ऊपर के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या उसके पूर्वानुमोदन से पारित किया गया है ।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध फाइल की गई कोई अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है, ऐसी अपील और उससे उदभूत किसी मामले को या ऐसी अपील के साथ संबद्ध मामले को, जो लंबित है, संयुक्त आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड या इस प्रकार बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी किसी अपील को, जो संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और उससे उदभूत या ऐसी अपील से संबंधित मामले को और जो लंबित है, को आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर होगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

(4) जब किसी अपील को उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाता है, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(5) केंद्रीय सरकार, संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा किसी अपील का निपटारा करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम

बना सकेगी, जिससे अपीलों का त्वरित रीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सहित संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में अंतरापृष्ठ का निरसन करके प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य परिमाण तक निपटान किया जा सके और यह निदेश दे सकेगी कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उस उपधारा के उपबंध किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्रास्थिति" से वह श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके अधीन निर्धारिती को "व्यष्टि", "हिन्दू अविभक्त कुटुंब" और वैसे ही निर्धारित किया गया है ।"।

धारा 249 का संशोधन ।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 249 में,--

(क) उपधारा (1) के आरंभिक भाग में, "1 अक्तूबर, 1998 को या उसके पश्चात् आयुक्त (अपील) को की गई", अंकों, शब्दों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् संयुक्त आयुक्त (अपील) को की गई" शब्द, अंक और कोष्ठक अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "आयुक्त (अपील)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) के परंतुक में, "आयुक्त (अपील)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 250 का संशोधन ।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 250 में,--

(क) उपधारा (1), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(6क) प्रत्येक अपील में, जहां यह संभव हो, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) उस वित्तीय वर्ष जिसमें, यथास्थिति, धारा 246 की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष ऐसी अपील फाइल की गई थी या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उसे अंतरित की गई थी या धारा 246क की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई थी, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।";

(ग) उपधारा (6ग) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित

किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।"।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 251 में,-- धारा 251 का संशोधन ।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "उपायुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

'(1क) किसी अपील का निपटारा करते समय, संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी,--

(क) किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह किसी निर्धारण की पुष्टि, उसमें कमी, उसमें वृद्धि या उसे रद्द कर सकेगा ;

(ख) शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह ऐसे किसी आदेश की पुष्टि या उसे रद्द कर सकेगा या उसे इस प्रकार परिवर्तित कर सकेगा कि उसके द्वारा लगाई गई शास्ति में या तो वृद्धि या उसमें कमी कर सकेगा ;

(ग) किसी अन्य मामले में, वह अपील में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिसे वह उचित समझे ;

(iii) उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(iv) स्पष्टीकरण में,--

(क) आरंभिक भाग में, "आयुक्त (अपील)", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "उपायुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "उपायुक्त (अपील) या संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)", शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 253 में,-- धारा 253 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,--

(अ) खंड (क) में, "धारा 271क," शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात् "धारा 271ककख, धारा 271ककग, धारा 271ककघ," शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(आ) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(कक) धारा 154, धारा 250, धारा 270क, धारा 271, धारा 271क, धारा 271ककग, धारा ककघ या धारा 271ञ के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश ; या";

(इ) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) निम्नलिखित द्वारा पारित कोई आदेश,--

(i) धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन या धारा 263 के अधीन या धारा 270क के अधीन या धारा 271 के अधीन या धारा 272क के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त या उसके द्वारा ऐसे किसी आदेश का संशोधन करने वाला धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश ; या

(ii) धारा 263 या धारा 272क के अधीन किसी प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान निदेशक या निदेशक या उसके द्वारा किसी ऐसे आदेश का संशोधन करने वाला धारा 154 के अधीन पारित कोई आदेश ; या";

(ख) उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,--

(i) "आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ii) "आयुक्त (अपील) के आदेश के किसी भाग" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) के ऐसे आदेश के किसी भाग" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 264 का संशोधन ।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 264 में, उपधारा (4) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 267 का संशोधन ।

104. आय-कर अधिनियम की धारा 267 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 269धध का संशोधन ।

105. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध में,--

(क) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह भी कि इस धारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे दिए गए हों किसी निक्षेप या ऋण की दशा में वहां रख दिए गए हों, जहां,--

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्य द्वारा ऐसे निक्षेप को स्वीकार किया गया है ; या

(ख) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्य द्वारा ऐसे ऋण को स्वीकार किया गया है ।';

(ख) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ii) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी", "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनके धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में उनके हैं ;'।

106. आय-कर अधिनियम की धारा 269न में,-- धारा 269न का संशोधन ।

(क) दूसरे परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'परंतु यह भी कि इस धारा के उपबंधों का वैसे ही प्रभाव होगा, मानो "बीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे दिए गए हों किसी निक्षेप या ऋण की दशा में वहां रख दिए गए हों, जहां,--

(क) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्य द्वारा ऐसे निक्षेप को संदत्त किया गया है ; या

(ख) किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्य द्वारा ऐसे ऋण को पुन:संदत्त किया गया है ।';

(ख) स्पष्टीकरण में खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(ii) "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी", "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमशः उनके हैं ;'।

107. आय-कर अधिनियम की धारा 270क में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 270क का संशोधन ।

108. आय-कर अधिनियम की धारा 270कक की उपधारा (6) में, "वहां धारा 246क के अधीन कोई अपील" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "वहां धारा 246 या धारा धारा 270कक का संशोधन ।

246क के अधीन कोई अपील" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 271 का संशोधन ।

109. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271क का संशोधन ।

110. आय-कर अधिनियम की धारा 271क में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ककग का संशोधन ।

111. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ककघ का संशोधन ।

112. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 271ग का संशोधन ।

113. आय-कर अधिनियम की धारा 271ग की उपधारा (1) में,--

(अ) खंड (ख) में,--

(I) "संदाय करने में" शब्दों के स्थान पर, "संदाय करने या सुनिश्चित करने में" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपखंड (i) में, "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(III) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"(iii) धारा 194द की उपधारा (1) का पहला परंतुक ; या

(iv) धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक,";

(IV) वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा अंत:स्थापित उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 जुलाई, 2023 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(v) धारा 194खक की उपधारा (2),";

(आ) दीर्घ पंक्ति में, "कटौती करने में या उसका संदाय" शब्दों के स्थान पर, "कटौती करने में या उसका संदाय करने में या संदाय सुनिश्चित" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 271चकक का संशोधन ।

114. आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"वहां, धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।

(2) जहां, धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्ति की

दशा में, जिससे उस धारा के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), विवरण में गलत सूचना प्रदान करता है और ऐसे विवरण में गलती सुसंगत रिपोर्ट योग्य लेखे या लेखाओं के धारक या धारकों द्वारा प्रस्तुत मिथ्या या गलत सूचना के परिणामस्वरूप है, धारा 285खक की उपधारा (1) में विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश देगा कि रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था शास्ति के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्ट योग्य गलत खाते के लिए उपधारा (1) के अधीन शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगी और रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था, ऐसे रिपोर्ट योग्य खाताधारक के निमित्त इस प्रकार संदत्त धनराशि को वसूल करने की या उसके कब्जे में की, किन्हीं धनराशियों को या जो उसे ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाताधारक से प्राप्त हो, इस प्रकार संदत्त धनराशि के समतुल्य रकम को प्रतिधारित करने की हकदार होगी ।"।

धारा 271ञ का संशोधन ।

115. आय-कर अधिनियम की धारा 271ञ में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 274 का संशोधन ।

116. आय-कर अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2ख) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2022 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संशोधन कर सकेगी ।"।

धारा 275 का संशोधन ।

117. आय-कर अधिनियम की धारा 275 में,--

(क) "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "आयुक्त (अपील) को" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) को" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 276क का संशोधन ।

118. आय-कर अधिनियम की धारा 276क में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"परंतु यह और कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।"।

धारा 276ख का संशोधन ।

119. आय-कर अधिनियम की धारा 276ख में,--

(अ) आरंभिक भाग में, "केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(आ) खंड (क) में, "कटौती किए गए कर" शब्दों के स्थान पर, "कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में" शब्द रखे जाएंगे;

(इ) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(ख) केंद्रीय सरकार के जमा खाते में,--

(i) धारा 115ण की उपधारा (2) ;

(ii) धारा 194ख के परंतुक ;

(iii) धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परंतुक ;

(iv) धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक,

की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर का संदाय करना या कर का संदाय सुनिश्चित करना ,";

(ई) वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा प्रतिस्थापित खंड (ख) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 जुलाई, 2023 से अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(v) धारा 194खक की उपधारा (2) ;"।

धारा 279 का संशोधन ।

120. आय-कर अधिनियम की धारा 279 की उपधारा (1) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 287 का संशोधन ।

121. आय-कर अधिनियम की धारा 287 में, उपधारा (2) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 295 का संशोधन ।

122. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में,--

(i) खंड (ङङग) में, "लेखापरीक्षा" शब्द के पश्चात्, "या तालिका मूल्यांकन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (ङङ) में, "आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 25 का संशोधन ।

123. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 25 की उपधारा (4क) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 1962 का 52

"परंतु यह और कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, निम्नलिखित को या उसके संबंध में प्रदान की गई ऐसी किसी छूट को लागू नहीं होगी,--

(क) बहुपक्षीय या द्विपक्षीय व्यापार करार ;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय करारों, संधियों या अभिसमयों के अधीन बाध्यताएं,

जिनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों, राजनयिकों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में बाध्यताएं भी हैं ;

(ग) सांविधानिक प्राधिकारियों के विशेषाधिकार ;

(घ) विदेशी व्यापार नीति के अधीन स्कीमें ;

(ङ) केंद्रीय सरकार की ऐसी स्कीमें, जिनकी दो वर्ष से अधिक विधिमान्यता है ;

(च) उपहार या वैयक्तिक सामान के रूप में पुनःआयात किए गए माल, अस्थायी आयात या आयातित माल ;

(छ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई सीमाशुल्क, जिसके
1975 का 51 अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 12 के अधीन उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क से भिन्न, धारा 3 की उपधारा (7) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर सम्मिलित है, ; या

124. सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 127ग में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 127ग का संशोधन ।

"(8क) उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश उस मास, जिसमें धारा 127ख के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, के अंतिम दिन से नौ मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा, और यदि उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा तथा न्यायनिर्णयन प्राधिकारी, जिसके समक्ष आवेदन करने के समय कार्यवाही लंबित थी, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार आवेदन का निपटारा करेगा, मानो उक्त धारा के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया था :

परंतु इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, तीन मास से अनधिक की और अवधि के लिए समझौता आयोग द्वारा बढ़ायी जा सकेगी :

परंतु यह और कि उस तारीख को, जिसको वित्त विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, उपधारा (5) के अधीन लंबित किसी आवेदन के संबंध में नौ मास की उक्त अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिसको उक्त वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है ।"।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51 **125.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में, 1 जनवरी, 1995 से,-- धारा 9, धारा 9क और धारा 9ग का संशोधन ।

(i) धारा 9 में,--

(क) उपधारा (6) के पहले परंतुक में, "किसी पुनर्विलोकन में" शब्दों के स्थान पर, "किसी पुनर्विलोकन पर विचार किए जाने में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (7) में, "और अवधारित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) धारा 9क में,--

(क) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, "किसी पुनर्विलोकन में" शब्दों के स्थान पर, "किसी पुनर्विलोकन पर विचार किए जाने में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (6) में, "और अवधारित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) धारा 9ग में,--

(क) उपधारा (1) में, "के आदेश" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, ''आदेश'' शब्द के स्थान पर, ''अवधारण या पुनर्विलोकन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, ''आदेश'' शब्द के स्थान पर, ''अवधारण या पुनर्विलोकन'' शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'**स्पष्टीकरण--**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अवधारण" या "पुनर्विलोकन" से अधिनियम की धारा 8ख, धारा 9, धारा 9क और धारा 9ख के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित रीति में अवधारण या पुनर्विलोकन अभिप्रेत है ।'।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

126. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का,--

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ;

(ग) 1 मई, 2023 से चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची का संशोधन ।

127. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची, 1 मई, 2023 से पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम

धारा 10 का संशोधन ।

128. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 में,-- 2017 का 12

(क) उपधारा (2) के खंड (घ) में, "माल या" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2क) के खंड (ग) में, "माल या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 16 का संशोधन ।

129. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,--

(i) दूसरे परंतुक में, "उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके द्वारा संदत्त किया जाएगा" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) तीसरे परंतुक में, "उसके द्वारा किए गए संदाय" शब्दों के पश्चात्, "उसके द्वारा आपूर्तिकर्ता को किए गए संदाय" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

130. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 में,-- धारा 17 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में, "अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा ।" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"निम्नलिखित के सिवाय, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,--

(i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य ; और

(ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किए जाएं";

(ख) उपधारा (5) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाओं या दोनों
2013 का 18 का, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं ;"।

131. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 23 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 23 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"23. धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी,-- व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं हैं ।

(क) निम्नलिखित व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं होंगे, अर्थात् :--

(i) कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के कारबार में अनन्य रूप से लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन
2017 का 13 या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन कर के लिए दायी नहीं है या जिन्हें कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त है ;

(ii) कोई कृषक, भूमि की खेती की उपज की पूर्ति के विस्तार तक ;

(ख) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे व्यक्तियों का प्रवर्ग, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने

से छूट दी जा सकेगी, विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।"।

धारा 37 का संशोधन ।

132. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उक्त ब्यौरों को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।"।

धारा 39 का संशोधन ।

133. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (10) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात्, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए, उक्त विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।"।

धारा 44 का संशोधन ।

134. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।"।

135. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (14) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 52 का संशोधन ।

"(15) किसी प्रचालक को, उपधारा (4) के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की नियत तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीन उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से उक्त तीन वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी ।"।

136. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) में, "जिसके अंतर्गत अंतिमत: स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की रकम नहीं है," शब्दों का लोप किया जाएगा । धारा 54 का संशोधन ।

137. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 में, "आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, तथा ऐसी रीति में संगणित किए जाने वाले, ऐसे आवेदन के प्राप्ति की तारीख से ऐसे कर के प्रतिदाय की तारीख तक, साठ दिन से परे विलंब की ऐसी अवधि के लिए" शब्द रखे जाएंगे । धारा 56 का संशोधन ।

138. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में, उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-- धारा 122 का संशोधन ।

"(1ख) कोई इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक, जो–

(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट प्राप्त व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति ऐसी पूर्ति करने के लिए अनुज्ञात करता है ;

(ii) इसके माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर्राज्यिक पूर्ति अनुज्ञात करता है, जो ऐसी अंतर्राज्यिक पूर्ति करने के लिए पात्र नहीं है ; या

(iii) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की किसी जावक पूर्ति के धारा 52 की उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न, यदि ऐसी पूर्ति किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गई होती, तो दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर की रकम के समतुल्य रकम की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा, जो भी उच्चतर हो ।"।

धारा 132 का संशोधन ।

139. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,--

(क) खंड (छ), खंड (ञ) और खंड (ट) का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (ठ) में, "खंड (क) से खंड (च)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) से खंड (च) और खंड (ज) से खंड (झ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iii) में, "जहां कर अपवंचन" शब्दों के स्थान पर, "खंड (ख) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध की दशा में, जहां कर अपवंचन" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(घ) खंड (iv) में, "या खंड (छ) या खंड (ज)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा ।

धारा 138 का संशोधन ।

140. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 138 में,--

(क) उपधारा (1) के पहले परंतुक में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(क) किसी व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (च), खंड (ज) और खंड (झ) तथा खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किन्हीं के संबंध में शमन के लिए एक बार अनुज्ञात किया गया है;";

(ii) खंड (ख) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई अपराध करने का अभियुक्त रहा है ;";

(iv) खंड (ङ) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में "न्यूनतम दस हजार रुपए या अंतर्वलित कर के पचास प्रतिशत से, इनमें से जो भी उच्चतर हों, के अधीन रहते हुए और अधिकतम रकम तीस हजार रुपए या कर के एक सौ पचास प्रतिशत, इनमें से जो भी उच्चतर हो," शब्दों के स्थान पर "अंतर्वलित कर के पच्चीस प्रतिशत और अधिकतम रकम अंतर्वलित कर के सौ प्रतिशत से अनधिक" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 158क का अंतःस्थापन ।

141. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 158 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को सम्मति के आधार पर साझा करना ।

"158क. (1) धारा 133, धारा 152 और धारा 158 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित ब्यौरों को, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ, अधिसूचित सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, अर्थात् :--

(क) धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में प्रस्तुत विशिष्टियां या धारा 39 या धारा 44 के अधीन फाइल की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए ब्यौरे ;

(ख) बीजक के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत जावक पूर्तियों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेजों के सृजन के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड की गई विशिष्टियां ;

(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ब्यौरों को साझा करने के प्रयोजनों के लिए,--

(क) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में पूर्तिकर्ता की सहमति ; और

(ख) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन और उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन प्रस्तुत ब्यौरों के संबंध में प्राप्तिकर्ता की सहमति केवल जहां ऐसे ब्यौरों के अंतर्गत प्राप्तिकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी भी है, ऐसे प्ररूप और रीति में अभिप्राप्त की जाएगी, जो विहित की जाए ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई जानकारी के पारिणामिक उद्भूत होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा सुसंगत पूर्ति पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर संदाय करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।"।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 में कतिपय क्रियाकलापों और संव्यवहारों के लिए भूतलक्षी छूट ।

142. (1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 7 और पैरा 8 और उसके स्पष्टीकरण 2 (2018 के अधिनियम सं. 31 की धारा 32 द्वारा यथा अंत:स्थापित) को 1 जुलाई, 2017 से अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा । 2017 का 12

(2) ऐसे सभी कर का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिसे संग्रहित किया गया है किंतु जिसे संग्रहित नहीं किया गया होता यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

एकीकृत माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

2017 का 13 **143.** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,--

(क) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

'(16) "गैर-करादेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता" से ऐसा कोई अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जो करादेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है ।

'**स्पष्टीकरण**–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति" पद के

अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के खंड (vi) के निबंधनानुसार एकमात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत है ।'; 2017 का 12

(ख) खंड (17) में, "आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 12 का संशोधन ।

144. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप किया जाएगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

भाग 1

सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 का संशोधन

इस भाग का प्रारंभ ।

145. इस भाग के उपबंध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

1873 के अधिनियम सं0 5 का संशोधन ।

146. सरकारी बचत संवर्द्धन अधिनियम, 1873 में,--

(क) धारा 4क में, उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(4) यदि किसी जमाकर्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय कोई नामनिर्देशन प्रवृत्त नहीं है तथा उसकी विल का प्रोबेट या संपदा का प्रशासन पत्र या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अधीन अनुदत्त उत्तराधिकार-प्रमाणपत्र या अधिकारिता वाले तहसीलदार से अन्यून रैंक के राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र, प्राधिकृत अधिकारी को जमाकर्ता की मृत्यु होने की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो जहां पात्र जमा राशि में ऐसी सीमा से, जो विहित की जाए, अधिक नही है, तो प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाए, पात्र जमा राशि का ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसी प्रक्रिया और रीति में, जो विहित की जाए, संदाय कर सकेगा, जो उसको प्राप्त करने के लिए या मृतक की संपदा का प्रशासन करने के लिए विधिक रूप से हकदार हो ।"; 1925 का 39

(ख) धारा 15 की उपधारा (2) में, खंड (झ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(i) धारा 4क की उपधारा (4) के अधीन सीमा, प्रक्रिया और रीति ;";

(ग) अनुसूची के भाग क में, क्रम संख्यांक 7 और 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"7. लोक भविष्य निधि स्कीम

8. राष्ट्रीय बचत पत्र (आठवां इश्यू) स्कीम, 2019

9. किसान विकास पत्र स्कीम, 2019

10. बालकों के लिए पीएम केयर्स स्कीम, 2021"।

भाग 2

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन

147. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 के प्रभाग घ में, "छूट" शीर्ष के अधीन "डाक विभाग महानिदेशालय" से प्रारंभ होने वाले और "बीमा के नियमों के अनुसार निगमित की गई है ।" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-- 1899 के अधिनियम सं0 2 का संशोधन ।

"जीवन बीमा पालिसियां--

(क) केंद्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन डाकघर महानिदेशक द्वारा जारी डाक जीवन बीमा नियमों के अनुसार अनुदत्त ; और

(ख) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अधीन ।"।

भाग 3

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 का संशोधन

148. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 18क के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-- 1956 के अधिनियम सं0 42 का संशोधन ।

'(खक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 4 के अधीन स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता द्वारा जारी । (2019 का 50)

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा, जो इसका विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 46 के अधीन बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर--ऋण लिखत) नियम, 2019 के नियम 2 के खंड (प) में है ;'। (1999 का 42)

भाग 4

केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 का संशोधन

1956 का 74

149. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 19 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"19. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण इस अधिनियम के अधीन धारा 6क और धारा 9 के अधीन आने वाले अंतरराज्यीय विवादों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण होगा ।"। (1962 का 52) इस अधिनियम के अधीन सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण का प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।

धारा 24 का लोप ।

150. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 24 का लोप किया जाएगा ।

धारा 25 का संशोधन ।

151. केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3) धारा 20 के अधीन फाइल की गई तथा तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष उस तारीख को लंबित सभी अपीलें, जिसको वित्त विधेयक, 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, धारा 19 में निर्दिष्ट प्राधिकरण को अंतरित हो जाएंगी ।"।

भाग 5

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 के अधिनियम सं0 45 का संशोधन ।

बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 में, 1 अप्रैल, 2023 से,--

(क) धारा 2 के खंड (18) में,--

(I) उपखंड (i) के अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(II) उपखंड (ii) के अंत में, "और" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा ;

(III) उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(iii) वह उच्च न्यायालय, जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रारंभक अधिकारी का कार्यालय अवस्थित है,--

(क) जहां व्यथित पक्षकार किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है ;

(ख) जहां सरकार एक व्यथित पक्षकार है और प्रत्यर्थियों में से कोई भी प्रत्यर्थी किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है;";

(ख) धारा 46 में,--

(i) उपधारा (1) में, "उस आदेश की तारीख से" शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश प्रारंभक अधिकारी या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) में, "उस आदेश की तारीख से" शब्दों के स्थान पर, "उस तारीख से, जिसको ऐसा आदेश ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है," शब्द रखे जाएंगे ।

भाग 6

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

153. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का, छठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन किया जाएगा । 2001 के अधिनियम सं0 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन ।

भाग 7

भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन

154. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 में, 1 अप्रैल, 2023 से,-- 2002 के अधिनियम संख्यांक सं0 58 का संशोधन ।

(क) धारा 8 की उपधारा (1) में, "विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर" शब्दों के स्थान पर, "विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर या ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (1) में, "31 मार्च, 2023" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर, 2023" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा

यह घोषणा की जाती है कि यह लोकहित में समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 126 के उपखंड (क) और खंड 153 के उपबंध, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रभावी होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है ।	1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय या लाभांश के रूप में आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में,–

(क) जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,-

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से;

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से;

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,–

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,–

(i) जहां पूर्ववर्ष 2020-2021 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ।

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है, —	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,–

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह

प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:–

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,–	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,–	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर–	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी	

ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;

(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;

(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ;

(vii) किसी अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,–

(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,–

(अ) विनिधान से किसी आय पर — 20 प्रतिशत ;

(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में अन्य आय पर — 20 प्रतिशत ;

(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 15 प्रतिशत ;

(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) — 20 प्रतिशत ;

(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है — 10 प्रतिशत ;

(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार — 10 प्रतिशत ;

किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर	30 प्रतिशत ;
(अः) लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऑ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,–	
(अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त	10 प्रतिशत ;

औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर

(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय — 30 प्रतिशत ;

(ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 15 प्रतिशत ;

(ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर — 10 प्रतिशत ;

(औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] — 20 प्रतिशत ;

(अं) लाभांश के रूप में आय पर — 20 प्रतिशत ;

(अः) अन्य सम्पूर्ण आय पर — 30 प्रतिशत ।

2. किसी कंपनी की दशा में,–

(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,–

(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ।

(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर — 30 प्रतिशत ;

(iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(v) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;

(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,–

(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय	30 प्रतिशत ;
(iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसरण में है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]–	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,–	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(viii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(x) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक आय पर	10 प्रतिशत ;
(xi) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(xii) लाभांश के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(xiii) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण–इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,–

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,–

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,–

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से

अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि जहां ऐसे व्यक्ति की आय आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन कर से प्रभार्य है, अधिभार की दर पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, वहां ऐसे कर के सात प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ग) प्रत्येक फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से,

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी

कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,–

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 194त के अधीन काटा जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकग या धारा 115खकघ या धारा 115खकङ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115खखज या धारा 115खखझ या धारा 115खखञ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :–

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,–

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;

(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	10,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,10,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है	1,00,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की

धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जिसकी कुल आय (जिसमें लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु उस दशा में, जिसमें कुल आय में लाभांश के रूप में आय या आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बनी है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो

करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ; और

(घ) जिसकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है	1,000 रुपए **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है	3,000 रुपए **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,–

क. जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से

ख. जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,–

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,–

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,–

(i) जहां पूर्ववर्ष 2021-2022 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न	कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,–

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,–

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परन्तु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3–आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4–इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में–

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज़ लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है,

ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5–जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6–जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परन्तु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7–राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8–(1) जहां निर्धारिती की, 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल

के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2024 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,–

(i) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2022 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2023 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2024 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए

निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2022 (2022 का 6) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9–जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10–आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11–निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 126(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) अध्याय 29 में,--

(i) टैरिफ मद 2902 50 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2903 21 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 40 में, शीर्ष 4005 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25% या 30 रु. प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 71 में,--

(i) शीर्ष 7113 और शीर्ष 7114 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 7117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "25% या 600 रु. प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8414 60 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 87 में, टैरिफ मद 8712 00 10 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(6) अध्याय 95 में, शीर्ष 9503 की सभी टैरिफ मदों सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 126(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4011 30 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 71 में,--

(i) शीर्ष 7106 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7107 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 7108 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 7109 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 7110 11 00, 7110 11 20, 7110 19 00, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00 और 7110 49 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 7111 00 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) शीर्ष 7112 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) शीर्ष 7118 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 88 में, टैरिफ मद 8802 20 00, 8802 30 00 और 8802 40 00 के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 98 में,--

(क) टैरिफ मद 9801 के स्तंभ (2) में,--

(i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना";

(ii) मद (6) में, "ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपशीर्ष 9801 00 के स्तंभ (2) में,--

(i) मद 3 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(3) सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना";

(ii) मद (6) में, "ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे" शब्दों के स्थान पर, "सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न ऐसी अन्य परियोजनाएं जिन्हें केंद्रीय सरकार इस निमित्त राजपत्र में देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) टैरिफ मद 9801 00 13 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"..... सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना के लिए ";

(घ) टैरिफ मद 9801 00 19 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :--

"..... सौर विद्युत संयंत्र या सौर विद्युत परियोजना से भिन्न विद्युत परियोजना के लिए"।

चौथी अनुसूची

[धारा 126(ग) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,--

(1) साधारण स्पष्टीकारक टिप्पणों के पैरा 1 में, ''जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन'' शब्दों से आरंभ होने वाले भाग और वस्तु या वस्तु के समूह, जो "-" या "--" है ।' शब्दों के साथ समाप्त होता है, के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह का वर्णन "----" से पहले आता है, "-" या "--" का उपवर्गीकरण होने के अतिरिक्त, उक्त वस्तु या वस्तुओं के समूह को ऐसी वस्तु या वस्तुओं के समूह से ठीक पहले के उपवर्गीकरण के रूप में भी माना जा सकेगा है, जो "---" रखता है ।';

(2) प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रयुक्त संक्षेपाक्षरों की सूची

संक्षेपाक्षर		**के स्थान पर**
"एसी	से अभिप्रेत है	प्रत्यावर्ती धारा
एएमपीएस	से अभिप्रेत है	एम्पियर
एएसटीएम	से अभिप्रेत है	अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मैटिरियल्स
बीक्यू	से अभिप्रेत है	बेक्करेल(बेक्करेल्स)
बीक्यू/जी	से अभिप्रेत है	प्रति ग्राम बेक्यूयर
°सी	से अभिप्रेत है	डिग्री सेल्सियस
सीसी	से अभिप्रेत है	घन सेंटीमीटर
सीजी	से अभिप्रेत है	सेंटीग्राम
सीआई/जी	से अभिप्रेत है	क्यूरी प्रति ग्राम
सीआईएफ	से अभिप्रेत है	लागत, बीमा और माल भाड़ा
सी/के	से अभिप्रेत है	कैरेट (1 मिट्रिक कैरेट = $2x10^{-4}$ किलोग्राम)
सीएम	से अभिप्रेत है	सेंटीमीटर
सीएम^2	से अभिप्रेत है	वर्ग सेंटीमीटर
सीएम^3	से अभिप्रेत है	घन सेंटीमीटर
सीएन	से अभिप्रेत है	सेंटीन्यूटन
डीसी	से अभिप्रेत है	दिष्ट धारा
डीवाईएनई/सीएम	से अभिप्रेत है	डायन प्रति सेंटीमीटर
जी	से अभिप्रेत है	ग्राम
जी/सीएम^3	से अभिप्रेत है	ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
जी/एम^2	से अभिप्रेत है	ग्राम प्रति वर्ग मीटर
जीआई/एफएस	से अभिप्रेत है	फिसाइल आइसोटोप का ग्राम
जीवीडब्ल्यू	से अभिप्रेत है	सकल यान भार

जीवाई	से अभिप्रेत है	ग्रे
एचपी	से अभिप्रेत है	अश्व शक्ति
एचजेड	से अभिप्रेत है	हर्ट्ज
आईआर	से अभिप्रेत है	इन्फ्रा-रेड
के	से अभिप्रेत है	केल्विन
केसीएएल	से अभिप्रेत है	किलोकैलोरी
केसीएएल/ केजी	से अभिप्रेत है	किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम
केजीएफ	से अभिप्रेत है	किलोग्राम बल
केएन	से अभिप्रेत है	किलोन्यूटन
केएन/एम	से अभिप्रेत है	किलोन्यूटन प्रति मीटर
केपीए	से अभिप्रेत है	किलो पास्कल
केपीए.एम^2/जी	से अभिप्रेत है	प्रति ग्राम किलो पास्कल वर्ग मीटर
केवी	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट
केवीए	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट-एम्पियर
केवीएआर	से अभिप्रेत है	किलोवोल्ट-एम्पियर - प्रति क्रियाशील
केडब्ल्यू	से अभिप्रेत है	किलोवाट
केडब्ल्युएच	से अभिप्रेत है	किलोवाट घंटे
एल	से अभिप्रेत है	लीटर
एम	से अभिप्रेत है	मीटर
एम-	से अभिप्रेत है	मेटा-
एम^2	से अभिप्रेत है	वर्गमीटर
एम^3	से अभिप्रेत है	घन मीटर
एम^3/एच	से अभिप्रेत है	घनमीटर प्रतिघंटा
µसीआई	से अभिप्रेत है	माइक्रोक्यूरी
एमएम	से अभिप्रेत है	मिलीमीटर
एमएन	से अभिप्रेत है	मिलीन्यूटन
एमपीए	से अभिप्रेत है	मिलीपास्कल
एमटी	से अभिप्रेत है	मिट्रिकटन
एमडब्ल्यू	से अभिप्रेत है	मेगावाट
एन	से अभिप्रेत है	न्यूटन
एन/एम	से अभिप्रेत है	न्यूटन प्रति मीटर
एनओ.	से अभिप्रेत है	संख्या
ओ-	से अभिप्रेत है	आर्थो-
पी-	से अभिप्रेत है	पैरा-

पीए	से अभिप्रेत है	जोड़ों की संख्या
आरएडी	से अभिप्रेत है	अवशोषित विकिरण खुराक
आरएस.	से अभिप्रेत है	रुपया
एसक्यू.	से अभिप्रेत है	वर्ग
एसडब्ल्यूजी	से अभिप्रेत है	मानक वायर गेज
टी	से अभिप्रेत है	टन
टीयू	से अभिप्रेत है	हजार की संख्या में
यू	से अभिप्रेत है	संख्या
यूएस$	से अभिप्रेत है	अमेरिकी डालर
यूवी	से अभिप्रेत है	परा-बैंगनी
वी	से अभिप्रेत है	वोल्ट
वीओएल.	से अभिप्रेत है	वाल्यूम
डब्ल्यू	से अभिप्रेत है	वाट
%	से अभिप्रेत है	प्रतिशत
x°	से अभिप्रेत है	एक्स डिग्री
1000 केडब्ल्यूएच	से अभिप्रेत है	1000 किलोवाट घंटे";

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
			मानक	अधिमानी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(3) अध्याय 3 में,--

(i) शीर्ष 0302 में,--

(क) उपशीर्ष 0302 91, टैरिफ मद 0302 91 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"0302 91 00	--	यकृत, मत्स्यांड और मत्स्यशुक्र	कि.ग्रा.	30%	-";

(ख) उपशीर्ष 0302 92, टैरिफ मद 0302 92 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"0302 92 00	--	शार्क मीनपक्ष	कि.ग्रा.	30%	-";

(ii) शीर्ष 0303 में, उपशीर्ष 0303 92, टैरिफ मद 0303 92 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"0303 92 00	--	शार्क मीनपक्ष	कि.ग्रा.	30%	-";

(iii) शीर्ष 0307 में, टैरिफ मद 0308 43 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“0307 43 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(iv) शीर्ष 0308 में, टैरिफ मद 0308 30 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“0308 30 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(4) अध्याय 4 के शीर्ष 0406 में, टैरिफ मद 0406 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“0406 10	-	ताजा (अपक्व या असंसाधित) पनीर, जिसके अंतर्गत छेना पानी पनीर और दही है			
0406 10 10	---	मोजरैला पनीर	कि.ग्रा.	30%	-
0406 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-”;

(5) अध्याय 9 के शीर्ष 0910 में, टैरिफ मद 0910 99 29 से टैरिफ मद 0910 99 39 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“0910 99 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
0910 99 30	---	भूसी	कि.ग्रा.	30%	-”;

(6) अध्याय 10 के शीर्ष 1008 में,--

(i) टैरिफ मद 1008 21 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“1008 21 40	---	सांवां (एकिनोक्लोवा एस्कुलेन्टा (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 50	---	प्रोसो (पैनिकम मिलिएसियम (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 60	---	बांदा (सेटेरिया इटेलिका (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 70	---	कोदो (पासपेलम स्क्रोबिकोलेटम (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 80	---	कुटकी (पैनिकम सुमात्रेन्सी (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
	---	अन्य :			
1008 21 91	----	चौलाई (एमेरेंथस (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 21 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	50%	-”;

(ii) टैरिफ मद 1008 29 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“1008 29 40	---	सांवां (एकिनोक्लोवा एस्कुलेन्टा (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 50	---	प्रोसो (पैनिकम मिलिएसियम (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 60	---	बांदा (सेटेरिया इटेलिका (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 70	---	कोदो (पासपेलम स्क्रोबिकोलेटम (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 80	---	कुटकी (पैनिकम सुमात्रेन्सी (एल.))	कि.ग्रा.	50%	-

	---	अन्य :			
1008 29 91	----	चौलाई (एमेरेंथस *(*एल.))	कि.ग्रा.	50%	-
1008 29 99	----	अन्य	कि.ग्रा.	50%	-";

(7) अध्याय 12 में, शीर्ष 1211 के उपशीर्ष 1211 90, टैरिफ मद 1211 90 11 to 1211 90 99 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1211 90	-	अन्य *:*			
	---	बीज, गिरी, बीजकवच, फल, पेरीकार्प, फल छिलका, एंडोस्पर्म, मीजोकार्प, एन्डोकार्प *:*			
1211 90 11	----	मुश्कदाना बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 12	----	नक्सवोमिका, सूखे पके बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 13	----	इसबगोल बीज (इसबगोल)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 14	----	नीम बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 15	----	जोजोबा बीज	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 16	----	गार्सीनिया	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	पत्तियां, पत्ती की कली, वृक्षव्रण, पुष्प, पुष्पक्रम, फूल मंजरी, पुष्पकली, स्टाइल और स्टिग्मा, स्टेमेन और फलियां *:*			
1211 90 21	----	बेलाडोना पत्तियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 22	----	सेना पत्तियां और फलियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 23	----	नीम पत्तियां	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 24	----	जिम्नेमा	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 25	----	क्यूबेब	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 26	----	पाइरेथ्रम	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	छाल, भूसी और छिलका *:*			
1211 90 31	----	कैसकारा सैग्राडा छाल	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 32	----	इसबगोल भूसी (इसबगोल भूसी)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 33	----	कांबोज फल छिलका	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 34	----	अशोक (सैरेका असोका.)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 35	----	अर्जुन (टर्मिनेलिया अर्जुन)	कि.ग्रा.	30%	-

1211 90 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	जड़ें, जड़ वृंत, बल्व, कार्न, ट्यूबर, स्टोलन और राइजोम :			
1211 90 41	----	बेलाडोना जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 42	----	गलनगल राइजोम और जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 43	----	इपेकाक सूखे राइजोम और जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 44	----	सर्पगंधा जड़ें (राउवाल्फिया सरपेंटिना और अन्य राउवाल्फिया की अन्य प्रजातियां)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 45	----	जेडोवरी जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 46	----	कुथ जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 47	----	सारासेपरिल्ला जड़ें	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 48	----	स्वीट फ्लैट राइजो	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
	---	पूर्ण पौधा, वायुवीयर भाग, तना, टहनी और काष्ठ :			
1211 90 51	----	चंदन चिप्स और बारीक चूर्ण	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 52	----	विन्का रोजिया शाक	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 53	----	पुदीना	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 54	----	अगरवुड	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 55	----	चिरायता	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 56	----	बेसिल, पाइसोप, रोजमैरी, सेज और सेवरी	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 57	----	अश्वगंधा (विदनिया सोम्नीफेरा)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 58	----	गिलोय (टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया)	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 59	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-
1211 90 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(8) अध्याय 13 में,--

(i) अध्याय टिप्पण के खंड (छ) में, "(शीर्ष 3006)", कोष्ठकों, शब्द और अंकों के स्थान पर, "(शीर्ष 3822)" कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) शीर्ष 1302 में,--

(क) टैरिफ मद 1302 32 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	ग्वारगम :			
1302 32 31	----	रासायनिक रूप से उपचारित	कि.ग्रा.	30%	-
1302 32 39	----	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(ख) टैरिफ मद 1302 32 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 1302 39 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1302 39	--	अन्य :			
1302 39 10	---	इमली गिरीचूर्ण	कि.ग्रा.	30%	-
1302 39 20	---	कप्पा कैरागीनन	कि.ग्रा.	30%	-
1302 39 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(9) अध्याय 19 में, शीर्ष में 1904, टैरिफ मद 1904 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"1904 20	-	न भुने गए खाने के च्यूड़े या मिश्रण से प्राप्त तैयार खाद्य			
1904 20 10	---	15% या अधिक वजन वाले मोटे अनाज अंतर्वस्तु के साथ	कि.ग्रा.	30%	-
1904 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	30%	-";

(10) अध्याय 27 में, शीर्ष 2701, टैरिफ मद 2701 12 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2701 12	--	बिटुमनी कोयला :			
2701 12 10	---	कुकिंग कोयला	कि.ग्रा.	5%	-
2701 12 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(11) अध्याय 29 में,--

(i) शीर्ष 2916 में, टैरिफ मद 2916 20 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2916 20 20	---	बिफैन्थ्रिन (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ii) शीर्ष 2924 में, टैरिफ मद 2924 29 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2924 29 70	---	प्रैटिलाक्लोर (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(iii) शीर्ष 2930 में,--

(क) टैरिफ मद 2930 20 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2930 20 - थायोकार्बामेट्स और डाइथायोकार्माबमेट्स :

2930 20 10	---	कैरटैप हाइड्रोक्लोराइड (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2930 20 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2930 90 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2930 90 92	----	एसीफेट (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(iv) शीर्ष 2931 में, टैरिफ मद 2931 49 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2931 49 30	---	ग्लाइफोसेट (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(v) शीर्ष 2932 में, टैरिफ मद 2932 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2932 99 20	---	एमामैक्टेन बेन्जोएट (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vi) शीर्ष 2933 में,

(क) टैरिफ मद 2933 29 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 29 60	---	इमिडैक्लोप्रिड (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 2933 39 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 39 17	----	क्लोरैंट्रैनीलिप्रोल (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ग) टैरिफ मद 2933 39 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2933 39 21	----	एसीटैमिप्रिड (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 22	----	इमाजैथापायर (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2933 39 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(घ) टैरिफ मद 2933 59 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 59 50	---	बिस्पायरीबैक-सोडियम (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(ङ) टैरिफ मद 2933 99 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2933 99 20	---	कार्बैन्डाजिम (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(vii) शीर्ष 2934 में, टैरिफ मद 2934 99 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"2934 99 30	---	ब्यूप्रोफैजिन (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(viii) शीर्ष 2935 में, टैरिफ मद 2935 50 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"2935 50	-	अन्य परफ्लूओरोआक्टेन सल्फोनामाइड्स :			

2935 50 10	---	फ्लूबैन्डियामाइड (आइएसओ)	कि.ग्रा.	7.5%	-
2935 50 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-";

(12) अध्याय 31 में,--

(i) टिप्पण 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"अनुपूरक टिप्पण :

(I) इस अध्याय में, भारतीय मानक ब्यूरो के किसी मानक के प्रतिनिर्देश उस मानक के अंतिम प्रकाशित संस्करण के प्रतिनिर्देश है ।

उदाहरण : आईएस 1459 से आईएस 1459: 2018 निर्दिष्ट है और आईएस 1459: 1974 नहीं ।";

(ii) शीर्ष 3102 में, टैरिफ मद 3102 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"3102 10	-	*यूरिया चाहे जलीय विलयन में हो या नहीं :*			
3102 10 10	---	आईएस मानक 5406 के अनुरूप उर्वरक श्रेणी	कि.ग्रा.	10%	-
3102 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	10%	-";

(13) अध्याय 38 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :–

"अनुपूरक टिप्पण :

1. टैरिफ मद 3808 91 41 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 के निम्नलिखित माल हैं : आईएस-12915 के अनुरूप ऐसीफेट (आइएसओ); आईएस-14159 के अनुरूप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आइएसओ); आईएस-15443 के अनुरूप इमिडैक्लोप्रिड (आइएसओ); आईएस-15981 के अनुरूप एसीटैमीप्रिड (आइएसओ) ।

2. टैरिफ मद 3808 91 42 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ निम्नलिखित माल हैं : क्लोरैनट्रैनीलीप्रौल (आइएसओ); ब्यूप्रोफैजिन (आइएसओ); फ्लूबैन्डियामाइड (आइएसओ); एमामैक्टेन बेन्जोएट (आइएसओ) ।

3. टैरिफ मद 3808 91 51 के अंतर्गत निम्नलिखित एक या अधिक केवल अंतर्विष्ट करने वाले उपशीर्ष 3808 91 के कार्टेप मिश्रण और निर्मितियां हैं : आईएस-12916 के अनुरूप ऐसीफेट (आइएसओ); आईएस-14183 के अनुरूप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड (आइएसओ); आईएस-15335 के अनुरूप इमिडैक्लोप्रिड (आइएसओ); आईएस-16328 के अनुरूप एसीटैमीप्रिड (आइएसओ) ।

4. टैरिफ मद 3808 91 52 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 91 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ केवल निम्नलिखित मिश्रण और निर्मितियां हैं : क्लोरैनट्रैनीलीप्रौल (आइएसओ); ब्यूप्रोफैजिन (आइएसओ); फ्लूबैन्डियामाइड (आइएसओ); एमामैक्टेन बेन्जोएट (आइएसओ) ।

5. टैरिफ मद 3808 92 60 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 92 के निम्नलिखित कोई माल हैं : आईएस-8445 के अनुरूप कार्बेन्डाजिम (आइएसओ) ।

6. टैरिफ मद 3808 92 70 के अंतर्गत निम्नलिखित एक या अधिक को अंतर्विष्ट करने वाले उपशीर्ष 3808 92 के केवल मिश्रण और निर्मितियां हैं : आईएस-8446 के अनुरूप कार्बेन्डाजिम (आइएसओ) ।

7. टैरिफ मद 3808 93 61 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 के निम्नलिखित कोई माल हैं : आईएस-15158 के अनुरूप प्रेटिलाक्लोर (आइएसओ); आईएस-12502 के अनुरूप ग्लाइफोसेट (आइएसओ) ।

8. टैरिफ मद 3808 93 62 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ निम्नलिखित माल हैं : बिस्पायरीबैक सोडियटम (आइएसओ); इमैजैथापायर (आइएसओ) ।

9. टैरिफ मद 3808 93 71 के अंतर्गत निम्नलिखित एक या अधिक को अंतर्विष्ट करने वाले उपशीर्ष 3808 93 के मिश्रण और निर्मितियां हैं : आईएस-15160 के अनुरूप प्रेटिलाक्लोर (आइएसओ) ।

10. टैरिफ मद 3808 93 72 के अंतर्गत उपशीर्ष 3808 93 वाले 90% से अधिक वजन की अंतर्वस्तु के साथ केवल निम्नलिखित मिश्रण और निर्मितियां है : बिस्पायरीबैक सोडियम (आइएसओ); इमैजैथापायर (आइएसओ) ।"

(ii) शीर्ष 3808 में,--

(क) टैरिफ मद 3808 91 37 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

	"---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 91 41	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
3808 91 42	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 2 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 और 4 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 91 51	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 3 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
3808 91 52	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 4 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 3808 92 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“3808 92 60	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 5 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
3808 92 70	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 6 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-”;

(ग) टैरिफ मद 3808 93 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

	“---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 और 8 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 93 61	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 7 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 62	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 8 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
	---	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 और 10 में विनिर्दिष्ट माल :			
3808 93 71	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 9 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-
3808 93 72	----	इस अध्याय के अनुपूरक टिप्पण 10 में विनिर्दिष्ट माल :	कि.ग्रा.	10%	-”;

(14) अध्याय 39 में, शीर्ष 3915 में, टैरिफ मद 3915 90 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

“3915 90 79	----	अन्य	कि.ग्रा.	7.5%	-”;

(15) अध्याय 48 में, शीर्ष 4811 में, टैरिफ मद 4811 90 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“4811 90 94	----	जंबो रोलों में (1 मीटर और उससे ऊपर की चौड़ाई तथा 5000 मीटर और उससे ऊपर की लंबाई में) थर्मल कागज	कि.ग्रा.	10%	-
4811 90 95	----	जंबो रोलों में (1 मीटर और उससे ऊपर की चौड़ाई तथा 5000 मीटर और उससे कम की लंबाई में) थर्मल कागज	कि.ग्रा.	10%	-
4811 90 96	----	एक मीटर से कम की चौड़ाई में रोलों में थर्मल कागज	कि.ग्रा.	10%	-”;

(16) अध्याय 52 में, शीर्ष 5201 में, टैरिफ मद 5201 00 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	अन्य :			
5201 00 21	----	20.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-

5201 00 22	----	20.0 मिमी से अधिक किंतु 24.5 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-
5201 00 23	----	24.5 मिमी से अधिक किंतु 27.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-
5201 00 24	----	27.0 मिमी से अधिक किंतु 32.0 मिमी से अनधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-
5201 00 25	----	32.0 मिमी से अधिक स्टेपल लंबाई का	कि.ग्रा.	5%	-";

(17) अध्याय 54 में, शीर्ष 5402 में,--

(i) टैरिफ मद 5402 11 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"5402 11 00	--	एरामाइड के	कि.ग्रा.	5%	-";

(ii) उपशीर्ष 5402 59, टैरिफ मद 5402 59 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"5402 59 00	--	अन्य	कि.ग्रा.	5%	-";

(18) अध्याय 57 में, शीर्ष 5702 में, टैरिफ मद 5702 39 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"5702 39 90	---	अन्य	वर्ग मीटर	20%	-";

(19) अध्याय 61 में, शीर्ष 6115 में, उपशीर्ष 6115 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"- अन्य पैंटी होज और टाइट्स :";

(20) अध्याय 62 में,--

(i) शीर्ष 6213 में,--

(क) उपशीर्ष 6213 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"- अन्य टैक्सटाइल सामग्रियों के :";

(ख) टैरिफ मद 6213 90 90 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- अन्य" ;

(ii) शीर्ष 6217 में,--

(क) टैरिफ मद 6217 10 10 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- सूत के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(ख) टैरिफ मद 6217 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- कृत्रिम फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(ग) टैरिफ मद 6217 10 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- ऊन के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(घ) टैरिफ मद 6217 10 40 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- रेशम के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(ङ) टैरिफ मद 6217 10 50 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- पुन: जनित फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(च) टैरिफ मद 6217 10 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- अन्य फाइबर के वस्त्रों की वस्तुओं के लिए";

(छ) टैरिफ मद 6217 10 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- सूत की स्टाकिंग, जुराबें, साकेट और वैसी ही वस्तुएं";

(21) अध्याय 63 में,--

(i) शीर्ष 6301 में, टैरिफ मद 6301 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"- ऊन या सूक्ष्म प्राणी रोम के कंबल (विद्युत कंबलों से भिन्न) और यात्रा रग";

(ii) शीर्ष 6304 में, टैरिफ मद 6304 20 00 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"- इस अध्याय के उपशीर्ष टिप्पण 1 में विनिर्दिष्ट बेड नेट";

(iii) शीर्ष 6310 में, टैरिफ मद 6310 10 90 से 6310 90 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"6310 10 90	---	अन्य	कि.ग्रा.	20%	-
6310 90	-	अन्य :			

6310 90 10	---	ऊनी रग	कि.ग्रा.	20%	-";

(22) अध्याय 69 में,--

(i) टिप्पण 1 के आरंभिक भाग में, "आकार देने" शब्दों के स्थान पर "आकार देने" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) शीर्ष 6907 में, उपशीर्ष 6907 30, टैरिफ मद 6907 30 10, उपशीर्ष 6907 40, टैरिफ मद 6907 40 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"6907 30 00	-	उपशीर्ष 6907 40 में से भिन्न मोजाइक क्यूबें और वैसी ही वस्तुएं	व.मी.	15%	-
6907 40 00	-	कांचित चीनी मिट्टी के उत्पाद	व.मी.	15%	-";

(23) अध्याय 71 में,--

(i) उपशीर्ष टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुपूरक टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"अनुपूरक टिप्पण :

शीर्ष 7104 के प्रयोजनों के लिए, "हीरक" से,--

(क) रसायनिक रूप से उत्पादित ऐसे रत्न अभिप्रेत हैं, जिनमें आवश्यक रूप से वही रसायनिक संयोजन और क्रिस्टल संरचना है जैसी कि विशिष्ट प्राकृतिक हीरक में होती है । इन्हें विभिन्न पद्धतियों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है, जिनके अंतर्गत उच्च दाब, उच्च ताप पद्धति (एचपीएचटी) और रसायनिक वाष्प निक्षेप पद्धति (सीबीडी) भी है ; या

(ख) विभिन्न साधनों द्वारा कृत्रिम रूप से प्राप्त रत्न अर्थात् संपीड़ित करके, दाब कर या (प्रायिकत: धमन पाइप की सहायता से) प्राकृतिक हीरकों के ऐसे टुकड़ों के साथ संगलित करके, जिन्हें साधारणतया चूर्ण के रूप में बनाया गया है ।";

(ii) शीर्ष 7104 में,-

(क) टैरिफ मद 7104 21 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"7104 21	--	हीरक :			
7104 21 10	---	औद्योगिक	सी/के	10%	-
7104 21 20	---	गैर-औद्योगिक	सी/के	10%	-";

(ख) टैरिफ मद 7104 91 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"7104 91	--	हीरक :			
7104 91 10	---	औद्योगिक	सी/के	10%	-
7104 91 20	---	गैर-औद्योगिक	सी/के	10%	-";

(iii) शीर्ष 7105 में, टैरिफ मद 7105 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

“7105 10	-	हीरक का *:*			
7105 10 10	---	शीर्ष 7102 का	सी/के	10%	-
7105 10 20	---	शीर्ष 7104 का	सी/के	10%	-”;

(iv) शीर्ष 7113 में,--

(क) टैरिफ मद 7113 11 20 और 7113 11 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	*अन्य आभूषण :*			
7113 11 41	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 42	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 43	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 44	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 45	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 11 49	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-”;

(ख) टैरिफ मद 7113 19 10 to 7113 19 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	“---	*स्वर्ण का :*			
7113 19 11	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 12	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 13	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 14	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 15	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 19	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-
	---	*प्लेटिनम का :*			
7113 19 21	----	बिना जड़ा हुआ	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 22	----	मोती जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 23	----	शीर्ष 7102 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 24	----	शीर्ष 7104 के हीरक जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 25	----	अन्य बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य रत्न जड़ित	कि.ग्रा.	25%	-
7113 19 29	----	अन्य	कि.ग्रा.	25%	-”;

(24) अध्याय 84 में,--

(i) शीर्ष 8414 में, टैरिफ मद 8414 10 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8414 10	-	*निर्वात पम्प :*			
8414 10 10	---	जिनकी अधिकतम प्रभाव दर 5 एम³/एच (मानक तापमान (273 के (0 °से)) और दाब (101.3 केपीए) दशा) के अधीन	इ	7.5%	-
8414 10 90	---	अन्य	इ	7.5%	-";

(ii) शीर्ष 8419 में,--

(क) टैरिफ मद 8419 50 10 से 8419 50 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	0.15 मी² से अधिक और 20 मी² से कम के तापन अंतरण सतह क्षेत्र सहित :			
8419 50 11	----	शेल और ट्यूब प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 12	----	प्लेट प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 13	----	स्पाइरल प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 19	----	अन्य	इ	7.5%	-
	---	अन्य :			
8419 50 91	----	शेल और ट्यूब प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 92	----	प्लेट प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 93	----	स्पाइरल प्रकार के	इ	7.5%	-
8419 50 99	----	अन्य	इ	7.5%	-";

(ख) टैरिफ मद 8419 89 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

	"---	दाब वाले बर्तन, रिएक्टर्स, कालम्स या टावर्स या रासायनिक भंडारण टैंक :			
8419 89 11	----	दाब जलयान	इ	10%	-
8419 89 12	----	0.1 मी³ (100 ली) से अधिक और 20 मी³ (20000 ली) से कम के कुल आंतरिक (ज्यामिति) आयतन वाले रिएक्टर्स	इ	10%	-
8419 89 13	----	अन्य रिएक्टर्स	इ	10%	-
8419 89 14	----	0.1 मी से अधिक आंतरिक अर्ध ब्यास के आसवन या अवशोधन कालम	इ	10%	-
8419 89 15	----	अन्य आसवन या अवशोधन कालम	इ	10%	-

8419 89 16	----	0.1 मी^{3} (100 ली) से अधिक कुल आंतरिक (ज्यामिति) आयतन वाले रासायनिक भंडारण टैंक	इ	10%	-
8419 89 17	----	अन्य रासायनिक भंडारण टैंक	इ	10%	-
8419 89 19	----	अन्य	इ	10%	-";

(25) अध्याय 85 में,--

(i) शीर्ष 8517 में,--

(क) टैरिफ मद 8517 62 30 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- वायरलाइन टेलीफोनी आधारित एक्सडीएसएल के लिए मोडेम (मोडुलेटर-डिमोडुलेटर)";

(ख) टैरिफ मद 8517 62 40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ग) टैरिफ मद 8517 62 70 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- पीडीएच आधारित वायरलाइन टेलीफोनी के लिए बहुसंकेतक, सांख्यिकीय बहुसंकेतक";

(घ) उपशीर्ष 8517 69 में,--

(अ) टैरिफ मद 8517 69 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(आ) टैरिफ मद 8517 69 60 के सामने आने वाले स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"--- वायरलाइन टेलीफोनी के लिए इंटरनेट तक पहुंच प्राप्त करने हेतु सेट टाप बाक्स";

(ii) शीर्ष 8524, टैरिफ मद 8524 11 00 से टैरिफ मद 8524 99 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

"8524		फ्लैट पैनल डिसप्ले मोड्यूल, जिनमें चाहे टच-सेन्सटिव स्क्रीन समाविष्ट हैं या नहीं			
	-	ड्राइवर या नियंत्रण परिपथ रहित :			
8524 11	--	तरल क्रिस्टल के:			
8524 11 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 11 90	---	अन्य	इ	15%	-

8524 12	--	कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी) *:*			
8524 12 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 12 90	---	अन्य	इ	15%	-
8524 19	--	अन्य *:*			
8524 19 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 19 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 19 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 19 90	---	अन्य	इ	15%	-
	-	अन्य *:*			
8524 91	--	तरल क्रिस्टल के *:*			
8524 91 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 91 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 91 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 91 90	---	अन्य	इ	15%	-
8524 92	--	कार्बनिक प्रकाश-उत्सर्जक डायोड (ओएलईडी)*:*			
8524 92 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 92 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 92 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 92 90	---	अन्य	इ	15%	-
8524 99	--	अन्य *:*			
8524 99 10	---	उपशीर्ष 8471 30 या 8471 41 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 99 20	---	उपशीर्ष 8517 13 या 8517 14 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 99 30	---	उपशीर्ष 8528 72 या 8528 73 के माल के लिए	इ	15%	-
8524 99 90	---	अन्य	इ	15%	-";

(26) अध्याय 87 में, शीर्ष 8704 में, टैरिफ मद 8704 10 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"8704 10 90	---	अन्य	इ	40%	-";

पांचवी अनुसूची

[धारा 127 देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्रम संख्यांक 8 और 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :–

क्र. सं.	अध्याय/शीर्ष/उप शीर्ष/टैरिफ मद	माल का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"8.	"1202 41	मूंगफली कवचयुक्त	1,125 रुपये प्रति टन
9.	1202 42	मूंगफली गिरी	1,500 रुपये प्रति टन" ।

छठवीं अनुसूची

(धारा 153 देखें)

वित्त अधिनियम, 2001, सातवीं अनुसूची में,--

(i) टैरिफ मद 2402 20 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “230 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “290 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 30 और 2402 20 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “510 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “630 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2402 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “850 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 2402 90 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “690 रु. प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है । खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली, **निर्मला सीतारामन**

31 जनवरी, 2023

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री से लोक सभा के महासचिव को 31 जनवरी, 2023 के पत्र सं0 एफ. 2(4)-बी(डी)/2023 की प्रति]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु के बारे में अवगत होने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन यह सिफारिश करते हैं कि वित्त विधेयक, 2023 लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाए और लोक सभा से यह भी सिफारिश करते हैं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

2. विधेयक, 1 फरवरी, 2023 को बजट प्रस्तुत किए जाने के ठीक पश्चात् लोक सभा में पुरःस्थापित किया जाएगा ।

खंडों पर टिप्पण

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित **खंड 2**, उन दरों को विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2023-2024 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उदगृहीत किया जाना है । इसके अतिरिक्त, यह उन दरों को, जिन पर अधिनियम के अधीन वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान स्रोत पर करों की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष या आय-कर अधिनियम की धारा 194त के अधीन कटौती की गई प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (19ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे परिभाषा से ''आय-कर अपर आयुक्त (अपील)'' शब्दों का लोप किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा का खंड (24) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आय की परिभाषा का उपबंध करता है ।

उक्त धारा के खंड (24) में एक नया उपखंड (xviiग) अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की परिभाषा में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट कोई राशि भी सम्मिलित होगी ।

उक्त खंड में उपखंड (xviiघ) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय में धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई धनराशि सम्मिलित होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

एक नया उपखंड (28गक) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे ''संयुक्त आयुक्त (अपील)'' की परिभाषा का उपबंध किया जा सके जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) या आय-कर अपर आयुक्त (अपील) के रूप में नियुक्त किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा का खंड (42क) "अल्पकालीन पूंजी आस्ति" को

परिभाषित करता है तथा उक्त खंड का स्पष्टीकरण 1 उस अवधि के अवधारण के लिए उपबंध करता है, जिसके लिए कोई पूंजी आस्ति किसी निर्धारिती द्वारा धारित की जाती है ।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) में, एक नया उपखंड (जझ) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी आस्ति की दशा में, जो इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति है या स्वर्ण पूंजी आस्ति है, पूंजी अभिलाभ के प्रयोजन के लिए धारण अवधि में उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए, यथास्थिति, स्वर्ण या इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को निर्धारिती द्वारा इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति या स्वर्ण के रूप में संपरिवर्तन से पूर्व धारित किया गया था ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-25 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोदभूत या उदभूत हुई समझी गई आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसी आयों के लिए उपबंध करती है कि जो भारत में प्रोदभूत या उदभूत हुई आय समझी जाएगी ।

उक्त उपधारा के खंड (viii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत से बाहर उदभूत होने वाली कोई आय, जो धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xviiक) में निर्दिष्ट कोई धनराशि है, जिसे भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा,--

(क) 5 जुलाई, 2019 को या उसके पश्चात् किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है या किसी विदेशी कंपनी को ; या

(ख) जिसे 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 के खंड (6) के अर्थांतर्गत भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है,

संदत्त किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-25 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है, से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे “विनिर्दिष्ट निधि” पद की परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा का खंड (4ङ) यह उपबंध करता है कि धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की किसी अपतटीय बैंककारी यूनिट के साथ की गई अपरिदेय अग्रिम संविदा या अपतटीय व्युत्पन्न लिखत या अति-प्रति व्युत्पन्नों के अंतरण के परिणामस्वरूप किसी अनिवासी को प्रोदभूत या उदभूत या उसके द्वारा प्राप्त ऐसी कोई आय, जो ऐसी शर्तों को पूरा करती है, जो विहित की जाए, को कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि अपतटीय व्युत्पन्न लिखतों पर आय के वितरण को भी उक्त खंड के विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाए ।

यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि उक्त खंड में निर्दिष्ट इस प्रकार वितरित आय की रकम में केवल उतनी रकम सम्मिलित होगी, जो अपतटीय बैंककारी यूनिट के पास धारा 115कघ के अधीन कर से प्रभार्य है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (10घ), अन्य बातों के साथ, किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि को छूट का उपबंध करता है, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के माध्यम से आबंटित कोई राशि भी है ।

उक्त धारा के खंड (10घ) के दूसरे परंतुक में धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त खंड में इस आशय के लिए छठा परंतुक प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् जारी की गई यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी से भिन्न किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में लागू नहीं होगी यदि ऐसी पालिसी की अवधि के दौरान किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय प्रीमियम की रकम पांच लाख रुपए से अधिक है ।

उक्त खंड का प्रस्तावित सातवां परंतुक यह उपबंध करता है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा प्रीमियम, 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों से भिन्न एक से अधिक जीवन पालिसी के लिए संदेय है तब इस खंड के उपबंध यूनिट संबद्ध बीमा पालिसियों

से भिन्न उन जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में ही लागू होंगे, जहां प्रीमियम की कुल रकम उन पालिसियों में से किसी पालिसी की अवधि के दौरान पूर्ववर्षों में से किसी पूर्ववर्ष में छठे परंतुक में निर्दिष्ट रकम से अधिक नहीं है

उक्त खंड का प्रस्तावित आठवां परंतुक यह उपबंध करता है कि चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें परंतुक के उपबंध किसी व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त किसी राशि को लागू नहीं होंगे ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा में एक नया खंड (12ग) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अग्निपथ स्कीम के अधीन अभ्यावेशित किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के नामनिर्देशिती को अग्निवीर समग्र निधि से संदाय पर छूट प्राप्त होगी । धारा 80गगज में यथाउपबंधित “अग्निवीर समग्र निधि” और “अग्निपथ स्कीम” पदों के लिए परिभाषाओं के प्रतिनिर्देश करने का भी और प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा का खंड (22ख), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करता है कि केवल समाचारों के संग्रहण और वितरण के लिए भारत में स्थापित किसी अधिसूचित समाचार एजेंसी की आय, कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी, परंतु यह कि समाचार एजेंसी केवल समाचारों के संग्रहण और वितरण के लिए अपनी आय का उपयोग करती है या उपयोग करने के लिए संचय करती है और अपनी आय का किसी रीति से अपने सदस्यों को वितरण नहीं करती है । यह भी उपबंधित है कि इस खंड के उपबंध तीन निर्धारण वर्षों से अनधिक की विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए अधिसूचित समाचार एजेंसी को लागू होते हैं ।

उक्त धारा के खंड (22ख) में चौथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष की समाचार एजेंसी की किसी आय को लागू नहीं होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा का खंड (23खखच) नार्थ ईस्टर्न डेवलेपमेन्ट फाइनेन्स

कारपोरेशन लिमिटेड को आय-कर से छूट का उपबंध करता है । यह छूट 1 अप्रैल, 2010 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और किसी अन्य पश्चातवर्ती निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए वापस ले ली गई है ।

उक्त खंड का 1 अप्रैल, 2023 से लोप करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा का खंड (23ग) कतिपय अस्तित्वों की आय को छूट का उपबंध करता है ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के निमित्त किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई आय को छूट का उपबंध करते है जिसका अनुमोदन या अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा ।

खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था जो उक्त परंतुक के खंड (i), खंड (ii) या खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आते है, अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकते है, जहां किसी न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था के क्रियाकलाप,--

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व आरंभ नहीं हुए है ;

(आ) आरंभ हो गए है और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके पूर्व किसी पूर्ववर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा खंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है ।

खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन पहले परंतुक के प्रस्तावित खंड (iv) के उपखंड (आ) के अधीन किया जाता है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त, खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

खंड (23ग) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) की मद

(आ) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन इसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता तथा उक्त परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन से संतुष्ट नहीं है तो, लिखित में,--

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट दशा में ऐसा आवेदन नामंजूर करते हुए तथा इसका अनुमोदन भी रद्द करते हुए आदेश पारित करेगा ; या

(II) पहले परंतुक के प्रस्तावित खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट दशा में ऐसा आवेदन नामंजूर करते हुए, इसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश पारित करेगा ।

दूसरे परंतुक के खंड (iii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) या आवेदन पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन, जैसा वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा इसके संशोधन के पूर्व था, किया जाता है, तो वह उस निर्धारण वर्ष के, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से इसका अनुमोदन करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की एक प्रति निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को भेजेगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होंगे ।

खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुक तथा इस खंड के उक्त स्पष्टीकरण 2 और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का समग्र निधि से उपयोजन किए जाने के समय अतिक्रमण नहीं किया गया हो ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिधान या वापस जमा की गई रकम पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं मानी जाएगी यदि ऐसा विनिधान या जमा पूर्ववर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, जिसमें ऐसा उपयोजन समग्र निधि से किया गया था ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) में चौथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां समग्र निधि से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या

उससे पूर्व किया जाता है ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे यदि बारहवें, तेरहवें और इक्कीसवें परंतुक तथा इस खंड के स्पष्टीकरण और स्पष्टीकरण 3 में विनिर्दिष्ट शर्तों का ऋण या उधार से उपयोजन किए जाने के समय अतिक्रमण नहीं किया गया हो ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पुन: संदत्त रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन नहीं माना जाएगा यदि ऐसा पुन:संदाय पूर्ववर्ष के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है, जिसके दौरान ऐसा उपयोजन ऋण या उधार से किया गया था ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 के खंड (ii) में चौथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी ऋण या उधार से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में खंड (iii) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था अथवा धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को, बारहवें परंतुक में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की आय से प्रत्यय की गई या संदत्त कोई रकम, ऐसी प्रत्यय की गई या संदत्त रकम के केवल पचासी प्रतिशत की सीमा तक पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन मानी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड (23ग) के तीसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 3 के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि

संचयन का विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख के कम से कम दो मास पहले प्रस्तुत किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के पंद्रहवें परंतुक के स्पष्टीकरण 2 में, खंड (ङ) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट अतिक्रमण के अंतर्गत वह दशा भी होगी जहां पहले परंतुक में निर्दिष्ट उपयोजन पूर्ण नहीं हैं या इसमें मिथ्या या असत्य सूचना अंतर्विष्ट है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा के खंड (23ग) के उन्नीसवें परंतुक के स्पष्टीकरण को परिणामस्वरूप संशोधित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उसमें अंतःस्थापित किए गए नए खंड (46क) का संदर्भ दिया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

खंड (23ग) के बीसवें परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था अथवा अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था धारा 139 की उपधारा (4ग) के उपबंधों के अनुसार उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा का खंड (23ङख) लघु उद्योग प्रत्यय प्रत्याभूति निधि न्यास की 1 अप्रैल, 2002 से प्रारंभ होने वाले और 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पांच पूर्ववर्षों के लिए किसी आय को आय-कर से छूट प्रदान करता है ।

उक्त धारा का खंड (26क), 1 अप्रैल, 1989 के पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष में लद्दाख जिले में या भारत के बाहर किसी स्रोत से किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत या उद्भूत किसी आय को आय-कर से छूट का उपबंध करता है, जहां ऐसा व्यक्ति उस पूर्ववर्ष में उक्त जिले में निवासी हो ।

उक्त धारा का खंड (41) ऐसी पूंजीगत आस्ति के अंतरण से उद्भूत किसी आय को आय-कर से छूट का उपबंध करता है, जो विद्युत के उत्पादन या पारेषण या वितरण के कारबार में लगे हुए किसी उपक्रम की आस्ति है, जहां ऐसा अंतरण धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (v) के उपखंड (क) के अधीन अधिसूचित किसी भारतीय कंपनी को 31 मार्च, 2006 को या उसके पूर्व प्रभावी किया जाता है ।

उक्त धारा के उक्त खंड (23ङख), खंड (26क) और खंड (41) का 1 अप्रैल, 2023 से लोप करने का प्रस्ताव है ।

खंड (46) के पश्चात् एक नया खंड (46क) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग, जो एक कंपनी नहीं है, को,--

(क) जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन निम्नलिखित प्रयोजनों में से एक या अधिक के प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है या गठित की गई है, जो, अर्थात् :--

(i) गृह आवासन की आवश्यकता से संबंधित है और उसको पूरा करना ;

(ii) शहरों, नगरों और ग्रामों की योजना, विकास या सुधार है ;

(iii) जन साधारण के फायदे के लिए किसी कार्यकलाप का विनियमन या विनियमन और विकास है ; या

(iv) उस उद्देश्य, जिसके लिए उसका सृजन किया गया है, से उदभूत होने वाले जन साधारण के फायदे के लिए किसी मामले का विनियमन है ; और,

(ख) जिसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित किया गया है,

को प्रोदभूत होने वाली आय को, कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

परिणामस्वरूप, उक्त धारा के खंड (46) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निकाय या प्राधिकरण या बोर्ड या न्यास या आयोग (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो), जो उक्त धारा के खंड (46क) के अधीन आते है, को उक्त खंड के उपबंधों से अपवर्जित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा का खंड (49) राष्ट्रीय वित्तीय होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड की किसी आय को 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ती वर्ष की आय को आय-कर से छूट प्रदान करता है ।

उक्त खंड का 1 अप्रैल, 2023 से लोप करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 10कक का संशोधन करने के लिए है, जो विशेष आर्थिक जोनों में स्थापित नई यूनिटों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाई को पन्द्रह वर्ष का कर फायदे का उपबंध करती है, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् चीजों या वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन अथवा किसी सेवा का उपबंध कराना आरंभ करती है । यह कटौती ऐसी इकाईयों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से पूर्व प्रचालन आरंभ किए थे और अब इस तारीख को कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से 30 सितंबर, 2020 तक विस्तारित किया गया है और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में अनुज्ञात किया जाता है ।

उक्त धारा के अधीन विशेष आर्थिक जोन में स्थापित इकाईयों के लिए कटौती का दावा समयबद्ध है क्योंकि यह केवल उन इकाईयों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 2020 के पूर्व वस्तुओं या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन अथवा किन्हीं सेवाओं को प्रदान करना आरंभ किया था ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस धारा के अधीन ऐसी कोई कटौती किसी निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व आय की विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है ।

इसके अतिरिक्त, एक नई उपधारा (4क) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10कक के अधीन कटौती ऐसी किसी इकाई को लागू होती है, यदि माल के विक्रय या सेवाओं के उपबंध से प्राप्त आगम निर्धारिती द्वारा भारत में संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में, पूर्व वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, प्राप्त होते हैं या लाए जाते हैं ।

"सक्षम प्राधिकारी" पद को परिभाषित करने के लिए स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है और यह उपबंध करने के लिए है कि इस उपधारा में निर्दिष्ट माल का विक्रय या सेवाओं के उपबंध भारत में प्राप्त किए गए समझे जाएंगे, जहां ऐसा आयात आवर्त भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से भारत से बाहर के किसी बैंक के साथ

निर्धारिती द्वारा प्रयोजन के लिए रखे गए एक पृथक् खाते में प्रत्यय किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) को भी प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे "संपरिवर्तनीय विदेशी मुद्रा" पद को परिभाषित किया जा सके और "निर्यात आवर्त" की परिभाषा में नई उपधारा (4क) में निर्दिष्ट किया जा सके ।

नई उपधारा (4क) के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के अधीन व्यक्ति द्वारा लिए गए विकल्प का प्रयोग आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम दो मास पूर्व किया जाएगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,--

(क) उक्त उपधारा के खंड (ग) और उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ; और

(ख) उक्त धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(ग) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में,

समग्र निधि से उपयोजन किए जाने के समय यदि विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ।

उक्त स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिधान की गई या पुन: जमा की गई रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक ऐसा विनिधान या जमा उस पूर्ववर्ष, जिसमें समग्र निधि से ऐसा उपयोजन किया गया था, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है ।

उक्त स्पष्टीकरण 4 के खंड (i) में एक चौथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होगी, जहां समग्र निधि से

उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है ।

उक्त स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पहले परंतुक के उपबंध केवल तभी लागू होंगे,--

(क) जब उक्त उपधारा के खंड (ग) में और उसमें विनिर्दिष्ट स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3 और स्पष्टीकरण 5 में ;

(ख) उक्त धारा के स्पष्टीकरण में ; और

(ग) धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ग) में,

ऋण या उधार से उपयोजन किए जाने के समय विनिर्दिष्ट शर्तों का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया था ।

उक्त स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रतिसंदत्त रकम को पहले परंतुक के अधीन पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा, जब तक ऐसा प्रतिसंदाय उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऋण या उधार से ऐसा उपयोजन किया गया था, के अंत से पांच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाता है ।

उक्त स्पष्टीकरण 4 के खंड (ii) में एक चौथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि परंतु यह भी कि पहले परंतुक में अंतर्विष्ट कोई बात वहां लागू नहीं होंगी, जहां ऋण या उधार से उपयोजन 31 मार्च, 2021 को या उससे पूर्व किया जाता है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 4 में खंड (iii) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत अन्य न्यास या संस्था में, उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट रकम से भिन्न, जमा या संदत्त रकम को ऐसी जमा की गई या संदत्त रकम के पचासी प्रतिशत की सीमा तक ही पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोजन के रूप में माना जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संचय का विवरण पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख से कम से कम दो मास पूर्व प्रस्तुत की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (7), अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि जहां किसी न्यास या किसी संस्था को धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त किया गया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 के खंड (1) या खंड (23ग) या खंड (46) से भिन्न धारा 10 में अतंर्विष्ट कोई बात किसी उस पूर्ववर्ष के लिए न्यास या संस्था की कुल आय से न्यास के अधीन धृत संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी ।

धारा 10 के खंड (46क) के अंतःस्थापन के परिणामस्वरूप उक्त उपधारा (7) और उसके पहले और दूसरे परंतुक में उक्त नए खंड के प्रतिनिर्देश देने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 8 आय--कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है ।

धारा 12क की उपधारा (1), खंड (कग), खंड (ख) और खंड (खक) के अधीन किसी न्यास या संस्था की आय के संबंध में धारा 11 और धारा 12 के लागू होने की शर्तों का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि न्यास या संस्था, जिसे इस खंड के उपखंड (i) से उपखंड (v) के अधीन समाविष्ट नहीं किया गया है, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा, जहां उक्त न्यास या संस्था के क्रियाकलाप,–

(अ) ऐसे निर्धारण वर्ष से, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व प्रारंभ नहीं हुए हैं ;

(आ) आरंभ हो गए हैं और ऐसे क्रियाकलापों के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी समय ऐसे लागू होने की तारीख को या उसके

पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) अथवा खंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से उक्त न्यास या संस्था की कोई आय या उसका भाग अपवर्जित नहीं किया गया है," ;

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (खक) को संशोधित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस धारा की उपधारा (1) या उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर धारा 139 की उपधारा (4क) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे, तीसरे और चौथे परंतुकों का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 12कख का संशोधन करने के लिए है, जो नए सिरे से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) की मद (आ) के अधीन किया जाता है, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (आ) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का न्यास या संस्था के उद्देश्यों और उसके क्रियाकलापों की वास्तविकता तथा अपेक्षाओं के अनुपालन के संबंध में इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,--

(I) धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) या उपखंड (v) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ; या

(II) धारा 12क की उपधारा (1) के उपखंड (iv) या उपखंड (vi) की मद (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को

नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ग) को भी प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) की मद (अ) के अधीन किया जाता है या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi), जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन किया जाता है तो वह उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अंनतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यास या संस्था को भेजेगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में, खंड (छ) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विनिर्दिष्ट उल्लंघन" पद में ऐसा कोई मामला भी सम्मिलित होगा, जहां धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) में निर्दिष्ट आवेदन पूर्ण नहीं है या उसमें कोई मिथ्या या असत्य सूचना अंतर्विष्ट है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषित "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (1) में एक नया उपखंड (ix) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80गगज में निर्दिष्ट अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि के अग्निवीर समग्र निधि खाते में केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्ववर्ष में किया गया अभिदाय उस व्यष्टि के वेतन के रूप में समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा के खंड (2) के अनुसार, "परिलब्धि" में, अन्य बातों के साथ, कर्मचारियों को उसके नियोजक द्वारा रियायती दर पर प्रदान किया गया आवास सम्मिलित है ।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (i) का संशोधन करने तथा उपखंड (ii) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा प्रदान की गई किराया मुक्त वास-सुविधा के मूल्य की संगणना की पद्धति और निर्धारिती को उसके नियोजक द्वारा रियायती दर पर प्रदान की गई

किसी वास-सुविधा के मूल्य की संगणना ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, की जाएगी ।

यह स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है कि वास-सुविधा रियायती दर पर प्रदान की गई समझी जाएगी, यदि वास-सुविधा का संगणित मूल्य, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निर्धारिती से वसूलनीय या उसके द्वारा संदेय किराए से अधिक है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (iv) यह उपबंध करता है कि किसी कारबार या किसी वृत्ति के प्रयोग से उदभूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धि का मूल्य, चाहे वह धन में संपरिवर्तनीय हो या न हो, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा ।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उसे ऐसे मामलों में भी लागू किया जा सके, जहां उपलब्ध कराया गया फायदा या परिलब्धि नकद या किसी वस्तु के रूप में या भागत: नकद और भागत: वस्तु के रूप में हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों पर अपाकरण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में प्रारंभिक व्ययों, जो उपधारा (1) के अधीन अपाकरण किए जाने के लिए अनुज्ञात है, के क्षेत्र के भीतर (i) साध्यता रिपोर्ट तैयार करने, (ii) परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, (iii) निर्धारिती के कारबार के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण करने और (iv) निर्धारिती के कारबार से संबंधित इंजीनियरी सेवाओं के संबंध में व्यय सम्मिलित हैं । उक्त खंड का परंतुक यह अपेक्षा करता है कि रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि के बारे में संकर्म स्वयं निर्धारिती द्वारा या ऐसे किसी समुत्थान द्वारा, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित हैं, किए जाते हैं ।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती, ऐसी अवधि के भीतर, इस खंड में

विनिर्दिष्ट व्यय की विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाला एक विवरण ऐसे आय-कर प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप और रीति में जिनका नियमों द्वारा उपबंध किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 43ख का संशोधन करने के लिए है, जो वास्तविक संदाय पर ही की जाने वाली कुछ कटौतियों से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (घक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "किसी निक्षेप लेने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी या किसी सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए," शब्द रखे जा सकें ;

उक्त धारा में एक नया खंड (ज) भी अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 15 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से परे किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को निर्धारिती द्वारा संदेय किसी राशि को वास्तविक संदाय पर ही कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा ।

उक्त धारा के परंतुक को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे उस समय प्रोदभवन आधार पर कटौती अनुज्ञात न की जाए यदि सूक्ष्म या लघु उद्यमों को संदाय की दशा में आय की प्रकृति की विवरणी प्रदान करते हुए रकम का संदाय नियत तारीख तक कर दिया जाता है ।

स्पष्टीकरण 4 के खंड (ङ) और खंड (छ) को अंत:स्थापित करने का और साथ ही उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "सूक्ष्म उद्यम" और "लघु उद्यम" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 43घ का संशोधन करने के लिए है, जो लोक वित्तीय संस्थाओं, पब्लिक कंपनियों, आदि की आय की दशा में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

"निक्षेप लेने वाली गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी या सुव्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण निक्षेप न लेने वाली गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" पद को प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त धारा को "गैर बैंककारी वित्तीय

कंपनियों का ऐसा वर्ग, जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाए" से प्रतिस्थापित करने के लिए उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ज) को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे "गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी" पद को परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है ।

पहले परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो, यथास्थिति, धारा 44कघ की उपधारा (1) या धारा 44कघक की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष के लिए लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ का संशोधन करने के लिए है, जो उपधारणा के आधार पर कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, लघु कारबार के लिए उपधारणा आय स्कीम के लिए उपबंध करते हैं, जिनके अधीन कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत या छह प्रतिशत के समतुल्य राशि कतिपय निर्धारितियों की दशा में, अर्थात् कोई व्यष्टि, अविभक्त कुटुंब है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न भागीदारी फर्म है, जो पात्र कारबार चला रहे हैं और जिनका दो करोड़ रुपए या उससे कम का आवर्त है, कारबार से लाभ और अभिलाभ के रूप में समझी जाएगी और यदि ऐसे निर्धारिती ने आठ प्रतिशत या छह प्रतिशत से अधिक राशि अर्जित करने का दावा किया है, तब वह उच्चतर राशि, जो कराधेय है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ख) "पात्र कारबार" को परिभाषित करता है, जो उक्त धारा के उपबंधों का फायदा ले सकता है, जिससे धारा 44कङ में निर्दिष्ट माल वाहनों को चलाने, भाड़े पर या पट्टे पर देने के कारबार के सिवाय कोई कारबार अभिप्रेत है, जिसका पूर्ववर्ष

में कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपये की रकम से अधिक नहीं हैं ।

उक्त धारा में दो परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जहां पूर्ववर्ष के दौरान पात्र निर्धारिती द्वारा नकद रूप में प्राप्त रकम या रकमों का योग ऐसे पूर्ववर्ष की कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां तीन करोड़ रुपये की बढ़ी हुई अवसीमा का उपबंध किया जा सके और यह भी उपबंध किया जा सके कि बैंक के खाते में देय चेक या देय बैंक ड्राफ्ट रकम या रकमों की समग्र प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 44कघक का संशोधन करने के लिए है, जो लाभ और अभिलाभों का उपधारणात्मक आधार पर संगणित करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि धारा 28 से धारा 43ग में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे निर्धारिती के मामले में जो सीमित दायित्व भागीदारी से भिन्न व्यष्टि या कोई भागीदारी फर्म है, जो भारत में निवासी है और धारा 44कक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वृत्ति में लगा हुआ है और जिसकी सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक नहीं है, यथास्थिति, ऐसी वृत्ति के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ष में निर्धारिती की सकल प्राप्तियों के पचास प्रतिशत के समतुल्य कोई राशि या निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई ऐसी पूर्वोक्त दावाकृत राशि से उच्चतर कोई राशि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसी वृत्ति के लाभ और अभिलाभों के रूप में समझी जाएगी ।

उक्त उपधारा में दो परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां पूर्ववर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा नकद रूप में प्राप्त रकम या रकमों का योग ऐसे पूर्ववर्ष की सकल प्राप्तियों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां पचहत्तर लाख रुपये की बढ़ी हुई अवसीमा का उपबंध किया जा सके और यह भी उपबंध किया जा सके कि किसी बैंक के नाम में देय चेक या देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा रकम या रकमों का योग की प्राप्ति, जो पाने वाले के खाते में देय नहीं है, नकद प्राप्ति के रूप में समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 44खख का संशोधन करने के लिए है जो खनिज तेलों की खोज, आदि के कारबार के संबंध में लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 44खख की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो अनिवासी है और जो खनिज तेलों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण या उत्पादन के संबंध में सेवाएं या सुविधाएं करने या उक्त कार्य के लिए उपयोग किए गए या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी किराए पर देने के कारबार में लगा हुआ है, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकमों के योग के दस प्रतिशत के बराबर राशि ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ समझी जाएगी ।

एक नई उपधारा (4) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 32 की उपधारा (2) और धाारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, तो शेष अवक्षयण और अग्रसरित हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 44खखख का संशोधन करने के लिए है जो कुछ टर्न-की विद्युत परियोजनाओं में सिविल सन्निर्माण के कारबार, आदि में लगी हुई विदेशी कंपनियों के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 44खखख की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसे निर्धारिती की दशा में, जो विदेशी कंपनी है और जो ऐसी टर्न-की विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, सिविल सन्निर्माण कारबार अथवा संयंत्र या मशीनरी के निर्माण या उसके परीक्षण या चालू करने के कारबार में लगा हुआ है, वहां उक्त निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे सिविल सन्निर्माण, निर्माण, परीक्षण या चालू करने के कारबार में लगा हुआ है, वहां उक्त निर्धारिती को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को ऐसे सिविल सन्निर्माण, निर्माण, परीक्षण या चालू करने के कारबार की बाबत (भारत में या भारत के बाहर) संदत्त या संदेय रकम के दस प्रतिशत के बराबर राशि, ऐसे कारबार के "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य लाभ और अभिलाभ

समझी जाएगी ।

एक नई उपधारा (3) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 32 की उपधारा (2) और धारा 72 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई निर्धारिती उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभों और अभिलाभों की घोषणा करता है, तो शेष अवक्षयण और अग्रसरित हानि का कोई मुजरा ऐसे पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 45 का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5क), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन ऐसी किसी पूंजी आस्ति, जो भूमि या भवन या दोनों है, के अंतरण से किसी निर्धारिती को उदभूत होने वाला पूंजी अभिलाभ उस पूर्ववर्ष, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपूर्ण परियोजना या उसके किसी भाग के लिए समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य किया जाएगा । इसके अतिरिक्त, इस संव्यवहार के संबंध में पूंजी अभिलाभों की रकम की संगणना करने के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य को उसके शेयर के ऐसे स्टाम्प शुल्क मूल्य के रूप में लिया जाएगा, जिसे 'नकद' रूप में प्राप्त प्रतिफल से बढ़ा दिया गया हो ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट या किसी अन्य पद्धति से प्राप्त प्रतिफल को भी पूंजी आस्ति के प्रतिफल के मूल्य में सम्मिलित करने के पश्चात् उसे प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है, जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (viiकघ) के स्पष्टीकरण का खंड (ख) "पुन:स्थापन" पद को इस प्रकार परिभाषित करता है कि उससे 31 मार्च, 2023 को या उससे पूर्व मूल निधि या इसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से किसी पारिणामिक निधि को आस्तियों का

अंतरण अभिप्रेत है, जहां ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल को उसमें विनिर्दिष्ट रीति में पारिणामिक निधि में शेयर या यूनिट या ब्याज के रूप में उन्मोचित किया जाता है ।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि पुन:स्थापन की दशा में मूल निधि या इसके पूर्ण स्वामित्व वाले विशेष प्रयोजन यान से किसी पारिणामिक निधि को आस्तियों के अंतरण के लिए उक्त तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2025 किया जाए ।

खंड (viiकघ) के उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (i) को आगे और संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिनियम की धारा 47 में "पारिणामिक निधि" पद की परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के प्रतनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा में एक नया खंड (viiघ) को अंत:स्थाापित करने का प्रस्ताव है, जिससे इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति को स्वर्ण में या स्वर्ण को इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति में संपरिवर्तित किए जाने को सम्मिलित किया जा सके, जिसे उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, "इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति" और ''वाल्ट प्रबंधक'' पदों को परिभाषित करने का प्रस्ताव है ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वाल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के क्रमश: खंड (ज) और खंड (ठ) में इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति और वाल्ट प्रबंधक परिभाषित किए जा सकें ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 22** आय-कर अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने के लिए है, जो संगणना करने का ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना, पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोदभूत प्रतिफल के पूरे मूल्य में से आस्ति के अर्जन की लागत और उसमें किसी सुधार की लागत की कटौती करके की जाएगी ।

उक्त धारा के खंड (ii) के पश्चात् एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आस्ति के अर्जन की लागत या उसके सुधार की लागत में अधिनियम की धारा 24 के

खंड (ख) या अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन ब्याज की रकम पर दावा की गई कटौतियां सम्मिलित नहीं होंगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है ।

एक नई उपधारा 10 अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजी अभिलाभ की संगणना के प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति के अर्जन की लागत को उस व्यक्ति के पास, जिसके नाम पर इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति जारी की गई है, ऐसे स्वर्ण की लागत के रूप में समझा जाएगा ।

यह और प्रस्ताव है कि पूंजी अभिलाभ संगणना करने के प्रयोजन के लिए स्वर्ण के अर्जन की लागत ऐसे व्यक्ति के पास इलैक्ट्रानिक स्वर्ण प्राप्ति की लागत समझी जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम में नई धारा 50कक को अंत:स्थापित करने के लिए है, जो बाजार संबद्ध डिबेंचरों पर कर लगाने के विशेष उपबंध से संबंधित है ।

आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 50कक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “बाजार संबद्ध डिबेंचर” के अंतरण या मोचन या परिपक्वता के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोदभूत प्रतिफल, जिसे डिबेंचर के अर्जन की लागत और ऐसे अंतरण या मोचन के संबंध में पूर्णतया और विशिष्टतया उपगत व्यय से घटा दिया जाएगा, उसे अल्पकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ समझा जाएगा :

‘बाजार संबद्ध डिबेंचर’ पद को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है जिससे कोई प्रतिभूति अभिप्रेत है, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जिनका ऋण प्रतिभूति के रूप में एक अंतर्निहित मूल संघटक है और जहां विवरणियां, अन्य अंतर्निहित प्रतिभूतियों या सूचकांकों पर बाजार आय से संबंधित है और उसके अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बाजार संबद्ध डिबेंचरों के रूप में वर्गीकृत या विनियमित प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं ।”

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 54 का संशोधन करने के लिए है, जो निवास के लिए उपयोग में लाई गई

संपत्ति के विक्रय पर लाभ से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो ऐसे भवनों या उनसे अनुलग्न भूमियों के रूप में है और जो निवास गृह है, के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ पर कटौती को अनुज्ञात करती है, यदि कोई निर्धारिती उस तारीख के, जिसको अंतरण किया गया है, एक वर्ष पहले या दो वर्ष पश्चात् भारत में एक आवासीय संपत्ति क्रय करता है या अंतरण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर आवासीय संपत्ति का संनिर्माण करता है ।

उक्त उपधारा में तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम को इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

एक परंतुक अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दस करोड़ रुपए से अधिक पूंजी अभिलाभ की रकम को उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङक का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट बंधपत्रों या डिबेंचरों में विनिधान की दशा में दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का प्रभारित न किया जानासे संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 27** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङख का संशोधन करने के लिए है, जो दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के अंतरण से होने वाले पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जानासे संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ का कतिपय बंधपत्रों में विनिधान पर प्रभारित न किया जाना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किया जाना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 30** आय-कर अधिनियम की धारा 54च का संशोधन करने के लिए है, जो निवास गृह में विनिधान की दशा में कुछ पूंजी आस्तियों के अंतरण पर पूंजी लाभ का प्रभारित न किया जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति, जो निवास गृह नहीं है, के अंतरण से उदभूत पूंजी अभिलाभ पर कटौती अनुज्ञात करती है, यदि कोई निर्धारिती उस तारीख के, जिसको अंतरण हुआ था, उस तारीख से पूर्व एक वर्ष या उसके दो वर्ष की कालावधि के भीतर भारत में एक निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर एक आवासीय गृह का संनिर्माण किया है ।

उक्त उपधारा में एक दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां नई आस्ति की लागत दस करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, वहां दस करोड़ रुपए से अधिक की रकम को इस उपधारा के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा ।

एक परंतुक अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दस करोड़ रुपए से अधिक की प्रतिफल के रूप में प्राप्त रकम को उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है, जो "समायोजित", "सुधार की लागत" और "अर्जन की लागत" के अर्थ से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, पूंजीगत लाभों की

संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, 'किसी सुधार की लागत' और 'अर्जन की लागत' पदों को परिभाषित करते हैं । तथापि, कतिपय आस्तियां जैसे अमूर्त आस्तियां या किसी अन्य प्रकार का अधिकार जिसके लिए अर्जन हेतु कोई प्रतिफल का संदाय नहीं किया गया है और जिसके अंतरण का परिणाम किसी आय का सृजन हो सकेगा या किसी प्रकार के लाभ या अभिलाभ में संपरिवर्तन किया जा सकता है, किंतु ऐसी आस्तियों के लिए अर्जन की लागत वर्तमान उपबंध में 'कुछ नहीं' के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है ।

'किसी सुधार की लागत' और 'अर्जन की लागत' पदों की परिभाषाओं में 'या अमूर्त आस्ति या कोई अन्य अधिकार' पद अंतःस्थापित करके उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) उन आयों के लिए उपबंध करती है जो ''अन्य स्रोतों से आय'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य हैं ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (viiख) के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हैं कि जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए ऐसा कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, ''अन्य स्रोतें से आय'' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा ।

उक्त खंड (viiख) से, "जो निवासी है" शब्दों का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 56 की उपधारा (2) के उक्त खंड की परिधि के भीतर विनिधानकर्ताओं को उनके निवास पर ध्यान दिए बिना इसके अंतर्गत लाया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (xii) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय में किसी यूनिट धारक द्वारा किसी ऐसे कारबार न्यास से प्राप्त कोई राशि भी सम्मिलित होगी, जो–

(क) धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट आय की प्रकृति की नहीं है ; और

(ख) धारा 115पक की उपधारा (2) के अधीन कर से

प्रभार्य नहीं है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (xii) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से इस प्रकार प्राप्त की गई राशि उसके द्वारा धारित यूनिट या यूनिटों के मोचन के लिए है, वहां इस प्रकार प्राप्त राशि में से यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत को उस सीमा तक घटा दिया जाएगा, जहां तक ऐसी लागत प्राप्त हुई राशि से अधिक नहीं होती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, खंड (xiii) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय, किसी जीवन बीमा पालिसी के अधीन बोनस के माध्यम से आबंटित रकम सहित कोई राशि प्राप्त की जाती है, जो--

(क) किसी यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त राशि, या

(ख) खंड (iv) में निर्दिष्ट आय,

से भिन्न राशि है, जो धारा 10 के खंड (10घ) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ष की कुल आय से अपवर्जित नहीं की जानी है, तो इस प्रकार प्राप्त राशि को, जो ऐसी जीवन बीमा पालिसी की अवधि के दौरान संदत्त प्रीमियम के समग्र से अधिक है तथा जिसका इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन कटौती के रूप में दावा नहीं किया जाता है, ऐसी रीति में संगणित किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए "यूनिट संबद्ध बीमा पालिसी" पद को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 72क का संशोधन करने के लिए है, जो समामेलन या निर्विलयन, आदि में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत या मुजरा करने के संबंध में उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सामरिक विनिवेश से केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी कंपनी में उसकी शेयर धृति का ऐसा विक्रय अभिप्रेत है, जिसके परिणामस्वरूप–

(क) उसकी शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाती

है ; और

(ख) नियंत्रण क्रेता को अंतरित हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि शेयर धृति इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाने संबंधी शर्त ऐसी दशा में लागू होगी, जहां केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर की शेयर धृति, शेयर धृति के ऐसे विक्रय से पूर्व इक्यावन प्रतिशत से अधिक थी ।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे सामरिक विनिवेश के संबंध में नियंत्रण के अंतरण संबंधी अपेक्षा केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर कंपनी या उनमें से किन्हीं दो या सभी द्वारा पूरी की जा सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 34** आय-कर अधिनियम की धारा 72कक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय दशाओं में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक का अग्रनीत किया जाना और मुजरा से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे सामरिक विनिवेश के परिणामस्वरूप एक या अधिक बैंककारी कंपनियों के किसी अन्य बैंककारी संस्था या किसी कंपनी के साथ समामेलन की दशा में संचयित हानियों और शेष अवक्षयण मोक को अग्रनीत किए जाने को भी उस समय अनुज्ञात किया जा सके, यदि ऐसा समामेलन सामरिक विनिवेश के पांच वर्ष के भीतर होता है ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (viक) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे "सामरिक विनिवेश" पद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सके कि उसका वही अर्थ होगा, जो धारा 72क की उपधारा (1) के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में उसका है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम की धारा 79 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों की दशा में हानियों का अग्रणीत किया जाना और उनका मुजरा किया जाना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां किसी कंपनी

की दशा में, जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान् रूप से हितबद्ध है, पूर्ववर्ष में शेयरधृति में कोई परिवर्तन हुआ है, वहां किसी भी ऐसी हानि को, जो उस पूर्ववर्ष की किसी पूर्ववर्ष उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित थे, जो उस वर्ष या वर्षों के, जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे ।

उपधारा (1) का परंतुक उपबंध करता है कि धारा 80झकग में यथानिर्दिष्ट किसी पात्र स्टार्ट अप की दशा में पूर्वोक्त शर्त को पूरा नहीं किया जाता है, पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को फिर भी पूर्ववर्ती वर्ष की आय के विरुद्ध अग्रनीत करने और मुजरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारक, जो उस वर्ष या वर्षों जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, के अंतिम दिन मतदान शक्ति वाले शेयर धारण करते थे, ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम दिन और यदि ऐसी हानि उस वर्ष, जिसमें ऐसी कंपनी निगमित हुई है, से प्रारंभ होने वाले सात वर्ष के दौरान ऐसी हानि उपगत हुई है, उन शेयरों को धारण करना जारी रखेंगे ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अवधि को "सात" वर्ष से बढ़ाकर "दस" वर्ष किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम की धारा 80ग का संशोधन करने के लिए है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (7) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय पेंशन निधियों में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन को 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (क) का लोप करने का प्रस्ताव है, जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80गगज अंत:स्थापित करने के लिए है जो अग्निपथ स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती से संबंधित है ।

एक नई धारा 80गगज अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती ने, जो अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि है और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय कर रहा है, उक्त निधि में अपने खाते में पूर्ववर्ष में कोई रकम संदत्त की है या जमा की है, वहां उक्त स्कीम के अनुसार निर्धारिती को इस प्रकार संदत्त या जमा की गई संपूर्ण रकम को उसकी कुल आय की संगणना में कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और जहां केंद्रीय सरकार इस उपधारा में निर्दिष्ट अग्निवीर समग्र निधि में उसके खाते में कोई अभिदाय करती है, वहां निर्धारिती को इस प्रकार अभिदाय की गई संपूर्ण रकम के लिए उसकी कुल आय की संगणना में कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 40** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) अन्य बातों के साथ उन निधियों के नामों का उपबंध करती है जिनमें निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष में संदान के रूप में संदत्त कोई रकम इस प्रकार संदत्त रकम के पचास प्रतिशत तक कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाता है ।

उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (ii), उपखंड (iiiग) और उपखंड (iiiघ) का लोप करने का प्रस्ताव किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) का पहला परंतुक, अन्य बातों के साथ,

उस समय का उपबंध करता है, जिसके भीतर उक्त उपधारा के खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि से, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को अनुमोदन के लिए आवेदन करना अपेक्षित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि, जो उक्त परंतुक के खंड (i), खंड (ii) या खंड (iii) के अंतर्गत नहीं आती है, उस समय अनुमोदन हेतु आवेदन कर सकती है, यदि संस्थान या निधि ने,--

(अ) उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्व वर्ष के आरंभ से कम से कम एक मास पूर्व कार्यकलाप आरंभ नहीं किया है ;

(आ) कार्यकलाप आरंभ कर दिया है और जहां उक्त संस्था या निधि की किसी आय या उसके किसी भाग को, ऐसे कार्यकलाप आरंभ करने के पश्चात् किसी समय ऐसे आवेदन की तारीख को या उससे पूर्व समाप्त होने वाले किसी पूर्व वर्ष के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) या धारा 11 या धारा 12 के लागू होने के कारण कुल आय से अपवर्जित किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक का खंड (ii) वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा अनुमोदन अनुदत्त करने की प्रक्रिया का उपबंध करता है जहां पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन आवेदन किया गया है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iv) के प्रस्तावित उपखंड (आ) के अधीन किया जाता है, तो प्रधान आयुक्त या आयुक्त खंड (ii) के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के खंड (ii) के उपखंड (ख) की मद (आ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त का उक्त खंड के उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन कार्यकलापों के उद्देश्य और वास्तविकता के संबंध में और उक्त खंड के उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन अनुपालना का समाधान नहीं होता है तो वह लिखित आदेश पारित करेगा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्,--

(I) पहले परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही उसके अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ; या

(II) पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (आ) में निर्दिष्ट किसी मामले में ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ।

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक के खंड (iii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iv) के उपखंड (अ) के अधीन किया गया है या आवेदन पहले परंतुक के खंड (iv), जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व यथाविद्यमान था, के अधीन किया गया है, वहां वह उस निर्धारण वर्ष, जिससे अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ।

ये संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (5) का तीसरा परंतुक, अन्य बातों के साथ, उस समय-सीमा का उपबंध करता है, जिसके दौरान पहले परंतुक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पहले परंतुक के अधीन आदेश किया जाना अपेक्षित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "पहले परंतुक" के स्थान पर, "दूसरे परंतुक" के प्रतिनिर्देश को रखा जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, निर्धारिती के विकल्प पर, निगमन के वर्ष से प्रारंभ होने वाले दस वर्ष में से तीन सतत निर्धारण वर्षों के लिए किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा किसी पात्र कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के एक सौ प्रतिशत के समतुल्य रकम की कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उपखंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे पात्र स्टार्ट-अप की निगमन की अवधि का ऐसी अवधि तक विस्तार किया जा सके जिससे पूर्व उनका "1 अप्रैल, 2023" से "1 अप्रैल, 2024" तक निगमित किया जाना है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 87 का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर की संगणना करने में अनुज्ञात

किया जाने वाला रिबेट से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) में, धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख, धारा 88ग और धारा 88घ के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जो पारिणामिक प्रकृति का है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 43** आय-कर अधिनियम की धारा 87क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर का रिबेट से संबंधित है ।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी उस कुल आय पर, जिसके लिए वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभार्य है आय-कर की रकम से (इस अध्याय के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व यथा संगणित) ऐसे आय-कर के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की या बारह हजार पांच सौ रुपए की रकम की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का हकदार होगा ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती की कुल आय पर संदेय आय-कर की संगणना धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन की जाती है, वहां उक्त धारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानो,--

(i) "पांच लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, ''सात लाख रुपए'' शब्द रख दिए गए हों ;

(ii) "बारह हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस हजार रुपए'' शब्द रख दिए गए हों

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 88 का लोप करने के लिए है जो जीवन-बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय, आदि पर रिबेट से संबंधित है ।

उक्त धारा का लोप करने का प्रस्ताव है जिसको वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा सीमांत बनाया गया था और धारा 80ग को उसमें सूचीबद्ध विभिन्न लिखतों पर कटौती अनुज्ञात करने के लिए समाविष्ट किया गया था ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की धारा 92खक का संशोधन करने के लिए है, जो 'विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार' के अर्थ से

संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नया खंड (vख) जोड़ने का प्रस्ताव है जिससे सहकारी सोसाइटी तथा निकट संबंध वाले किसी अन्य व्यक्ति के बीच संव्यवहार को 'विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार' के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सके । यह नई धारा 115खकङ के अंत:स्थापन के पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम की धारा 92घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय व्यक्तियों द्वारा जानकारी और दस्तावेज का रखा जाना और उनका प्रस्तुत किए जाने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कोई अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार किया है, उसकी बाबत ऐसी जानकारी और दस्तावेज रखेगा और बनाए रखेगा, जो विहित किए जाएं ।

उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह इस संबंध में जारी की गई सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उसमें निर्दिष्ट कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करे । उपधारा (3) का परंतुक यह और उपबंध करता है कि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर तीस दिन की अवधि को तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

उक्त उपधारा (3) और उसके परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कोई जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए उक्त अवधि को तीस दिन से घटाकर दस दिन किया जा सके, जो तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ाने योग्य हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करने से संबंधित है ।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज के रूप में या वैसी ही प्रकृति का कोई व्यय उपगत करता है, जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने

वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है, वहां उक्त शीर्ष के अधीन आय की संगणना में कटौती योग्य ब्याज, करों, अवक्षयण और अपाकरण से पहले इसके अर्जनों या सहयुक्त उद्यम को संदत्त या संदेय ब्याज का तीस प्रतिशत की सीमा तक, जो भी कम हो, निर्बंधित होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों के ऐसे वर्ग, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचित किया जाए, को भी लागू नहीं होंगे ।

इसके अतिरिक्त, "गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 111क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है, जो दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का लोप करने का प्रस्ताव है जो धारा 88 के लोप के कारण पारिणामिक है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग का संशोधन करने के लिए है, जो व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, की संगणना ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, निम्नलिखित सारणी में दी गई कर की दर पर की जाएगी, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है ।

उक्त धारा के पार्श्व शीर्ष का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा व्यष्टियों, हिन्दु अविभक्त कुटुंब और अन्य की आय पर कर को लागू होती है ।

उक्त धारा में उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किंतु अध्याय 12 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति संगम (किसी सहकारी सोसाइटी से भिन्न) या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं या धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से भिन्न, जो उपधारा (6) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग करता है, किसी कृत्रिम विधिक व्यक्ति की कुल आय के संबंध में 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर की संगणना निम्नलिखित सारणी में दी गई दर पर की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अग्निपथ स्कीम में अभ्यावेशित व्यष्टि और 1 नवंबर, 2022 को या उसके पश्चात् अग्निवीर समग्र निधि में अभिदाय करने वाले व्यष्टि को रियायती कर व्यवस्था का फायदा प्रदान करने के लिए धारा 80गगज की उपधारा (2) के प्रतिनिर्देश किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का, अन्य बातों के साथ, संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) के प्रयोजनों के लिए उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति की कुल आय की संगणना धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के अधीन या खंड (14) (ऐसे प्रयोजन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं) या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 के खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 24 के खंड (ख) [धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबत] या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या 80गगज की उपधारा (2) या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी भी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि–

(i) ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती ने 1 अप्रैल, 2023 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए उपधारा (5) के अधीन किसी विकल्प का प्रयोग नहीं किया है ;

(ii) निर्धारिती की कुल आय पर आय-कर की संगणना उपधारा (1क) के अधीन की गई है ; और

(iii) आस्तियों के किसी खंड की बाबत अवक्षयण मोक है, जिसको 1 अप्रैल, 2024 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पूर्व पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं किया गया है,

तत्स्थानी समायोजन ऐसी आस्ति खंड के अवलिखित मूल्य पर 1 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार यथाविहित रीति में किया जाएगा ।";

उक्त धारा में उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसके पास धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की कोई यूनिट है,--

(i) जिसने 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए किंतु 1 अप्रैल, 2024 से पूर्व उपधारा (5) के अधीन विकल्प का उपयोग किया है, या

(ii) जिसकी कुल आय की संगणना उपधारा (1क) के अधीन की गई है,

उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को उस परिमाण तक उपांतरित किया जाएगा कि धारा 80ठक के अधीन कटौती ऐसी यूनिट को उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा होने के अधीन रहते हुए उपलब्ध होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (5) में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस उपधारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष को लागू नहीं होंगे अर्थात् कोई व्यक्ति, जो व्यष्टिक या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कराधान की रियायती दर के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा ।

उक्त धारा में उपधारा (6) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट कोई

बात, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जहां किसी निर्धारण वर्ष के लिए यथाविहित रीति में, ऐसे व्यक्ति दवारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है और ऐसा विकल्प,-

(i) कारबार या वृत्ति से आय वाले व्यक्ति की दशा में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व प्रयोग किया जाएगा, और एक बार प्रयोग करने पर ऐसा विकल्प पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए लागू होगा ; या

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट आय न रखने वाले व्यक्ति की दशा में, ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ प्रयोग किया जाएगा ।

तथापि, उक्त धारा के खंड (i) के अधीन विकल्प किसी पूर्व वर्ष के लिए एक बार प्रयोग होने पर उस वर्ष से भिन्न जिसमें इसे प्रयोग किया गया था, एक पूर्व वर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और तत्पश्चात, सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति कारबार या वृत्ति से कोई आय नहीं रखता है, इस उपधारा के अधीन विकल्प के प्रयोग के लिए कभी भी पात्र नहीं होगा, उस दशा में उपधारा (6) के खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध रहेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 51** आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 115खकघ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, सहकारी सोसाइटियों के लिए रियायती कराधान व्यवस्था का उपबंध करते हैं, जिनमें वे 22% की घटी हुई दर पर कर का संदाय करने का विकल्प चुन सकते हैं यदि वे कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का फायदा नहीं लेते हैं ।

पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नई विनिर्माता सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित नई धारा 115खकङ का अंतःस्थापन किया जा रहा है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खकङ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो नयी विनिर्माता सहकारी सोसाईटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा, अन्य बातों के साथ, आय-कर अधिनियम में धारा 115खकख अंतःस्थापित की गई है जो यह उपबंध करती है कि 1.10.2019 को या उसके पश्चात् गठित की गई नयी विनिर्माता देशी कंपनियों, जो 31.3.2023 तक विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करती है तथा कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का फायदा नहीं देती है, 15% की रियायती दर पर कर के संदाय का विकल्प चुन सकेंगे । वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करने के लिए समय 31.3.2024 तक बढ़ा दिया गया है । इसी उपबंध को नयी विनिर्माता सहकारी सोसाईटियों के लिए उपबंधित नहीं किया गया है ।

एक नयी धारा 115खकङ को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1.4.2023 को या उसके पश्चात् गठित नयी विनिर्माता सहकारी सोसाइटी, जो 31.3.2025 तक विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करती है तथा कोई विनिर्दिष्ट प्रोत्साहन या कटौतियों का फायदा नहीं उठाती है, 15% की रियायती दर पर कर के संदाय का विकल्प चुन सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 53** आय-कर अधिनियम की धारा 115खख का संशोधन करने के लिए है जो लाटरी, वर्ग पहेली, दौड़ जिसके अंतर्गत घुड़दौड़ भी है, ताश के खेल, अन्य सभी प्रकार के खेल या हर प्रकार का या प्रकृति का जुआ या दांव से जीत पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करके उसे संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, 1 अप्रैल, 2024 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से आय पर लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित करने का यह और प्रस्ताव है जिससे "घुड़दौड़" और "आनलाइन खेल" पद को परिभाषित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 54** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खखञ अंत:स्थापित करने के लिए है, जो आनलाइन खेल से जीत

पर कर से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से आय भी है, संदेय आय-कर निम्नलिखित का कुल योग होगा–

(i) पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे आनलाइन खेलों से शुद्ध जीतों पर संगणित आय-कर की रकम, विहित रीति में संगणित तीस प्रतिशत की दर पर होगी ; और

(ii) आय-कर की रकम, जो निर्धारिती पर प्रभार्य होती यदि उसकी कुल आय खंड (i) में निर्दिष्ट शुद्ध जीतों से घटा दी गई होती ।

उक्त धारा में निम्नलिखित परिभाषाओं का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है :

"कंप्यूटर संसाधन", "इंटरनेट" और "आनलाइन खेल" पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 55** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे ।

जहां,-

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकङ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 56** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञघ का

संशोधन करने के लिए है, जो अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जहां,-

(i) ऐसे व्यक्ति ने धारा 115खकग की उपधारा (5) या धारा 115खकघ की उपधारा (5) या धारा 115खकङ की उपधारा (5) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति की कुल आय के संबंध में संदेय आय-कर, धारा 115खकग की उपधारा (1क) के अधीन संगणित किया जाता है ।"।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) में एक नया खंड (iii) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदित किसी संस्था या न्यास को किसी ऐसे रूप में परिवर्तित समझा जाएगा, जो पूर्व वर्ष में रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन के लिए पात्र नहीं है, यदि विनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) या धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के उपबंधों के अनुसार उक्त खंडों या उपखंडों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो उक्त पूर्व वर्ष में समाप्त हो गई है, आवेदन करने में असफल रहता है ।

उक्त धारा की उपधारा (5) के खंड (ii) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, प्रधान अधिकारी या न्यासी और विनिर्दिष्ट व्यक्ति भी अनुवर्धित आय पर कर के संदाय के लिए दायी होगा, जिसे उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ii) के उपखंड (क) का खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में पूर्व वर्ष के अंत से चौदह दिन के भीतर केंद्रीय सरकार को जमा किया जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (i) उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए "संपरिवर्तन की तारीख" की परिभाषा का उपबंध करता है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (i), जो "संपरिवर्तन की तारीख" पद को परिभाषित करता है, का भी उसमें एक नया उपखंड (ग)

अंत:स्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संपरिवर्तन की तारीख से ऐसी अंतिम तारीख भी अभिप्रेत होगी, जो उपधारा (3) के खंड (iii) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यथास्थिति, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने या धारा 10 के खंड (23ग) के पहले परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 58** आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3क) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध किसी कारबार न्यास से किसी यूनिट धारक द्वारा प्राप्त की गई ऐसी किसी राशि के संबंध में लागू नहीं होंगे, जिसे धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (xii) में निर्दिष्ट किया गया है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 59** आय-कर अधिनियम की धारा 115पख का संशोधन करने के लिए है, जो विनिधान निधि और उसके यूनिट धारकों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "विनिवेश निधि" पद की परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंध) विनियम, 2022 के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 60** आय-कर अधिनियम की धारा 116 का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर प्राधिकारी से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (गगक) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए आय-कर संयुक्त

आयुक्त (अपील) को सम्मिलित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 61** आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है, जो अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 62** आय-कर अधिनियम की धारा 131 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रकटीकरण, साक्ष्य पेश करने आदि के बारे में शक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 63** आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि तलाशी के दौरान प्राधिकृत अधिकारी ऐसी तलाशी के दौरान अपेक्षित किन्हीं कार्रवाईयों में सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की सेवाएं अध्यपेक्षित कर सकेगा और ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करना ऐसे हर अधिकारी का कर्तव्य होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी के दौरान तलाशी के प्रयोजनों हेतु अपनी सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी, या दोनों, या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा, जैसा इस संबंध में बोर्ड द्वारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो नियमों में उपबंधित की जाए, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान महा निदेशक या महा निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए, और ऐसे अधिकारी या व्यक्ति या इकाई का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।

उक्त धारा की उपधारा (9घ) यह उपबंध करती है कि प्राधिकृत अधिकारी तलाशी के दौरान मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश करेगा जो संपत्ति के कथित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा और ऐसा निर्देश तलाशी के दौरान या तलाशी के लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन

करने की तारीख से साठ दिन के भीतर किया जा सकेगा ।

इसके अतिरिक्त, धारा की उपधारा (9घ) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या अभिग्रहण के दौरान या अंतिम प्राधिकारी तारीख से, साठ दिन के भीतर, धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी को, या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अन्य व्यक्ति या इकाई को या किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, जैसा इस संबंध में बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त, प्रधान महा निदेशक या महा निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए, निर्देश कर सकेगा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य का प्राक्कलन करेगा तथा, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या निर्धारण अधिकारी को प्राक्कलन की रिपोर्ट ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (9क), उपधारा (9ख) और उपधारा (9ग) के प्रयोजनों के लिए, "तलाशी के लिए प्राधिकार का निष्पादन के संबंध में ऐसा प्राधिकार, तलाशी के मामले में, ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके मामले में प्राधिकार का वारंट जारी किया जा चुका है, तैयार अंतिम पंचनामे में यथा अभिलिखित तलाशी के पूर्ण होने पर ; और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के मामले में, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या आस्तियों की वास्तविक प्राप्ति पर, निष्पादित किया गया समझा जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 64** आय-कर अधिनियम की धारा 133 का संशोधन करने के लिए है, जो जानकारी मांगने की शक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 134 का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनियों के रजिस्टर का निरीक्षण करने की शक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की धारा 135क का संशोधन करने के लिए है जो सूचना का पहचानविहीन संग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उक्त उपधारा (2) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस उपधारा के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 140ख का संशोधन करने के लिए है जो अद्यतन विवरणी पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना निर्धारित कर के समतुल्य रकम या उस रकम, जिसके द्वारा संदत्त अग्रिम रकम निर्धारित कर से कम होता है, पर की जाएगी । इसके अतिरिक्त, उक्त उपधारा के खंड (क) का उपखंड (i) आय की पूर्वतर विवरणी पर दावा किए गए अग्रिम कर की कटौती का भी उपबंध करता है ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 234ख के अधीन संदेय ब्याज की संगणना अग्रिम कर की रकम से यथा कम की गई निर्धारित कर की रकम के समतुल्य रकम पर की जाए, इसके लिए किसी पूर्वतर विवरणी में, यदि कोई हो, प्रत्यय का दावा किया गया है ।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 68** आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारण के पूर्व जांच से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2क) यह उपबंध करती है कि यदि निर्धारण अधिकारी, उसके समक्ष कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, लेखाओं की प्रकृति और जटिलता, लेखाओं के परिणाम, लेखाओं की शुद्धता के बारे में शंकाओं, लेखाओं में संव्यवहारों की बहुलता या निर्धारिती के कारबार क्रियाकलापों की विशिष्ट प्रकृति और राजस्व के हित को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है तो वह प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से निर्धारिती को यह निदेश दे सकेगा कि वह किसी लेखापाल द्वारा अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराए और नियमों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

उक्त धारा की उपधारा (2क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारण अधिकारी को निर्धारिती की तालिका का भी किसी

लागत लेखापाल द्वारा मूल्यांकन कराए जाने हेतु समर्थ बनाया जा सके ।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि "लागत लेखापाल" पद को इस प्रकार परिभाषित किया जा सके कि उससे लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित लागत लेखापाल अभिप्रेत हो और जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय करने का विधिमान्य प्रमाणपत्र धारण करता हो ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

विधेयक का **खंड 69** आय-कर अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करने के लिए, जो सूचना जारी करना, जहां आय निर्धारण से छूट गई है, से संबंधित है ।

उक्त धारा उपबंध करती है कि अधिनियम के अधीन निर्धारण, पुन: निर्धारण या पुन:संगणना करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी निर्धारिती को ऐसी अवधि के भीतर, जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उसकी आय की विवरणी या किसी अन्य व्यक्ति की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सूचना की तामील करेगा, जिसके संबंध में वह निर्धारणीय है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी विवरणी को उस मास के अंत से तीन मास की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ऐसी सूचना जारी की जाती है या ऐसी और अवधि के भीतर, जो निर्धारण अधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की जाए, प्रस्तुत की जाएगी ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा में तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आय की कोई विवरणी, जिसको इस धारा के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जिसे अनुज्ञात अवधि से परे प्रस्तुत किया गया है, को धारा 139 के अधीन विवरणी नहीं समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 70** आय-कर अधिनियम की धारा 149 का संशोधन करने के लिए है, जो सूचना की समय-सीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में दूसरे परंतुक के पश्चात् नए परंतुक अंत:स्थापित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 148 के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i), खंड

(iii) और खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों के लिए जहां किसी वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के पश्चात्, धारा 132 के अधीन कोई तलाशी आरंभ की जाती है या धारा 132 के अधीन कोई तलाशी, जिसके लिए अंतिम प्राधिकार का निष्पादन किया गया है या धारा 132क के अधीन कोई अध्यपेक्षा की गई है और धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने की अवधि ऐसे वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो रही है, वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148 के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा ।

प्रस्तावित चौथा परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां धारा 148 के स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट जानकारी, यथास्थिति, धारा 131 या धारा 133क के अधीन लेखबद्ध किए गए किसी कथन या जब्त किए गए दस्तावेजों से किसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को या उससे पूर्व किसी तलाशी, जो धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है या किसी तलाशी, जिसके लिए धारा 132 के अधीन ऐसे वित्तीय वर्ष के 15 मार्च के पश्चात् प्राधिकारों में से अंतिम का निष्पादन किया गया है या किसी अध्यपेक्षा, जो धारा 132क के अधीन की गई है, के परिणामस्वरूप सामने आती है, वहां इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए पन्द्रह दिन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा और ऐसे किसी मामले में धारा 148क के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना को ऐसे वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को जारी किया गया समझा जाएगा ।

उक्त उपधारा के छठवें परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां तुरंत पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट अवधि के अपवर्जन के तुरंत पश्चात् निर्धारण अधिकारी को धारा 148क के खंड (घ) के अधीन कोई आदेश पारित करने के लिए उपलब्ध परिसीमा की अवधि सात दिन से अनधिक होती है, वहां ऐसी शेष अवधि को सात दिनों के लिए विस्तारित किया जाएगा और इस उपधारा के अधीन परिसीमा की अवधि को तदनुसार विस्तारित किया गया समझा जाएगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 71** आय-कर अधिनियम की धारा 151 का संशोधन करने के लिए है जो सूचना जारी की जाने के लिए मंजूरी से संबंधित है ।

उक्त धारा का खंड (ii) यह कथन करता है कि अधिनियम की धारा 148 और धारा 148क के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक होगा, यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से तीन से

अधिक वर्ष व्यपगत हो गए हैं ।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, तीन वर्ष की अवधि की संगणना धारा 149 की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक द्वारा यथा अपवर्जित या इसके छठवें परंतुक द्वारा बढ़ाई गई परिसीमा अवधि को हिसाब लेने के पश्चात् की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 72** आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण, पुन: निर्धारण और पुन: संगणना को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है ।

उपधारा (1) के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण का आदेश पारित करने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट नौ मास की अवधि केवल 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए लागू होगी ।

एक नए परंतुक को और अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे 1 अप्रैल, 2022 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से संबंधित निर्धारण का कोई आदेश उस निर्धारण वर्ष के अंत से बारह मास के भीतर पारित किया जाएगा, जिसमें आय प्रथमबार निर्धारण योग्य थी ।

उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 139 की उपधारा (8क) के अधीन प्रस्तुत की गई थी, निर्धारण के आदेश को नौ मास से बारह मास तक पारित करके समय-सीमा को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन आदेश को भी लागू होंगे ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3क) अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां निर्धारण धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने की और धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को निर्धारण या पुन: निर्धारण लंबित है वहां उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (1क), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, निर्धारण या पुन:निर्धारण के पूरा किए जाने के लिए उपलब्ध अवधि उस मामले में बारह वर्ष तक बढ़ा दी जाएगी, जहां ऐसी तलाशी धारा 132 के अधीन आरंभ की जाती है या धारा 132क के अधीन ऐसी अध्यपेक्षा की जाती है या ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिसका संबंध

किसी धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंध है या ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई धन, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज से संबंधित है या ऐसे निर्धारिती के मामले में, जिससे अभिगृहीत या अध्यपेक्षित कोई लेखाबहियां या दस्तावेज संबंधित है या उनमें अंतर्विष्ट कोई सूचना उससे संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसके उपबंध अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (1क) और उपधारा (3क) के अंतर्गत आने वाले मामलों को भी लागू होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (5) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के उपबंध, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा धारा 263 या धारा 264 के अधीन पारित आदेश को भी लागू होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (6) का संशोधन करने का प्रस्ताव भी है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट कोई बात उसमें उल्लिखित निर्धारणों, पुन:निर्धारणों और पुन:संगणना के वर्गों को भी लागू नहीं होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (6) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि जहां धारा 250, धारा 254, धारा 260, धारा 262, धारा 263 या धारा 264 के अधीन किसी आदेश में अंतर्विष्ट या इस अधिनियम के अधीन किसी अपील या निर्देश के माध्यम से अन्यथा भिन्न किसी कार्रवाई में किसी न्यायालय के आदेश में अंतर्विष्ट किसी निष्कर्ष या निदेश के परिणामस्वरूप या उसको प्रभावी करने के लिए किसी निर्धारिती या किसी व्यक्ति के संबंध में कोई निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना की जाती है, वहां ऐसा निर्धारण, पुन:निर्धारण और पुन:संगणना को उस मास के, जिसमें ऐसा आदेश, यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है या पारित किया जाता है, के अंत से बारह मास की समाप्ति पर या उससे पहले पूरी की जाएगी ।

उक्त उपधारा का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के उपबंध प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन पारित आदेश को भी लागू होंगे ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 के पहले परंतुक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे इसे उक्त धारा की उपधारा (1क) में उल्लिखित परिसीमा की अवधि को उपलब्ध कराया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iv) का संशोधन करने का

प्रस्ताव है, जिससे समय-सीमा की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए लागत लेखापाल के माध्यम से तालिका मूल्यांकन के लिए अवधि को अपवर्जित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2023-2024 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

विधेयक का **खंड 73** आय-कर अधिनियम की धारा 154 का संशोधन करने के लिए है, जो भूल सुधार से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 74** आय-कर अधिनियम की धारा 155 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य संशोधनों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (11क) यह उपबंध करती है कि जहां किसी वर्ष के लिए निर्धारण में धारा 10क या धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौती इस आधार पर अनुज्ञात नहीं की गई है कि ऐसी आय, भारत में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं की गई है या आंशिक रूप से प्राप्त की गई है और परिणामस्वरूप ऐसी आय या उसका भाग भारत में प्राप्त किया गया है या भारत में लाया गया है, वहां निर्धारण अधिकारी, निर्धारण आदेश में संशोधन करेगा, जिससे ऐसी कटौती को बाद में अनुज्ञात किया जा सके ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 10कक का प्रतिनिर्देश प्रदान करके निर्धारण अधिकारी को, उसके निर्धारण आदेश को बाद में संशोधित करने हेतु अनुज्ञात किया जा सके, जिससे वह विहित समय-सीमा के भीतर भारत में प्राप्त नहीं की गई या भारत में नहीं लाई गई किसी आय या उसके भाग के संबंध में कटौती का उपबंध कर सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2024-2025 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (19) अंत:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा, जो चीनी के विनिर्माण के कारबार में नियोजित एक सहकारी समिति है, गन्ने के क्रय के लिए उपगत किसी व्यय की बाबत किसी कटौती का दावा किया गया है और ऐसी कटौती को 1 अप्रैल, 2014 को या उससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अननुज्ञात कर दिया गया है, तो निर्धारण अधिकारी,

इस संबंध में ऐसे निर्धारिती द्वारा किए गए किसी आवेदन के आधार पर उस विस्तार तक कि ऐसा व्यय उस कीमत पर उपगत किया जाता है, जो उस पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा नियत या अनुमोदित कीमत के समतुल्य है या उससे कम है, ऐसी कटौती को अनुज्ञात करने के पश्चात् ऐसे पूर्ववर्ष के लिए ऐसे निर्धारिती की कुल आय की पुन:संगणना करेगा और धारा 154 के उपबंध, जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे तथा धारा 154 की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को 1 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष की समाप्ति से गणना में लिया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (20) अंत:स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती द्वारा, धारा 139 के अधीन किसी निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें "सुसंगत निर्धारण वर्ष" कहा गया है) के लिए प्रस्तुत आय की विवरणी में कोई आय सम्मिलित की गई है और ऐसी आय पर स्रोत से कर की कटौती की गई है और पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदत्त की गई है, निर्धारण अधिकारी, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें स्रोत पर ऐसे कर की कटौती की गई थी, की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर विहित प्ररूप में निर्धारिती द्वारा किए गए आवेदन पर निर्धारण के आदेश या सुसंगत निर्धारण वर्ष में स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को अनुज्ञात करते हुए किसी सूचना का संशोधन करेगा और धारा 154 के उपबंध जहां तक हो सके, उस पर लागू होंगे और उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट चार वर्षों की अवधि को वित्त वर्ष के अंत से जिसमें ऐसे कर की कटौती की गई है, गणना में लिया जाएगा । तथापि, स्रोत पर कटौती किए गए ऐसे कर के प्रत्यय को किसी अन्य निर्धारण वर्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 75** आय-कर अधिनियम की धारा 158क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया जब निर्धारिती दावा करता है कि विधि का समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है, से संबंधित है ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 76** आय-कर अधिनियम की धारा 158कख का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया, जहां विधि का कोई समरूप प्रश्न उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित हो, से

संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित करके किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 77** आय-कर अधिनियम की धारा 170क को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो किसी कारबार पुनर्गठन के संबंध में अधिकरण या न्यायालय के किसी आदेश के प्रभाव से संबंधित है ।

विद्यमान धारा यह उपबंध करती है कि कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां आय-कर विवरणी धारा 139 के अधीन उत्तराधिकारी द्वारा फाइल की गई है, वहां ऐसा उत्तराधिकारी उस मास के अंत से छह मास के भीतर उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें ऐसा कारबार पुनर्गठन उक्त आदेश तक सीमित के अनुसार जारी किया गया था ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 139 में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, कारबार पुनर्गठन की दशा में, जहां उच्च न्यायालय या अधिकरण या न्यायनिर्णयन अधिकारी के आदेश की तारीख से पूर्व, उस पूर्व वर्ष, जिसको ऐसा आदेश लागू होता है, से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 139 के उपबंधों के अधीन इकाई द्वारा आय की कोई विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो उत्तराधिकारी, उस मास, जिसमें उक्त आदेश जारी किया गया था, के अंतिम दिन से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त आदेश के अनुसार और उस तक सीमित, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करेगा ।

प्रस्तावित उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुन:निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को पूर्ण हो गई हैं, तो निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसार तथा इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, ऐसे सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय को उपांतरित करने वाला कोई आदेश पारित करेगा । यह भी प्रस्ताव है कि यदि सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुन:निर्धारण की कार्यवाहियां उपधारा (1) के अधीन उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को लंबित हैं, तो निर्धारण अधिकारी, कारबार पुनर्गठन के आदेश के अनुसार तथा इस प्रकार प्रस्तुत उपांतरित विवरणी को ध्यान में रखते हुए, सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का निर्धारण या पुन: निर्धारण का कोई आदेश पारित करेगा ।

और, प्रस्तावित उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि जब तक अन्यथा उपबंध न किया जाए, इस धारा के अधीन किए गए

निर्धारण या पुन: निर्धारण को आय-कर अधिनियम के अन्य सभी उपबंध लागू होंगे तथा ऐसे मामलों में ऐसे निर्धारण वर्ष को लागू दर पर कर प्रभार्य होगा ।

प्रस्तावित स्पष्टीकरण, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "कारबार पुनर्गठन" और "उत्तराधिकारी" पदों को परिभाषित करने के लिए है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 78** आय-कर अधिनियम की धारा 177 का संशोधन करने के लिए है, जो विघटित संगम या बंद कर दिया गया कारबार से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 79** आय-कर अधिनियम की धारा 189 का संशोधन करने के लिए है, जो विघटित फर्म या बंद कर दिया गया कारबार से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 80** आय-कर अधिनियम की धारा 192क का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कर्मचारी को शोध्य संचयित अतिशेष के संदाय से संबंधित है ।

उक्त धारा के उपबंध कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के अधीन किसी कर्मचारी को कराधेय घटक के शोध्य संचयित अतिशेष के संदाय पर दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती को उपबंधित करते हैं । उक्त धारा का दूसरा परंतुक उपबंध करता है कि किसी रकम को, जिस पर उक्त धारा के अधीन कर कटौती योग्य है, प्राप्त करने के लिए हकदार कोई व्यक्ति ऐसे कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक देगा, जिसमें असफल रहने पर अधिकतम सीमांत दर पर कर की कटौती की जाएगी ।

उक्त धारा के दूसरे परंतुक का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 81** आय-कर अधिनियम की धारा 193 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा के परंतुक का खंड (ix) यह उपबंध करता है कि किसी

कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटेरियलाइज रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय किसी ब्याज पर कर की कटौती नहीं की जाएगी ।

उक्त खंड का लोप करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 82** आय-कर अधिनियम की धारा 194ख का संशोधन करने के लिए है, जो लाटरी या वर्ग पहेली से जीत से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 194ख की परिधि के अंतर्गत जुआ से या किसी भी प्रकार के या किसी भी प्रकृति का दांव लगाने से, जीत को सम्मिलित किया जा सके और पार्श्व शीर्ष का तदनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा के अधीन कर की कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों के योग पर की जाएगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

यह उपबंध करने के लिए एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 1 जुलाई, 2023 को या उसके पश्चात् किसी आनलाइन खेल से जीत पर आय-कर की कटौती को लागू नहीं होगी और यह उपबंध करने के लिए एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि "आनलाइन" खेल का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावित धारा 115खखञ के स्पष्टीकरण के खंड (iii) उसका है ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 83** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194खक अंत:स्थापित करने के लिए है, जो आनलाइन खेल से जीत से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी आनलाइन खेल से जीत के माध्यम से किसी आय को किसी व्यक्ति को संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, प्रवृत्त दरों पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, विहित रीति में संगणित उसके उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत पर आय-कर की कटौती करेगा ।

उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि उस मामले में,

जहां वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोक्ता खाते से रकम निकाली जाती है, तो आय-कर ऐसी निकासी से मिलकर बनी शुद्ध जीत के साथ-साथ उपयोक्ता खाते में शुद्ध जीत की शेष रकम पर ऐसी निकासी के समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विहित रीति में संगणित किया जाएगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि उस मामले में, जहां शुद्ध जीत पूर्णत: वस्तु रूप में है अथवा भागत: नकद रूप में और भागत: वस्तु रूप में है किन्तु नकदी का भाग संपूर्ण जीत की बाबत कर की कटौती के दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति जीत का निर्गम करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी शुद्ध जीत की बाबत कर का संदाय कर दिया गया है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि यदि धारा 194खक के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) उपबंध करती है कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया प्रत्येक मार्गदर्शक सिद्धांत, इसे जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा, और आय-कर प्राधिकारियों तथा आय-कर की कटौती करने के लिए दायी व्यक्ति पर बाध्यकारी होगा ।

"कंप्यूटर संसाधन", "इंटरनेट", "आनलाइन खेल", "आनलाइन खेल मध्यवर्ती" "उपयोक्ता" और "उपयोक्ता खाता" की परिभाषा का उपबंध करने का भी प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 84** आय-कर अधिनियम की धारा 194खख का संशोधन करने के लिए है, जो घुड़दौड़ से जीत से संबंधित है ।

अधिनियम की धारा 194खख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 194खख के अधीन कर की कटौती वित्तीय वर्ष के दौरान दस हजार रुपए से अधिक की रकम या रकमों का योग होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 85** आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ का संशोधन करने के लिए है, जो नकद रूप में कतिपय रकमों का संदाय से संबंधित है ।

आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ यह उपबंध करती है कि ऐसी कोई बैंककारी कंपनी या ऐसी कोई सहकारी सोसाइटी जो बैंककारी कारबार चलाने में लगी हुई है या कोई ऐसा डाकघर, जो किसी व्यक्ति

को (जिसे इस धारा में प्राप्तिकर्ता कहा गया है), उसके पास प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुरक्षित एक या अधिक खाते से पूर्ववर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए से अधिक, ऐसी राशि का, जो रकम या रकमों का योग है, नकद रूप में संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि के संदाय के समय आय-कर के रूप में ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा ।

एक तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां प्राप्तिकर्ता कोई सहकारी सोसाइटी है, वहां इस धारा के उपबंधों का वैसा ही प्रभाव होगा, मानो "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर "तीन करोड़ रुपए" शब्द रख दिए गए हों ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 86** आय-कर अधिनियम की धारा 194द का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कारबार या वृत्ति की बाबत फायदे या परिलब्धि पर कर की कटौती का उपबंध करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि किसी निवासी को कोई फायदा या परिलब्धि, चाहे वह धनराशि में संपरिवर्तनीय हो या नहीं, उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जो ऐसे निवासी द्वारा कोई कारबार या वृत्ति करने से उदभूत होता है, ऐसे निवासी को, यथास्थिति, ऐसा फायदा या परिलब्धि उपलब्ध कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे फायदे या परिलब्धि के संबंध में ऐसे फायदे या परिलब्धि मूल्य या समग्र मूल्य के दस प्रतिशत की दर से कर की कटौती की गई है ।

उक्त धारा में एक नया स्पष्टीकरण 2 अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उपधारा (1) के उपबंध किसी फायदे या परिलब्धि को लागू होंगे, चाहे वह नकद या वस्तु रूप में या भागत: नकद और भागत: वस्तु रूप में हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 87** आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों के यूनिटों की बाबत आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि के या उक्त धारा के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से, यूनिटों की बाबत किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को किसी आय के संदाय करने पर बीस प्रतिशत की दर से कर की कटौती का उपबंध करती है ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 90 की उपधारा (1)

या धारा 90क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई करार पाने वाले को लागू होता है और यदि पाने वाले ने, यथास्थिति, धारा 90 की उपधारा (4) या धारा 90क की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, तब उस पर आय-कर की, बीस प्रतिशत की दर पर या ऐसे करार में ऐसी आय के लिए उपबंधित आय-कर की दर पर या दरों पर, जो भी निम्नतर हो, कटौती की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 88** आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि वे राशियां, जिन पर धारा 194ठखक के अधीन कर की कटौती करना अपेक्षित है, निम्नतर दर पर कटौती के प्रमाणपत्र के लिए भी पात्र होंगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 89** आय-कर अधिनियम की धारा 206कख का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए विशेष उपबंध करने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) इस धारा के प्रयोजन के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" को परिभाषित करती है जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसमें कर की कटौती अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है । उक्त उपधारा का परंतुक किसी अनिवासी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा से अपवर्जित करता है, यदि अनिवासी व्यक्ति के पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे व्यक्ति को भी अपवर्जित किया जा सके जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और उसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 90** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है जो एलकोहाली लिकर, वनोत्पाद आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ पर स्रोत से संग्रहित कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1छ), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसा प्राधिकृत व्यौहारी है, जिसने किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रेषण के लिए किसी वित्तीय वर्ष में सात लाख रुपए की कोई रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है या जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है, किसी भी ढंग से क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलन करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर है, आय-कर के रूप में क्रेता से ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर कोई राशि संग्रहीत करेगा ।

उक्त उपधारा (1छ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि स्रोत पर कर के संग्रहण की दर को "पांच प्रतिशत" से बढ़ाकर "बीस प्रतिशत" किया जा सके, यदि इसका प्रयोजन शैक्षिक चिकित्सीय उपचार से भिन्न है ।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर कर का संग्रहण वहां लागू नहीं होगा, जहां सात लाख रुपए से कम की रकम या रकमों का योग शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए विप्रेषित किया जाता है ।

दूसरे परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि स्रोत पर कर का संग्रहण वहां लागू है जहां सात लाख रुपए से अधिक रकम या रकमों का योग शिक्षा या चिकित्सा उपचार के प्रयोजन के लिए विप्रेषित किया जाता है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 91** आय-कर अधिनियम की धारा 206गगक का संशोधन करने के लिए है, जो आय-कर विवरणी फाइल न करने वाले व्यक्तियों के लिए स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (3) "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" को परिभाषित करती है, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसने उस वित्तीय वर्ष, जिसमें कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है, से ठीक पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी फाइल नहीं की है । उक्त उपधारा का परंतुक किसी अनिवासी व्यक्ति को विनिर्दिष्ट व्यक्ति की परिभाषा से अपवर्जित करता है, यदि अनिवासी व्यक्ति के पास भारत में कोई स्थायी स्थापन नहीं है ।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे व्यक्ति को अपवर्जित किया जा सके, जिससे उक्त पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती

है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किया जाता है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 92** आय-कर अधिनियम की धारा 241क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में प्रतिदाय को रोके रखना से संबंधित है ।

धारा में एक नया परंतुक अंत:स्थापित करके यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2023 से लागू नहीं होंगे ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 93** आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिदायों पर ब्याज से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में एक परंतुक अंत:स्थापित करके संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती द्वारा धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन किए गए आवेदन के परिणामस्वरूप, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय उद्भूत होता है, वहां ऐसा ब्याज को, ऐसे आवेदन की तारीख से उस तारीख तक, जिसको प्रतिदाय प्रदान किया जाता है, की अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के किसी भाग के लिए आधा प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा ।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2023 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (1क) में परंतुक अंत:स्थापित करके यह संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण के लिए कार्यवाही लंबित है, वहां इस उपधारा के अधीन निर्धारिती को संदेय अतिरिक्त ब्याज का अवधारण करने के लिए अवधि की संगणना करने में उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि, जिसको धारा 245 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार और उसके अधीन रहते हुए, उस तारीख तक ऐसे प्रतिदाय को निर्धारण अधिकारी द्वारा रोक कर रखा जाता है, जिसको ऐसा निर्धारण या पुनर्निर्धारण किया जाता है, अपवर्जित की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 94** आय-कर अधिनियम की धारा 245 का प्रतिस्थापन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में प्रतिदायों का मुजरा किया जाना और उनको रोके रखना से संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा में, उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि में जहां इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन किसी

व्यक्ति को कोई प्रतिदाय देय हो जाता है या देय होना पाया जाता है, वहां, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त या आयुक्त या आयुक्त (अपील), ऐसे प्रतिदाय के संदाय के बदले में, ऐसी राशि, जिसके प्रति संपूर्ण रकम या उसका भाग, इस अधिनियम के अधीन संदत्त की जानी बाकी है, का मुजरा, इस उपधारा के अधीन प्रस्तावित की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में लिखित रूप में उसके द्वारा प्रज्ञापना देने के पश्चात् कर सकेगा ।

प्रस्तावित धारा में, उपधारा (2) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां उपधारा (1) के अनुसार प्रतिदाय के किसी भाग का मुजरा किया गया है या जहां ऐसी किसी रकम का मुजरा नहीं किया जाता है और प्रतिदाय किसी व्यक्ति को देय हो जाता है, वहां निर्धारण अधिकारी की, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ऐसे मामले में निर्धारण या पुन: निर्धारण के लिए कार्यवाहियां लंबित हैं, यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, वहां वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, और यथास्थिति, प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख तक प्रतिदाय को रोक सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 95** आय-कर अधिनियम की धारा 245घ का संशोधन करने के लिए है जो धारा 245ग के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (9) के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां उक्त धारा की उपधारा (6ख) के अधीन किसी आदेश के संशोधन या सुधार करने के लिए आवेदन फाइल करने की समय-सीमा 1 फरवरी, 2021 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 फरवरी, 2022 से पूर्व समाप्त होती है, तो ऐसी समय-सीमा का 30 सितंबर, 2023 तक विस्तार किया जाएगा ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 96** आय-कर अधिनियम की धारा 245डक का संशोधन करने के लिए है जो विवाद समाधान समिति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार इस धारा की उपधारा (4) के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 97** आय-कर अधिनियम की धारा 245द का संशोधन करने के लिए है जो आवेदन प्राप्ति पर प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा की उक्त उपधारा (10) में एक नया परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार उस धारा की उपधारा (10) के अधीन 31 मार्च, 2023 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 98** आय-कर अधिनियम के अध्याय 20 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील और पुनरीक्षण से संबंधित है ।

अपील से संबंधित अध्याय 20 के उपशीर्ष का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे संयुक्त आयुक्त (अपील) के सृजन और कार्यकरण को समर्थ बनाया जा सके ।

धारा 246 के स्थान पर एक नई धारा प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील योग्य आदेशों का उपबंध किया जा सके ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी निर्धारण अधिकारी (संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे) के किसी भी निम्नलिखित आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती–

(i) (क) धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना का कोई आदेश, जहां निर्धारिती कोई समायोजन करने के विरुद्ध आक्षेप करता है या धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती, निर्धारित की गई आय की रकम के प्रति आक्षेप करता है या अवधारित कर की रकम या संगणित हानि की रकम या प्रास्थिति, जिसके अधीन उसका निर्धारण किया गया है, का कोई आदेश ;

(ख) धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुन:निर्धारण या पुन:संगणना का कोई आदेश ;

(ग) धारा 200क की उपधारा (1) के अधीन संसूचना का कोई आदेश ;

(घ) धारा 201 के अधीन कोई आदेश ;

(ङ) धारा 206ग की उपधारा (6क) के अधीन संसूचना का कोई आदेश ;

(च) धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ;

(छ) अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने का कोई आदेश ;

(ज) धारा 154 या धारा 155 के अधीन पूर्वोक्त (क) से (छ) में उल्लिखित किसी भी आदेश को संशोधित करने का कोई

आदेश,

के विरुद्ध संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा :

उक्त उपधारा का परंतुक उपबंध करता है जहां इस उपधारा के अधीन एक निर्दिष्ट किसी आदेश, उपायुक्त की पंक्ति से ऊपर के किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा या उसके पूर्वानुमोदन से पारित किया गया है, वहां इस धारा के अधीन ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जा सकती है ।

उपधारा (2) उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश के विरुद्ध फाइल की गई कोई अपील आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, बोर्ड या आय-कर प्राधिकारी, जिसे इस संबंध में बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया है, ऐसी अपील और उससे उदभूत किसी मामले को या ऐसी अपील के साथ संबद्ध मामले को, जो लंबित है, को संयुक्त आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर होगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

उपधारा (3) उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड या इस प्रकार बोर्ड द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी किसी अपील को, जो संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है और उससे उदभूत या ऐसी अपील से संबंधित मामले को और जो लंबित है, आयुक्त (अपील) को अंतरित कर सकेगा, जो ऐसी अपील या मामले में उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर वह उसे अंतरित किए जाने से पूर्व था ।

उपधारा (4) उपबंध करती है कि जहां किसी अपील को उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन अंतरित किया जाता है, अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

उपधारा (5) उपबंध करती है कि जहां केंद्रीय सरकार, संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा किसी अपील का निपटारा करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक स्कीम बना सकेगी, जिससे अपीलों का त्वरित रीति में पारदर्शिता और जवाबदेही सहित संयुक्त आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच अपील कार्यवाहियों के अनुक्रम में अंतरापृष्ठ का निरसन करके प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य परिमाण तक निपटान किया जा सके और यह निदेश दे सकेगी कि संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

उपधारा (6) उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड यह विनिर्दिष्ट कर सकेगा कि उस उपधारा के उपबंध

किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

इस धारा में एक नया स्पष्टीकरण अंत:स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "प्रास्थिति" से वह श्रेणी अभिप्रेत है, जिससे निर्धारिती को किसी "व्यष्टि", "हिन्दू अविभक्त कुटुंब" और वैसे ही निर्धारित किया गया है, परिभाषित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 99** आय-कर अधिनियम की धारा 249 का संशोधन करने के लिए है जो अपील का प्ररूप और परिसीमा से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा की परिधि के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) को अंत:स्थापित किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (3) और उपधारा (4) के परंतुक का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त उपधारा में संयुक्त आयुक्त (अपील) को अंत:स्थापित किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है जो अपील में प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे जहां कहीं आयुक्त (अपील) शब्द आते हैं, वहां संयुक्त आयुक्त (अपील) का प्रतिनिर्देश अंत:स्थापित करके उसके उपबंधों को संयुक्त आयुक्त (अपील) के संबंध में लागू बनाया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (6क) को प्रतिस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक अपील में, जहां यह संभव हो, संयुक्त आयुक्त (अपील) या अपील (आयुक्त) उस वित्तीय वर्ष में, जिसमें, यथास्थिति, धारा 246 की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष ऐसी अपील फाइल की गई थी या उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन उसे अंतरित की गई थी या धारा 246क की उपधारा (1) के अधीन उसके समक्ष फाइल की गई थी, की समाप्ति से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय कर सकेगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त धारा की उपधारा (6ग) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस धारा की उपधारा (6ग) के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम की धारा 251 का संशोधन करने के लिए है जो यथास्थिति, उपायुक्त (अपील) और आयुक्त (अपील) की शक्तियों से संबंधित है ।

उक्त धारा के शीर्षक को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे शीर्षक के स्थान पर, "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील) की शक्तियां" पद रखा जा सके ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अपील का निपटारा करते समय संयुक्त आयुक्त (अपील) के पास किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में वह किसी निर्धारण की पुष्टि, उसमें कमी, उसमें वृद्धि या उसे रद्द करने, शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील में ऐसे किसी आदेश की पुष्टि या उसे रद्द करने या उसे इस प्रकार परिवर्तित करने कि उसके द्वारा लगाई गई शास्ति में या तो वृद्धि या उसमें कमी करने की शक्ति होगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) और स्पष्टीकरण का भी संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे आयुक्त (अपील) पद, जहां कहीं वह आता है, के पश्चात् संयुक्त आयुक्त (अपील) का प्रतिनिर्देश अंत:स्थापित करके उसके उपबंधों को संयुक्त आयुक्त (अपील) के संबंध में लागू किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपीलों से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) आय-कर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन पारित आदेशों के प्रकारों का उल्लेख करती है, जिसके विरुद्ध कोई व्यथित निर्धारिती अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा । उक्त उपधारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271ककख, धारा 271ककग और धारा 271ककघ के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित शास्तिक आदेशों के विरुद्ध अपील, अपील अधिकरण को भी की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया उपखंड (कक) अंत:स्थापित करके उसका संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 154, धारा 250, धारा 270क, धारा 271, धारा 271क, 271ककग, 271ककघ या धारा 271ञ के अधीन संयुक्त आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध, अपील अधिकरण के समक्ष अपीलनीय होगी ।

उक्त उपधारा के खंड (ग) का भी यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसे किसी आदेश की बाबत प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा धारा 263 के अधीन पारित किसी आदेश या धारा 154 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, अपील अधिकरण को भी की जाएगी ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे, "आयुक्त (अपील)" को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" से प्रतिस्थापित करके, उसके उपबंधों को संयुक्त आयुक्त (अपील) के संबंध में लागू किया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे ऐसे सभी वर्गों के मामलों में प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन के फाइल किए जाने को समर्थ बनाया जा सके, जिनके विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील की जा सकती है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 103** आय-कर अधिनियम की धारा 264 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य आदेशों का पुनरीक्षण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 104** आय-कर अधिनियम की धारा 267 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील पर निर्धारण का संशोधन से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 105** आय-कर अधिनियम की धारा 269धध का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ उधार, निक्षेप और विनिर्दिष्ट राशि लेने या प्रतिग्रहण करने का ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्यों से निक्षेप स्वीकार किया जाता है या प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्यों से उधार लिया जाता है, बीस हजार रुपए की सीमा

को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे उपबंध किया जा सके कि "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 106** आय-कर अधिनियम की धारा 269न का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय उधारों या निक्षेपों के प्रतिसंदाय का ढंग से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक तीसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्यों को निक्षेप संदत्त किया जाता है या प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उसके सदस्यों को उधार का प्रतिदाय किया जाता है, बीस हजार रुपए की सीमा को बढ़ाकर दो लाख रुपए किया जाएगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) को प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे उपबंध किया जा सके कि "सहकारी बैंक", "प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी" और "प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक" के वही अर्थ होंगे, जो धारा 80त की उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनके हैं ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 107** आय-कर अधिनियम की धारा 270क का संशोधन करने के लिए है, जो आय की कम रिपोर्ट करने और मिथ्या रिपोर्ट करने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 108** आय-कर अधिनियम की धारा 270कक का संशोधन करने के लिए है जो शास्ति आदि के अधिरोपण से उन्मुक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (6) का, संयुक्त आयुक्त (अपील) के समक्ष धारा 246 के अधीन फाइल की गई किसी अपील के प्रतिनिर्देश को उक्त उपधारा के उपबंधों के अधीन लागू करने के लिए परिणामस्वरूप संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 109** आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणियां न देना, सूचनाओं का अनुपालन न करना, आय का छिपाना, आदि से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 110** आय-कर अधिनियम की धारा 271क का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा पुस्तकें, दस्तावेज, आदि रखने, बनाए रखने या रखे रहने में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 111** आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय आय के संबंध में शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 112** आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ का संशोधन करने के लिए है, जो लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि, आदि के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 113** आय-कर अधिनियम की धारा 271ग का संशोधन करने के लिए है, जो स्रोत पर कर की कटौती करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संदाय करने में असफल रहने के अतिरिक्त, संदाय सुनिश्चित करने में

असफलता के लिए उस धारा के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

उक्त खंड का संशोधन करने के लिए और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति शास्ति के रूप में कर की रकम के बराबर राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा, जिसे ऐसा व्यक्ति उसका संदाय सुनिश्चित करने में असफल रहा है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त खंड का संशोधन करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि धारा 194खक की उपधारा (2) प्रतिनिर्देश दिया जा सके ।

उक्त खंड का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परंतुक तथा उसमें धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक का संदर्भ दिया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

विधेयक का **खंड 114** आय-कर अधिनियम की धारा 271चकक का संशोधन करने के लिए, जो वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते में विवरण की गलत सूचना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति पर पचास हजार रुपए की शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला आय-कर प्राधिकारी वही होगा, जो अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी है ।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (2) अंत:स्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट व्यक्ति की दशा में, जिससे उस धारा के अधीन विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा है, (जिसे इसमें इसके पश्चात् रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), विवरण में गलत सूचना प्रदान करता है और ऐसे विवरण में गलती सुसंगत रिपोर्ट योग्य खाता या खाताओं के धारक या धारकों द्वारा प्रस्तुत मिथ्या या गलत सूचना के कारण है तो धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्राधिकारी निदेश देगा कि रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था शास्ति के माध्यम से प्रत्येक रिपोर्ट योग्य गलत खाते के लिए उपधारा (1) के अधीन शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए की राशि का संदाय करेगी और रिपोर्टकारी वित्तीय संस्था, ऐसे रिपोर्ट योग्य खाताधारक के निमित्त इस प्रकार संदत्त धनराशि को वसूल करने की या उसके कब्जे में की, किन्हीं धनराशियों को या जो उसे ऐसे प्रत्येक रिपोर्ट योग्य खाताधारक से प्राप्त हो, इस प्रकार संदत्त

धनराशि के समतुल्य रकम को प्रतिधारित करने की हकदार होगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 115** आय-कर अधिनियम की धारा 271ञ का संशोधन करने के लिए है, जो रिपोर्टों या प्रमाणपत्रों में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए शास्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 116** आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है जो प्रक्रिया से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2ख) में दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (2ख) के अधीन 31 मार्च, 2022 को या उसके पूर्व जारी किसी निदेश का संशोधन कर सकेगी ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 117** आय-कर अधिनियम की धारा 275 का संशोधन करने के लिए है, जो शास्ति अधिरोपित करने के लिए परिसीमा का वर्जन से संबंधित है ।

''आयुक्त (अपील)'' पद को ''संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)'' से प्रतिस्थापित करके उक्त धारा का पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 118** आय-कर अधिनियम की धारा 276क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 178 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंधों के अनुपालन में असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा, धारा 178 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के उपबंधों के अननुपालन के लिए दंड का उपबंध करती है ।

उक्त धारा में एक दूसरा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2023 को या उसके पश्चात् कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 119** आय-कर अधिनियम की धारा 276ख का संशोधन करने के लिए है जो अध्याय 12घ या अध्याय 17ख के अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में

असफलता से संबंधित है ।

उक्त धारा के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसे तब लागू किया जा सके जब कोई व्यक्ति अध्याय 17ख के उपबंधों की अपेक्षानुसार या उसके अधीन उसके द्वारा स्रोत पर कटौती किए गए कर का केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में असफल रहता है ।

उक्त धारा के खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने के लिए यह और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115ण, धारा 194ख परंतुक, धारा 194द की उपधारा (1) के पहले परंतुक या धारा 194ध की उपधारा (1) के परंतुक की अपेक्षानुसार या उसके अधीन केंद्रीय सरकार के जमा खाते में कर का संदाय करने में या कर का संदाय सुनिश्चित करने में असफलता इस धारा के अधीन कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए पात्र होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

उक्त खंड का उपबंध करने के लिए यह और प्रस्ताव है कि कर के संदाय में असफलता या कर के संदाय को सुनिश्चित करने के लिए धारा 194खक की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय सरकार के प्रत्यय को उस धारा के अधीन प्रक्रियाओं को आरंभ करने के लिए पात्र होगा ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 120** आय-कर अधिनियम की धारा 279 का संशोधन करने के लिए है, जो अभियोजन का मुख्य आयुक्त या आयुक्त की प्रेरणा से होना से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 121** आय-कर अधिनियम की धारा 287 का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में निर्धारितियों संबंधी जानकारी का प्रकाशन से संबंधित है ।

उपधारा (2) का पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" के साथ प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

विधेयक का **खंड 122** आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ङङग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे, "या तालिका मूल्यांकन", शब्द सम्मिलित किए जा सकें ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ङङ) का पारिणामिक रूप से और संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "आयुक्त (अपील)" पद को "संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयुक्त (अपील)" पद से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा ।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 123** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 का, उसकी उपधारा (4क) में एक नया परंतुक अंतःस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त उपधारा के कार्यक्षेत्र से, उसमें यथा विनिर्दिष्ट सशर्त छूट के कतिपय प्रवर्गों को अपवर्जित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 124** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ग में एक नई उपधारा (8क) अंतःस्थापित करके संशोधन करने के लिए है जो उपबंध करती है कि उपधारा (5) के अधीन कोई आदेश, धारा 127ख के अधीन आवदेन की तारीख से नौ मास के भीतर पारित किया जाएगा तथा यदि उक्त अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो समझौता कार्यवाहियों का उपशमन हो जाएगा तथा मामले को न्यायनिर्णयन अधिकारी को वापस कर दिया जाएगा ।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 125** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9, धारा 9क और धारा 9ग का संशोधन करने के लिए है, जिससे उनमें कतिपय शब्दों का लोप किया जा सके तथा यह स्पष्ट किया जा सके कि रक्षोपाय शुल्क या प्रतिशुल्क या प्रतिपाटन शुल्क का अवधारण या पुनर्विलोकन किसी प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाना है, जो उक्त अधिनियम की धारा 8ख, धारा 9, धारा 9क और धारा 9ख के अधीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

विधेयक का **खंड 126** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है--

(क) दूसरी अनुसूची, जिससे 2 फरवरी, 2023 से कतिपय टैरिफ मदों की बाबत दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) तीसरी अनुसूची, जिससे उस तारीख से जिसको वित्त विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, कतिपय टैरिफ मदों की बाबत दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ग) चौथी अनुसूची, जिससे 1 मई, 2023 से कतिपय टैरिफ मदों की बाबत दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 127** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे 1 मई, 2023 से कतिपय टैरिफ मदों की बाबत दरों को पुनरीक्षित किया जा सके ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 128** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (घ) और धारा 2क के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के अधीन कर का संदाय करने के लिए विकल्प लेने से इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से माल की पूर्ति करने में लगे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों पर अधिरोपित निर्बंधन को हटाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 129** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे और तीसरे परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम में उपबंधित विवरणी फाइल करने की प्रणाली के साथ उक्त उपधारा का सामंजस्य किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 130** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट कतिपय संव्यवहारों की बाबत इनपुट कर प्रत्यय के ऐसे लाभ को निर्बंधित किया जा सके, जो छूट पूर्ति के मूल्य के ऐसे संव्यवहारों के मूल्य को सम्मिलित करके नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए ।

यह खंड उपधारा (5) का संशोधन करने के लिए भी है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इनपुट कर प्रत्यय, कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों की बाबत उपलब्ध नहीं होगा, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए आशयित है ।

विधेयक का **खंड 131** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 23 को 1 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो ऐसे व्यक्तियों से संबंधित है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं है, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) और धारा 24 पर उक्त धारा का अध्यारोही प्रभाव का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 132** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 37 में एक नई उपधारा (5) अंतस्थापित करने के लिए है, जिससे उन तीन वर्षों तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक कर अवधि के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन जावक

पूर्तियों के ब्यौरों को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है । यह खंड परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 133** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में एक नई उपधारा (11) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे उन तीन वर्षों तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा कर अवधि के लिए विवरणी फाइल की जा सकती है । यह खंड, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 134** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 में एक नई उपधारा (2) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे किसी वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उन तीन वर्षों तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की जा सकती है । यह खंड परिषद् की सिफारिशों पर सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 135** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 52 में एक नई उपधारा (15) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन उन तीन वर्षों तक की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके, जिस तक किसी इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक द्वारा किसी मास के लिए विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है । यह खंड परिषद् की सिफारिशों पर सरकार को अधिसूचना द्वारा किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग के लिए कतिपय शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उक्त समय-सीमा को बढ़ाए जाने के लिए सशक्त करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 136** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) के अनुसार स्व:निर्धारित इनपुट कर प्रत्यय के लाभ लेने की वर्तमान स्कीम के साथ सामंजस्य करने के लिए अनंतिम रूप से स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिनिर्देश को हटाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 137** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि विलंबित प्रतिदाय

पर ब्याज के परिकलन के लिए विलंब की अवधि की संगणना की रीति का नियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 138** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में एक नई उपधारा (1ख) अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे कि अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों या संयुक्त करदाताओं द्वारा उनके माध्यम से की गई माल या सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन की दशा में इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालकों को लागू शास्तिक उपबंधों के लिए उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 139** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त उपधारा के खंड (छ), खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट अपराधों को अपराधों की श्रेणी से बाहर किया जा सके और उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन शुरू करने के लिए धनीय अवसीमा को माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बिना बीजकों के निर्गम से संबंधित अपराधों के सिवाय एक करोड़ रुपए से दो करोड़ तक बढ़ाया जा सके ।

विधेयक का **खंड 140** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 138 की उपधारा (1) के पहले परंतुक का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के शमन के विकल्प से माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के बिना बीजकों के निर्गम से संबंधित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों को अपवर्जित किया जा सके ।

खंड उपधारा (2) का संशोधन करने के लिए है, जिससे शमन के लिए न्यूनतम और साथ ही अधिकतम रकम को कम करके विभिन्न अपराधों के शमन के लिए रकम को सुव्यवस्थित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 141** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 158क अंत:स्थापित करने के लिए है, जिससे कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए उसके आवेदन में या फाइल की गई उसकी विवरणी में या जावक प्रदायों की विवरण में प्रस्तुत जानकारी या इलैक्ट्रानिक बीजक या ई-वे बिल के सृजन के लिए उसके द्वारा अपलोड किए गए ब्यौरे या कोई अन्य ब्यौरे, जो ऐसी अन्य प्रणालियों के साथ सामान्य पोर्टल पर नियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं, को साझा करने के लिए रीति और शर्तों, जो अधिसूचित की जाएं, का उपबंध किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 142** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 3 का, उक्त अनुसूची के पैरा 7 और पैरा 8 तथा स्पष्टीकरण 2 को 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से संशोधन करने के लिए है, जिससे न तो माल के प्रदाय और न ही सेवाओं की पूर्ति के रूप में उक्त पैराओं में उल्लिखित क्रियाकलापों या संव्यवहारों को माना जा सके ।

एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 143** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (16) का संशोधन करने के लिए है, जिससे "गैर-करादेय ऑनलाइन प्राप्तिकर्ता" की परिभाषा में किसी ऐसे अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को सम्मिलित किया जा सके, जो करादेय राज्यक्षेत्र में अवस्थित ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं को प्राप्त करता है । यह खंड यह स्पष्ट करने के लिए भी है कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (vi) के निबंधनानुसार एकमात्र रूप से रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त खंड के प्रयोजन के लिए अरजिस्ट्रीकृत माना जाएगा ।

यह उक्त धारा के खंड (17) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे उक्त परिभाषा से "आवश्यक रूप से स्वचालित कर देती है और जिसमें न्यूनतम मानव मध्यक्षेप है और जिसे" शब्दों को हटाकर उसे संशोधित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 144** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (8) के परंतुक का लोप करने के लिए है, क्योंकि यह इनपुट कर प्रत्यय और अन्य मामलों का उपलब्धता के संबंध में भ्रम पैदा करती थी ।

प्रकीर्ण

विधेयक का **खंड 145** और **खंड 146** सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 का संशोधन करने के लिए है ।

नामनिर्देशन के बिना जमाकर्ता की मृत्यु होने की दशा में विधिक उत्तराधिकारी को पात्र जमा राशि के संदाय के लिए उपबंध करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (4) का प्रतिस्थापन करने का प्रस्ताव है । अन्य बातों के साथ, विधिक रूप से हकदार व्यक्ति को पात्र जमा राशि के संदाय के लिए विधिक सबूत होने के लिए विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । यह दावे के संदाय की प्रक्रिया को वहां सरलीकृत करने और सुकर बनाने के लिए है, जहां नियमों में यथा उपबंधित ऐसी राशि के आधिक्य की दशा में जमाकर्ता द्वारा खाते में कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया था ।

उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (झ) को भी पारिणामिक रूप से प्रतिस्थापित करने का और प्रस्ताव है ।

12 दिसंबर, 2019 को या उसके पश्चात् अधिसूचित की गई नई राष्ट्रीय बचत स्कीमों को जोड़ने के लिए अनुसूची का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है ।

विधेयक का **खंड 147** भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 47 के प्रभाग घ का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी के लागू होने से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अधीन जारी जीवन बीमा पालिसियों को भी छूट प्रदान की जा सके ।

विधेयक का **खंड 148** प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 की धारा 18क का संशोधन करने के लिए है जो व्युत्पन्नियों में संविदा से संबंधित है ।

उक्त धारा में एक नया खंड (खक) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित और विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता द्वारा जारी व्युत्पन्नियों में संविदा भी विधिक और विधिमान्य संविदा होगी तथा, ''विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता'' पद को परिभाषित करता है ।

विधेयक का **खंड 149** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 19 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन करने के लिए है जिससे सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129 के अधीन गठित सीमाशुल्क, उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण को धारा 6क और धारा 9 के अधीन अपील प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए घोषित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 150** अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के उत्सादन को दृष्टिगत रखते हुए, केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 24 का लोप करने के लिए है ।

विधेयक का **खंड 151** केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे धारा 19 में निर्दिष्ट तत्कालीन अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के अंतरण के लिए उपबंध करने हेतु उसमें एक नई उपधारा (3) अंत:स्थापित की जा सके ।

विधेयक का **खंड 152** बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 2 और धारा 46 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 2 का खंड (18) उच्च न्यायालय की परिभाषा का उपबंध करता है ।

उक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां व्यथित पक्षकार किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता में मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है और जहां सरकार, एक व्यथित पक्षकार है, और प्रत्यर्थियों में से कोई

प्रत्यर्थी किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मामूली तौर से निवास नहीं करता है या कारबार नहीं करता है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य नहीं करता है ; वहां उच्च न्यायालय वह उच्च न्यायालय होगा जिसकी अधिकारिता के भीतर प्रारंभक अधिकारी का कार्यालय अवस्थित है ।

धारा 46 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यथित व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रारंभक अधिकारी भी है, उस आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के बजाए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उस तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकेगा, जिसको प्रारंभक अधिकारी या ऐसे अन्य व्यथित व्यक्ति द्वारा आदेश प्राप्त किया जाता है ।

विधेयक का **खंड 153** वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची का छठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधन करने के लिए है, जिससे कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में दरों को 2 फरवरी, 2023 से पुनरीक्षित किया जा सके ।

विधेयक का **खंड 154** भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 का संशोधन करने के लिए है ।

उक्त अधिनियम की धारा 8 प्रशासक द्वारा पद रिक्त करने का उपबंध करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि प्रशासक, विनिर्दिष्ट उपक्रम की सभी स्कीमों का निर्मोचन हो जाने पर और विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर, तत्काल अपना पद रिक्त कर देगा ।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रशासक विनिर्दिष्ट उपक्रम की सभी स्कीमों का निर्मोचन हो जाने पर और जो विनिधानकर्ताओं को संपूर्ण रकम का संदाय हो जाने पर, या ऐसी तारीख से, केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हों, तत्काल अपना पद रिक्त कर देगा ।

अधिनियम की धारा 13, कर छूट या फायदे का प्रभावशील बने रहने से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम, या आय, लाभ अथवा अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम के संबंध में व्युत्पन्न किसी आय, लाभ या अभिलाभ अथवा प्राप्त की गई किसी रकम के संबंध में नियत दिन से प्रारंभ होकर और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि

के लिए कोई आय-कर या कोई अन्य कर संदेय नहीं होगा ।

उक्त उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे विनिर्दिष्ट उपक्रम को कर छूट 31 मार्च, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाई जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ, उनमें यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचनाएं जारी करने तथा बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं ।

विधेयक का **खंड 10**, आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषित "वेतन" , "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है । उक्त धारा के खंड (2) का उपखंड (i) कर्मचारी को उसके नियोजक द्वारा प्रदान की गई वास-सुविधा के मूल्य की संगणना की रीति के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 12, आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों पर अपाकरण से संबंधित है ।

उपधारा (2) का खंड (क) बोर्ड को वह प्ररूप और रीति तथा वह अवधि जिसके भीतर निर्धारिती आय-कर प्राधिकारी को व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा, के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 32, आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (xiii) बोर्ड को प्राप्त रकम की संगणना की रीति के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है जो जीवन बीमा पालिसी में संदत्त प्रीमियम के कुल योग से अधिक है, जो 'अन्य स्रोतों से आय' शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा ।

विधेयक का खंड 50, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग का संशोधन करने के लिए है जो व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर से संबंधित है ।

उपधारा (3) का दूसरा परंतुक बोर्ड को आस्तियों के खंड के अवलिखित मूल्य के तत्स्थानी समायोजन की रीति के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

उक्त धारा की उपधारा (6) बोर्ड को आय-कर के प्रयोजन के लिए कुल आय की संगणना के प्रयोजन के लिए उपधारा (1क) में उल्लिखित व्यक्ति के सिवाय अन्य व्यक्ति के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है । यह बोर्ड को विकल्प के प्रयोग

करने की रीति के लिए उपबंध करने हेतु और सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 52, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खकङ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय नई विनिर्माता सहकारी सोसाईटियों की आय पर कर से संबंधित है ।

(1) उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ग) की उपखंड (iii) बोर्ड को धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) के अधीन अवक्षयण का दावा करने की रीति के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

(2) उक्त धारा की उपधारा (5) बोर्ड को विवरणी फाइल करने के विकल्प का प्रयोग करने की रीति के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 54, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 115खखञ अंतःस्थापित करने के लिए है जो आनलाइन खेल से जीत पर कर से संबंधित है ।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को पूर्ववर्ष के दौरान आनलाइन खेल से शुद्ध जीतों की संगणना की रीति के लिए उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 63, आय-कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) बोर्ड को धारा 132 की उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन सभी या किन्हीं कार्रवाइयों के लिए प्राधिकृत अधिारी को सहायता प्रदान करने हेतु किसी व्यक्ति या अस्तित्व के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया हेतु उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है ।

उपधारा (9घ) का खंड (iii) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन खोज या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व या किसी मूल्यांकक के अनुमोदन के लिए प्रक्रिया का उपबंध करने हेतु बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । यह बोर्ड को खोज या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए संपत्ति के ऋजु बाजार मूल्य के प्राक्कलन की रीति हेतु उपबंध करने के लिए नियम बनाने के लिए भी सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 74, धारा 155 की उपधारा (20) के अधीन निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने के प्ररूप का उपबंध करने के लिए बोर्ड को नियम बनाने हेतु सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 83, आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194खक अंतःस्थापित करने के लिए है जो आनलाइन खेल से जीतों से

संबंधित है ।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) बोर्ड को किसी व्यक्ति को आय का संदाय करते समय आनलाइन खेल से शुद्ध जीतों पर आय-कर की कटौती की संगणना की रीति के लिए उपबंध करने हेतु सशक्त करती है । यह बोर्ड को शुद्ध जीतों की निकासी के समय आय-कर की कटौती करने के लिए संगणना की रीति हेतु उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु और सशक्त करती है ।

विधेयक का खंड 130, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण का संशोधन करने के लिए है जो यह स्पष्ट करता है कि "छूट प्राप्त पूर्ति के मूल्य" पद के अंतर्गत अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कतिपय क्रियाकलापों या संव्यवहारों के सिवाय, उसमें विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा । उक्त स्पष्टीकरण का खंड (ii) सरकार को अनुसूची 3 के पैरा 8 के खंड (क) के संबंध में ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों के, जिन्हें इस प्रकार छूट दी गई है के मूल्य को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 137, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 56 का, उसमें कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित करके, संशोधन करने के लिए है जो सरकार को आवेदन प्राप्ति की तारीख से प्रतिदाय की तारीख तक साठ दिन से परे विलंब की अवधि के लिए संदेय प्रतिदाय की बाबत ब्याज की संगणना करने की रीति का, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 141, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम में एक नई धारा 158क अंतःस्थापित करने के लिए है जो कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत जानकारी के साझा करने पर आधारित सहमति से संबंधित है । उक्त धारा की उपधारा (1) सरकार को नियमों द्वारा साझा किए जाने वाले ब्यौरों का और उस रीति का जिसमें और उन शर्तों का, जिनके अधीन रहते हुए ब्यौरों को सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य तंत्रों के साथ सामान्य पोर्टल द्वारा साझा किया जा सकेगा, उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) सरकार को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का, जिसमें आपूर्तिकर्ता और उसमें विनिर्दिष्ट प्राप्तिकर्ता की सहमति प्राप्त की जाएगी, उपबंध करने के लिए सशक्त करती है ।

प्रकीर्ण

विधेयक के खंड 145 से खंड 146, सरकारी बचत संवर्धन अधिनियम, 1873 का संशोधन करने के लिए है ।

धारा 4क की उपधारा (4) केन्द्रीय सरकार को आधिक्य जमा राशि के संदाय के लिए नियमों का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है, जहां जमाकर्ता द्वारा कोई नामनिर्देशन नहीं किया गया था ।

2. ये विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसार नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है ।

3. अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष **2023-2024** के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय
प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[श्रीमती निर्मला सीतारामन,
वित्त मंत्री]